"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 950] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2025 —— अग्रहायण 20, शक 1947

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक 115/सीएसईआरसी/2025. – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2) और धारा 32(3) के सहपठित धारा 61 और 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025.

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(i) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025 कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम अधिनियम की धारा 62 के तहत टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के लिए धारा 32 (3) के अनुसार एसएलडीसी की शुल्क और प्रभारों के लिए लागू होंगे, और यह तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को नवीन विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

(iii) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।

2. प्रयोज्यता की सीमा और विस्तारः

2.1 ये विनियम टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए और टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे :

(क) राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू)

(ख) सभी उत्पादन केन्द्र, जो सीधे या राज्य व्यापार लाइसेंसधारियों के माध्यम से राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को दीर्घकालिक समझौते के तहत विद्युत आपूर्ति करते हैं, सिवाय उन उत्पादन केन्द्रों के, जो केन्द्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं और राज्य में स्थित ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को छोड़कर, जिनके टैरिफ का निर्धारण, आयोग द्वारा प्रासंगिक विनियमों और आदेशों के तहत किया जाता है :

परंतु यह कि ये विनियम, उन सभी मामलों में भी लागू होंगे, जहां किसी उत्पादन कंपनी के पास उसे आवंटित एकीकृत खान (खानों) से उसके निर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाले एक या अधिक उत्पादन स्टेशनों के लिए कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था है, जिसका टैरिफ, अधिनियम की धारा 62 सहपठित धारा 86 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

(ग) सभी अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी;

(घ) सभी वितरण लाइसेंसधारी; और

(ई) राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी):

परंतु यह कि इन विनियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, आयोग, आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क की निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों द्वारा निर्देशित होगा।

2.2. ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :

(i) स्टैंड–अलोन जनरेटर :

परंतु यह कि, धारा 63 के अंतर्गत आने वाले स्टैंड अलोन जनरेटर या कोई भी उत्पादन स्टेशन जो सहायक सेवाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो लाइसेंसधारी और/या उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए शेड्यूलिंग, ऊर्जा मीटरिंग या लेखांकन के लिए एसआईडीसी की सेवाएं लेते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अधिदेशित किए जा सकते हैं, उन्हें इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट शुल्क और प्रभार का भुगतान करना होगा।

(ii) ऐसे उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली, जिनका टैरिफ, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा जिसे विवेकपूर्ण

जांच के बाद अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत आयोग द्वारा अपनाया गया है।

2.3. इन विनियमों के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां, सीएसईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और उसके अंतर्गत अधिनियमों के संशोधन द्वारा शासित होंगी।

3. परिभाषाएँ : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

3.1. **''लेखा विवरण''** से अभिप्रेत है प्रत्येक वर्ष के लिए, निम्नलिखित विवरण, अर्थात–

कंपनी अधिनियम में निहित प्रपत्र या आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो;

चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित समाधान विवरण, जो कंपनी के रूप में इकाई के कुल व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा आयोग द्वारा विनियमित प्रत्येक व्यवसाय और अन्य/अनियमित व्यवसाय संचालनों के लिए अलग–अलग व्यय, राजस्व, परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच समाधान दर्शाता है:

परंतु यह कि, यदि लाइसेंस शर्तों के अनुसार प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के लिए और वित्तीय वर्ष 2026–27 के बाद प्रत्येक विनियमित व्यवसाय के लिए अलग–अलग लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उत्पादक कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएल.डीसी द्वारा दायर याचिकाओं को आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद खारिज किया जा सकता है:

परंतु यह और कि जब तक एसएलडीसी को राज्य एजेंसी के रूप में पृथक रूप से स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीआईसीएल) के अंतर्गत पृथक इकाई के रूप में एसएलडीसी के लिए पृथक लेखा पुस्तकें सीएसपीटीसीएल द्वारा संधारित एवं प्रमाणित की जाएंगी;

3.2. **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) या उसमें किए गए कोई संशोधन या उसके बाद के कोई अधिनियमिति;

3.3. **''अतिरिक्त पूंजीकरण''** से अभिप्रेत है परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद किए गए या किए जाने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय, जिसे आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकार किया गया है, जो विनियमन 19 के प्रावधानों के अध्यधीन है;

3.4. **''समग्र राजस्व आवश्यकता'' या ''एआरआर''** से अभिप्रेत है लाइसेंस प्राप्त और/या विनियमित व्यवसाय से संबंधित लागत, जिसे इस विनियमन के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ और प्रभारों से वसूलने की अनुमति है;

3.5. **''आवंटन मैट्रिक्स''** में इस विनियमन के अध्याय 7 में विनिर्दिष्ट तत्व शामिल होंगे;

3.6. एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''वार्षिक लक्ष्य मात्रा'' या ''एटीक्यू''** से अभिप्रेत है ऐसी एकीकृत खान(खानों) से एक वर्ष के दौरान निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा, जो खनन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा के 85 प्रतिशत के अनुरूप है;

परंतु यह कि, यदि कोयले की एकीकृत खदान(खदानें), खनन योजना के अनुसार कोयले की आपूर्ति के लिए तैयार है, किन्तु उत्पादन कंपनी के कारण से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से इसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो आयोग, वार्षिक लक्ष्य मात्रा में छूट दे सकता है।

3.7. **''आवेदक''** से अभिप्रेत है ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जिसने इस विनियमन और अधिनियम के अनुसार टैरिफ निर्धारण या ट्रक–अप के लिए याचिका दायर की है;

3.8. **''लेखा परीक्षक''** से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 या धारा 148 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक;

3.9. किसी उत्पादन केंद्र के मामले में किसी अवधि के संबंध में **''उत्पादन केंद्र में सहायक ऊर्जा खपत'' या ''एयूएक्स''** से अभिप्रेत है उत्पादन केंद्र के सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, जैसे कि संयंत्र और मशीनरी के संचालन के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण, जिसमें उत्पादन केंद्र का स्विचयार्ड और उत्पादन केंद्र के भीतर ट्रांसफार्मर की हानियां शामिल हैं, जिसे उत्पादन केंद्र की सभी इकाइयों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता हैः

परंतु यह कि, सहायक ऊर्जा खपत में, उत्पादन स्टेशन पर आवासीय कॉलोनी और अन्य सुविधाओं को विद्युत आपूर्ति के लिए उपभोग की गई ऊर्जा और उत्पादन स्टेशन पर निर्माण कार्यों के लिए उपभोग की गई ऊर्जा शामिल नहीं होगीः

परंतु यह और कि, पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए सहायक ऊर्जा खपत, सीवेज उपचार संयंत्र और बाहरी कोयला हैंडलिंग संयंत्र (जेटी और संबंधित बुनियादी ढांचे) पर अलग से विचार किया जाएगा;

3.10. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में किसी अवधि के संबंध में **''उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए सहायक ऊर्जा खपत'' या ''एयूएक्सई''** से अभिप्रेत है इस विनियमन (एयूएक्सई) के मुख्य खंड के अंतर्गत सहायक ऊर्जा खपत के अतिरिक्त, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा है; तथापि, ''एयूएक्सई'', की गणना के प्रयोजन के लिए ईसीआर पर विचार नहीं किया

जाएगा और ऊर्जा प्रभार पर इसके प्रभाव को, ईसीआर के माध्यम से पूरक टैरिफ के द्वारा निपटाया जाएगा;

3.11. उप–स्टेशन के मामले में किसी अवधि के संबंध में **''उप–स्टेशन में सहायक ऊर्जा खपत'' या ''एयूएक्सएस''** से अभिप्रेत है उप–स्टेशन की प्रकाश व्यवस्था, बैटरी चार्जिंग और सहायक उपकरणों के लिए खपत की गई ऊर्जा की मात्रा, जिसमें आवासीय कॉलोनी में खपत की गई ऊर्जा को छोडकर उप–स्टेशन के नियंत्रण कक्ष में खपत शामिल है;

3.12. **''विलंबित भुगतान अधिभार की आधार दर''** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के लिए उधार दर पर आधारित निधियों की सीमांत लागत, जो वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल माह से लागू होगी, जिसमें अवधि तथा पांच प्रतिशत की दर निहित है, और उधार दर आधारित निधियों की उपलब्धता के अभाव में, कोई अन्य व्यवस्था, जो प्रतिस्थापित किया जाये, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये, लागू होंगीः

परंतु यह कि, यदि चूक की अवधि, दो या अधिक वित्तीय वर्षों में आती है, तो विलंबित भुगतान अधिभार की दर, अलग–अलग वर्षों में पड़ने वाली अवधि के लिए अलग–अलग गणना की जाएगी।

3.13. **''बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ'' या ''बीईएसएस परियोजना''** से अभिप्राय होगा, उपयोगित पद्धति एवं तकनीकी प्रणालियों (प्रणालियों)/परियोजना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी जैसे कि (एसिड, लिवोन, ठोस अवस्था बैटरी, फ्लो बैटरी आदि) सुविधा उपलब्ध करती है कि विद्युत के रूप में रासायनिक ऊर्जा भंडारण और संग्रहीत ऊर्जा को प्राप्त कर सके, जिसमें सहायक सुविधाएं (उदाहरण के लिए, ग्रिड समर्थन) शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

3.14. **''हितग्राही (लाभार्थी)'' :**

(क) किसी **उत्पादन केंद्र** के संबंध में अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो स्टेशन द्वारा उत्पादित बिजली, वार्षिक नियत प्रभार और/या ऊर्जा प्रभार का भुगतान करके बिजली क्रय करता है;

(ख) **पारेषण प्रणाली** के संबंध में अभिप्रेत है दीर्घकालिक एवं मध्यमकालिक खुली पहुंच उपभोक्ता, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यान्तरिक खुली पंहुच) विनियम, 2011, समय–समय पर यथा संशोधित, में परिभाषित है, तथा इसमें ऐसे वितरण लाइसेंसधारी शामिल हैं, जिनका एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी के साथ पारेषण सेवा अनुबंध है;

(ग) **वितरण तार व्यवसाय** के संबंध में, आपूर्ति कंपनी या लाइसेंसधारी या उपभोक्ता, जैसी भी स्थिति हो;

(घ) **खुदरा आपूर्ति व्यवसाय** के संबंध में, उपभोक्ता

(ड.) **एसएलडीसी** के संबंध में, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या खुले पहुंच उपभोक्ता, जो बिजली के पारेषण के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करते हैं और/या बिजली के संचालन के लिए राज्य में लाइसेंस की वितरण प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसी भी स्थिति हो, और/या शेड्यूलिंग और वास्तविक–समय ग्रिड संचालन, राज्य ऊर्जा लेखांकन, पूल खाते के संचालन आदि से संबंधित एसएलडीसी की सेवाओं का लाभ उठाते हैं;

3.15. **''पूंजीगत लागत''** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत, जो कि यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या पारेषण या वितरण प्रणाली के संबंध में विनियम 18 में तथा एकीकृत खानों के संबंध में विनियम 54 में परिभाषित है;

3.16. **''पूंजी निवेश योजना''** में विनियम 7 में यथा विनिर्दिष्ट तत्व शामिल होंगे;

3.17. **''कानून में परिवर्तन''** से अभिप्रेत है निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना है :

(1) भारतीय कानून का अधिनियमन, प्रवृत्त करना, अंगीकृत करना, प्रख्यापित करना, संशोधन, उपांतरण या निरसन; या

(2) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अंगीकृत करना, संशोधित करना, उपान्तरण करना, निरसन करना या पुनः अधिनियमित करना;

(3) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी संस्था द्वारा भारतीय कानून की व्याख्या में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या के लिए कानून के अंतर्गत अंतिम प्राधिकारी है; या

(4) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा, परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त किसी सहमति या अनुमति या अनुमोदन या लाइसेंस की किसी शर्त या अनुबंध में परिवर्तन;

(5) भारत सरकार और किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते या संधि में परिवर्तन या प्रवृत्त करना, जिसका इन विनियमों के तहत विनियमित उत्पादन स्टेशन या लाइसेंसधारियों या एसएलडीसी पर प्रभाव पड़ता हो;

3.18. **''आयोग''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

3.19. **''नियंत्रण अवधि''** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा निर्धारित बहु–वर्षीय अवधि, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2030 तक है ;

3.20. **''कट–ऑफ तिथि''** से अभिप्रेत है एकीकृत खदानों के मामले को छोड़कर परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से छत्तीस महीने के बाद समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन ;

3.21 एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि''** से अभिप्रेत है उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित कोयला उत्खनन की तिथि से है, जैसी भी स्थिति हो;

3.22. **''वाणिज्यिक संचालन की तिथि''** या **''सीओडी''** से अभिप्रेत है :

(i) ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन की किसी इकाई या ब्लॉक के संबंध में, लाभार्थियों को विधिवत सूचना देने के बाद सफल परीक्षण के माध्यम से अधिकतम सतत रेटिंग (एमसीआर) या स्थापित क्षमता (आईसी) का प्रदर्शन करने के बाद उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तिथि, जिसमें से 00:00 बजे से भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी)/छ.ग.राज्य ग्रिड कोड के अनुसार समय–समय पर संशोधित अनुसूची प्रक्रिया, पूरी तरह से कार्यान्वित की जाती है, और समग्र रूप से उत्पादन स्टेशन के संबंध में, उत्पादन स्टेशन की अंतिम इकाई या ब्लॉक के वाणिज्यिक संचालन की तिथि;

(ii) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संबंध में सीओडी से अभिप्रेत है उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली को उपयोग में लाने की तिथि और पर्यावरण मानक है, जिसमें ''उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली'' का अर्थ उपकरणों या युक्तियों का एक समुच्चय है, जिसे पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई में स्थापित किया जाना आवश्यक है;

(iii) एकीकृत खान(खानों) के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अभिप्राय, निम्नलिखित में से, जो भी पहले हो, से होगा :–

(क) उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली तारीख, जिसमें खनन योजना के अनुसार अधिकतम निर्धारित क्षमता का 25 प्रतिशत प्राप्त किया जाता है; या

(ख) उस वर्ष के बाद वाले वर्ष की पहली तारीख, जिसमें इन विनियमों के अनुसार अनुमानित उत्पादन का मूल्य, उस वर्ष तक के कुल व्यय से अधिक हो; या

(ग) उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की तिथि :

परंतु यह कि, उपर्युक्त उप–खण्ड (क) से (ग) के अंतर्गत किसी भी घटना के शीघ्र घटित होने पर, उत्पादन कंपनी, अंतिम उपयोगकर्ता या संबद्ध उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के लाभार्थियों को एक सप्ताह पूर्व सूचना देते हुए, संबंधित उप–खण्ड के अंतर्गत एकीकृत खान (खानों) के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि घोषित करेगी;

परंतु यह और कि, यदि एकीकृत खान, वाणिज्यिक प्रचालन के लिए तैयार है, किन्तु उत्पादन कंपनी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों या खान

डेवलपर और ऑपरेटर के कारण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा करने से रोका जाता है, तो आयोग, उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रूप में ऐसी अन्य तारीख को मंजूरी दे सकता है, जिसे इस विनियमन के खंड (v) के किसी भी उप–खंड के तहत वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा को रोकने वाले प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद उचित माना जा सकता है;

परंतु यह भी कि, ऐसे मामलों में जहां प्रस्तावित सीओडी, 01.04.2026 को या उसके बाद है, पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत वाणिज्यिक संचालन की तारीख का अनुमोदन चाहने वाली उत्पादन कंपनी, एकीकृत खान(नों) के अंतिम उपयोगकर्ता या संबद्ध उत्पादन स्टेशन(नों) के लाभार्थियों को वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बारे में एक महीने का पूर्व नोटिस देगी;

(iv) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन की एक इकाई के संबंध में, जनरेटिंग कंपनी द्वारा 00:00 बजे से घोषित तिथि, जिसके लाभार्थियों को विधिवत नोटिस देने के बाद, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी)/छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड कोड के अनुसार शेड्यूलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यान्वित की जाती है, और समग्र रूप से उत्पादन स्टेशन के संबंध में, उत्पादन कंपनी द्वारा लाभार्थियों को विधिवत नोटिस देने के बाद, सफल परीक्षण के माध्यम से उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता के अनुरूप पीकिंग क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद घोषित तिथि;

टिप्पणी :

1. यदि तालाब या भंडारण के साथ हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन, अपर्याप्त जलाशय या तालाब स्तर के कारण स्थापित क्षमता के अनुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है, तो उत्पादन स्टेशन की अंतिम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तारीख को पूरे उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तारीख के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे जनरेटिंग यूनिट या जनरेटिंग स्टेशन की स्थापित क्षमता के बराबर पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करें, जब भी पूर्ण जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो;

2. विशुद्ध रूप से नदी–प्रवाह जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, यदि इकाई या उत्पादन स्टेशन को कम प्रवाह अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित किया जाता है, जब जल ऐसे प्रदर्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो ऐसे जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या इकाई के लिए यह अनिवार्य होगा कि जब भी पर्याप्त प्रवाह उपलब्ध हो, तो वे स्थापित क्षमता के समतुल्य पिकिंग क्षमता का प्रदर्शन करें;

(v) पारेषण प्रणाली के संबंध में, एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा घोषित तिथि, जिसमें से 00:00 बजे पारेषण प्रणाली का एक तत्व, प्रेषक छोर से प्राप्तकर्ता छोर तक विद्युत और संचार सिग्नल पारेषित करने के लिए सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के बाद नियमित सेवा में है;

परंतु यह कि, जहां पारेषण लाइन या उपस्टेशन, किसी विशिष्ट उत्पादन स्टेशन से विद्युत की निकासी के लिए समर्पित है, वहां उत्पादन कंपनी और पारेषण लाइसेंसधारी, जहां तक संभव हो, उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली को एक साथ चालू करने का प्रयास करेंगे;

परंतु यह और कि यह तारीख, कैलेंडर माह का पहला दिन होगा और इसकी उपलब्धता का हिसाब उसी तारीख से लगाया जाएगा;

परंतु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली का कोई अवयव, नियमित सेवा के लिए तैयार है, किन्तु उसे ऐसी सेवा प्रदान करने से ऐसे कारणों से रोका जाता है, जो पारेषण लाइसेंसधारी, उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के कारण नहीं हैं, तो आयोग, अवयव के नियमित सेवा में आने से पहले वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को अनुमोदित कर सकता है;

(vi) संचार प्रणाली या उसके घटक के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन की तिथि का तात्पर्य ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा घोषित तिथि से होगा, जो 00:00 बजे से होगी, जिस दिन संबंधित राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा प्रमाणित संबंधित नियंत्रण केंद्र को वाईस और डेटा के हस्तांतरण सहित साइट स्वीकृति परीक्षण पूरा होने के बाद संचार प्रणाली या घटक को सेवा में रखा जाता है;

(vii) वितरण प्रणाली के संबंध में, अभिप्रेत है उपस्टेशनों की विद्युत लाइनों को उसके घोषित वोल्टेज स्तर तक चार्ज करने की तिथि :

परंतु यह कि, ऐसे मामलों में जहां लाइन/सबस्टेशन को चार्जिंग के लिए तैयार घोषित किया गया है, किन्तु लाइसेंसधारी, उन कारणों से चार्ज करने में सक्षम नहीं है, जिसके लिये लाइसेंसधारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसी लाइन (लाइनों)/सबस्टेशनों के संबंध में "प्रचालन की तारीख" को लाइन (लाइनों)/सबस्टेशनों को चार्जिंग के लिए तैयार घोषित किए जाने के सात दिन बाद माना जाएगा।

3.23 **"दिन"** से अभिप्रेत है 00:00 बजे से शुरू होने वाली 24 घंटे की अवधि;

3.24. इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ के प्रयोजन के लिए **"डी–कैपिटलाइजेशन"** से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा स्वीकार की गई परिसंपत्तियों के निष्कासन या विलोपन के अनुरूप परियोजना की सकल स्थिर परिसंपत्तियों में कमी;

3.25. किसी उत्पादन स्टेशन के संबंध में **''घोषित क्षमता''** या **''डीसी''** से अभिप्रेत है ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा दिन के किसी भी समय–खंड या पूरे दिन के संबंध में मेगावाट में एक्स–बस बिजली देने की घोषित क्षमता, जिसमें ईंधन या जल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है, तथा जो संबंधित विनियम में अग्रतर योग्यता के अध्यधीन है;

3.26. **''डी–कमीशनिंग''** से अभिप्रेत है किसी उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई या संचार प्रणाली या उसके अवयव सहित पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली या उसके अवयव सहित भार प्रेषण केंद्र उपकरण या वितरण प्रणाली या उसके अवयव सहित उपकरण को सेवा से हटाना, जब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकृ त एजेंसी द्वारा, या तो स्वयं या परियोजना डेवलपर या लाभार्थियों या दोनों द्वारा किए गए आवेदन पर, यह प्रमाणित कर दिया जाए कि तकनीकी अप्रचलन या अलाभकारी संचालन या इन कारकों के संयोजन के कारण परिसंपत्तियों के गैर–निष्पादन के कारण, परियोजना का संचालन नहीं किया जा सकता है;

3.27. हाइड्रों जनरेटिंग स्टेशन के मामले में **''डिजाईन ऊर्जा''** से अभिप्रेत है ऊर्जा की वह मात्रा, जो जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पन्न की जा सकती है ;

3.28. **''वितरण तार व्यवसाय''** से अभिप्रेत है वितरण लाइसेंसधारियों के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के संवहन के लिए वितरण प्रणाली के संचालन और अनुरक्षण का व्यवसाय;

3.29. **''ईआरसी''** से अभिप्रेत है टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व, जिसे लाइसेंसधारी को वसूलने की अनुमति है ;

3.30. एकीकृत खदान के संदर्भ में **''एस्क्रो खाता''** से अभिप्रेत है एकीकृत खदानों के खदान बंद करने के व्यय (माइन क्लोजर एक्सपेन्सेस) हेतु जमा और निकासी के लिए खाते, जो कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संधारित किया जाता है;

3.31. **''विद्यमान जनरेटिंग स्टेशन (उत्पादन केन्द्र)''** से अभिप्रेत है दिनांक 01.04.2026 से पूर्व की तिथि पर वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित उत्पादन केन्द्र ;

3.32. **''विद्यमान परियोजना''** से अभिप्रेत है दिनांक 01.04.2026 से पूर्व की तिथि पर वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत घोषित परियोजना ;

3.33. **''उपगत व्यय''** से अभिप्रेत है वह निधि, चाहे वह इक्विटी हो या ऋण या अनुदान या उपभोक्ता अंशदान या इनका संयोजन, जिसे वास्तव में किसी उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए नियोजित किया गया हो ;

3.34. **''विस्तारित जीवन''** से अभिप्रेत है किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई या पारेषण प्रणाली या उसके घटक के उपयोगी या परिचालन जीवन अवधि से परे जीवन, जैसा कि आयोग द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर निर्धारित किया जाये;

3.35. **''शुल्क''** से अभिप्रेत है एसएलडीसी द्वारा अपनी ओर से या आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य खाते से एकत्रित एकमुश्त या वार्षिक निश्चित भुगतान;

3.36. **''अप्रत्याशित घटना''** से अभिप्रेत है ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों या घटनाओं या परिस्थितियों का संयोजन, जो संबंधित अंतर–राज्यीय उपयोगकर्ता के नियंत्रण से परे हैं, जिनका वे पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे या जिन्हें उचित परिश्रम के साथ भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था या जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, और जो पक्षों के प्रदर्शन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसे कि :

(i) दैवीय कृत्य, जिनमें बिजली, आग और विस्फोट, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, भूवैज्ञानिक आश्चर्य, सूखा, भूकंप, महामारी, लॉकडाउन शामिल हैं; या

(ii) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या किसी विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई; या

(iii) हड़तालें और औद्योगिक उपद्रव, जिनका लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में राज्यव्यापी या व्यापक प्रभाव हो, किन्तु लाइसेंसधारी के अपने संगठन में हड़तालें और औद्योगिक उपद्रव इसमें शामिल नहीं हैं;

(iv) ग्रिड विफलता, जो संबंधित एजेंसियों के कारण न हो;

3.37. तापीय उत्पादन केन्द्र (थर्मल जनरेटिंग स्टेशन) के संबंध में **''सकल कैलोरी मान'' या ''जीसीवी''** से अभिप्रेत है, यथास्थिति, एक किलोग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर तरल ईंधन या एक मानक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन से किलो केल (kCal) में उत्पन्न ऊष्मा;

3.38. **''सकल स्टेशन ताप दर'' या ''एसएचआर''** से अभिप्रेत है किसी तापीय उत्पादन स्टेशन के जनरेटर टर्मिनलों पर एक किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु अपेक्षित किलो केल (kCal) में ताप ऊर्जा इनपुट;

3.39. **''भारतीय सरकारी संस्था''** से अभिप्रेत है भारत सरकार, राज्य सरकार (जहां परियोजना स्थित है) और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग, बोर्ड या एजेंसी, अथवा स्थानीय सरकार, जहां परियोजना स्थित है, या भारत में प्रासंगिक कानूनों के तहत गठित अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण;

3.40. **''अशक्त विद्युत''** से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन केंद्र की इकाई(यों) के वाणिज्यिक संचालन से पूर्व ग्रिड में संक्रमित विद्युत;

3.41. **''इनपुट मूल्य''** से अभिप्रेत है एकीकृत खदानों से प्राप्त कोयले का मूल्य, जिस पर कोयला, उत्पादन स्टेशन को हस्तांतरित किया जाता है, ताकि लाभार्थियों को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए ऊर्जा शुल्क की गणना की जा सके और इन विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सके।

3.42. **''संस्थापित क्षमता'' या ''आईसी''** से अभिप्रेत है, जनरेटर टर्मिनलों पर गणना की गई उत्पादन क्षमता, जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये, जो उत्पादन स्टेशन की सभी इकाइयों की नामांकित क्षमता के योग की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है;

3.43. **''एकीकृत खान''** से अभिप्रेत है कैप्टिव खान (एक या अधिक निर्दिष्ट उत्पादन केन्द्रों में उपयोग के लिए आबंटित) या बास्केट खान (किसी उत्पादन कम्पनी को उसके किसी उत्पादन केन्द्र में उपयोग के लिए आबंटित) या दोनों, जिसका विकास, लाभार्थियों को बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए एक या अधिक निर्दिष्ट अंतिम उपयोग उत्पादन केन्द्रों को कोयला आपूर्ति करने हेतु, उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा रहा है ;

3.44. **''अंतर–राज्यीय क्रेता''** से अभिप्रेत है वितरण लाइसेंसधारी या विद्युत व्यापारी या थोक उपभोक्ता या कैप्टिव उपयोगकर्ता, जो अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली का उपयोग करके खुली पहुंच के माध्यम से विद्युत प्राप्त करता है, जिसमें ऐसी प्रणाली भी शामिल है जब इसका उपयोग अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयोजन में किया जाता है और जिसका शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वयन एसएलडीसी द्वारा किया जाता है ;

3.45. **''अंतर–राज्यीय इकाई''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिनकी शेड्यूलिंग, मोटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वय एसएलडीसी द्वारा किया जाता है;

3.46, **''अंतर–राज्यीय बाजार परिचालन कार्य''** में शेड्यूलिंग, डिस्पैच, मीटरिंग, डेटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन और सेटलमेंट (निपटान), ट्रांसमिशन हानि गणना और आबंटन, पूल खाते और कॉन्जेषन चार्ज खाते का संचालन, सहायक सेवाओं का प्रशासन, सूचना प्रसार और अधिनियम द्वारा एसएलडीसी को या आयोग के विनियमों और विनियमों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य शामिल हैं;

3.47. **''अंतर–राज्यीय विक्रेता''** से अभिप्रेत है ऐसा उत्पादन केंद्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या वितरण लाइसेंसधारी या बिजली व्यापारी षामिल है, जो अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली द्वारा खुली पहुंच के माध्यम से बिजली की आपूर्ति करता है, जिसमें ऐसी प्रणाली शामिल है, जब अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है और जिसका शेड्यूलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वयन एसएलडीसी द्वारा किया जाता है;

3.48. **''अंतर–राज्यीय उपयोगकर्ता''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसका विद्युत संयंत्र, 33 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर राज्य ग्रिड से जुड़ा है, जैसे कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (सीटीयू और एसटीयू के अलावा) सहित उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उपयोगकर्ता सहित कोई गैर–राज्यीय लाइसेंसधारी या थोक उपभोक्ता;

3.49, **''भूमिगत ईंधन लागत''** से अभिप्रेत है कोयला (सह–फायरिंग के मामले में बायोमास सहित), लिग्नाइट या उत्पादन संयंत्र के उतराई बिंदु पर वितरित गैस की कुल लागत, और इसमें आधार मूल्य या इनपुट मूल्य, वाशरी प्रभार, जहां भी लागू हो, परिवहन लागत (विदेशी या अंतर्देशीय या दोनों) और हैंडलिंग लागत, चेसेज, थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रभार, और लागू वैधानिक शुल्क, और आयातित कोयले पर उपगत विलंब प्रभार, यदि कोई हो, को छोड़कर, शामिल होंगे ;

3.50. एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''लोडिंग प्वाइंट''** से अभिप्रेत है यथास्थिति, रेलवे साइडिंग या साइलो या कोयला हैंडलिंग प्लांट या कन्वेयर बेल्ट जैसी अन्य व्यवस्था, जो भी खदान के सबसे निकटस्थ हो, कोयले के प्रेषण का स्थान ;

3.51. **''दीर्घकालिक''** से अभिप्रेत है 7 वर्ष से अधिक की अवधि;

3.52. थर्मल जनरेटिंग स्टेशन की किसी इकाई के संबंध में **''अधिकतम सतत रेटिंग'' या ''एमसीआर''** से अभिप्रेत है जनरेटर टर्मिनलों पर अधिकतम निरंतर आउटपुट, जो निर्माता द्वारा रेटेड मापदंडों पर गारंटीकृत है, जो जल या भाप इंजेक्शन (यदि लागू हो) के साथ हो और 50 हर्ट्ज ग्रिड आवृत्ति और निर्दिष्ट साईट स्थिति के लिए सही है ;

3.53. **''मध्यमकालिक''** से अभिप्रेत है 1 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक की कोई भी अवधि;

3.54. **''खान अवसंरचना''** में, एकीकृत खदानों की परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जैसे कि खनन कार्यों के लिए प्रयुक्त कोण परिसंपत्तियां, सिविल कार्य, कार्यशालाएं, अचल निर्माण उपकरण, नींव, तटबंध, फुटपाथ, विद्युत प्रणालियां, संचार प्रणालियां, राहत केंद्र, साईट प्रशासनिक कार्यालय, स्थायी भवन, खनन व्यवस्था, क्रशिंग और संवहन प्रणालियां, रेलवे साइडिंग, पीट्स, शैल्ट, ढलान, भूमिगत परिवहन प्रणालियां, ढुलाई प्रणालियां (चल उपकरण को छोड़कर, जब तक कि वह स्थायी लाभकारी उपभोग के लिए भूमि में अंतर्निहित न हो, वनरोपण के लिए सीमांकित भूमि और प्रासंगिक कानून के तहत खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (आर एंड आर) के लिए भूमि पुनर्व्यस्थापन ;

3.55 एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''खनन योजना'' या ''खान योजना''** से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी स्थिति हो, खनिज रियायत नियम, 1980, समय–समय पर यथा संषोधित, के प्रावधानों के अनुसार तैयार की

गई और खान एवं खनिज (विकास एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1957 धारा 12 की उप–धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत अनुमोदित योजना ;

3.56. **''नवीन उत्पादन स्टेशन''** से अभिप्रेत है वह स्टेशन, जो 1.4.2026 को सीओडी प्राप्त कर रहा है या 1.4.2026 को या उसके बाद सीओडी प्राप्त करने का अनुमान है;

3.57. किसी उत्पादन केंद्र के संबंध में **''मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक'' या ''एनएपीएएफ''** से अभिप्रेत है तापीय उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 42 में और जल विद्युत उत्पादन केंद्र के लिए विनियम 43 में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक;

3.58. **''प्रचालन एवं रखरखाव व्यय'' या ''ओ एंड एम व्यय''** से अभिप्रेत है परियोजना या उसके किसी भाग के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय, तथा इसमें जनशक्ति व्यय, मरम्मत एवं रखरखाव पुर्जे, उपभोग्य वस्तुएं, बीमा और सामान्य उपरिव्यय शामिल हैं:

इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, ओ एंड एम व्यय, मानव संसाधन और एम एंड जी व्यय का कुल योग है, जिनका निपटारा प्रासंगिक विनियमों द्वारा किया गया है:

परंतु यह कि, एकीकृत खदानों के लिए, प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) में उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर को भुगतान किया गया खनन प्रभार, यदि कोई हो, और खदान बंद करने का व्यय शामिल नहीं होगा;

3.59, **''मूल परियोजना लागत''** से अभिप्रेत है उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी/एसटीयू या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, आयोग द्वारा स्वीकृत कट–ऑफ तिथि तक परियोजना के मूल दायरे में किया गया पूंजीगत व्यय;

3.60. एकीकृत खान(खानों) के संबंध में **''पीक रेटेड क्षमता''** से अभिप्रेत है खनन योजना में विनिर्दिष्ट खान की पीक रेटेड क्षमता ;

3.61. **''पिट हेड जनरेटिंग स्टेशन''** से अभिप्रेत है किसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को शामिल किए बिना खदानों से जनरेटिंग स्टेशन तक कोयले के परिवहन के लिए समर्पित परिवहन प्रणाली वाली जनरेटिंग स्टेशन ;

3.62. किसी भी अवधि के लिए उत्पादन स्टेशन के संबंध में **''प्लांट उपलब्धता कारक (पीएएफ)''** से अभिप्रेत है उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिए दैनिक घोषित क्षमताओं (डीसी) का औसत, जिसे मानक सहायक ऊर्जा खपत से घटाकर मेगावाट में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

3.63. किसी निश्चित अवधि के लिए ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन या इकाई के संबंध में **''प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ)''** से अभिप्रेत है उस अवधि के दौरान शेड्यूल्ड

उत्पादन के अनुरूप भेजी गई कुल ऊर्जा, जिसे उस अवधि में संस्थापित क्षमता के अनुरूप भेजी गई ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1} SGi / \{N \times IC \times (l00-AUXn)\}\%$$

जहां,

आईसी = उत्पादन स्टेशन या इकाई की स्थापित क्षमता, मेगावाट में,

एसजीआई = अवधि के i^{th} समय ब्लॉक के लिए मेगावाट में शेड्यूल्ड उत्पादन,

एन = अवधि के दौरान समय ब्लॉकों की संख्या, और

एयूएक्स$_{\text{एन}}$ = सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मानक सहायक ऊर्जा खपत,

परंतु यह कि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों या उसके घटक के चालू होने पर, पीएलएफ की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (l00-AUXn- AUXen)\}\%$$

जहां,

एयूएक्स$_{\text{इएन}}$ = उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या उसके किसी घटक के लिए मानक सहायक ऊर्जा खपत, जिसका उपयोग सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में किया गया है;

3.64. **''परियोजना''** से अभिप्रेत है कोई उत्पादन केंद्र, जिसमें एकीकृत कोयला खदानें या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित है, तथा जल विद्युत उत्पादन केंद्र के मामले में, इसमें उत्पादन सुविधा के सभी घटक, जैसे बांध, अंतर्ग्रहण जल चालक प्रणाली, विद्युत उत्पादन केंद्र और योजना की उत्पादन इकाईयां, विद्युत उत्पादन में आबंटित, सम्मिलित हैं ;

3.65. **''पंप स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन''** से अभिप्रेत है ऐसा हाइड्रो स्टेशन, जो जल ऊर्जा के रूप में संग्रहीत ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है, जिसे निचले स्तर के जलाशय से उच्च स्तर के जलाशय में पंप किया जाता है ;

3.66. **''रेटेड वोल्टेज''** से अभिप्रेत है निर्माता द्वारा डिजाईन किया गया वोल्टेज, जिस पर ट्रांसमिशन सिस्टम को संचालित करने के लिए डिजाईन किया गया है और इसमें ऐसा निम्न वोल्टेज शामिल है, जिस पर किसी ट्रांसमिशन लाइन को चार्ज

किया जाता है या लाभार्थी के परामर्श से, कुछ समय के लिए चार्ज किया जाता है;

3.67. **''विनियमित व्यवसाय''** से अभिप्रेत है वे कार्य और गतिविधियॉ, जिन्हें लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के अनुसार या अधिनियम के अंतर्गत मान्य लाइसेंसधारी के रूप में करना आवश्यक है, और उत्पादन कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों और आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार करना आवष्यक है ;

3.68. **''खुदरा आपूर्ति व्यवसाय''** से अभिप्रेत है वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री का व्यवसाय ;

3.69. **''खुदरा आपूर्ति टैरिफ''** वह दर है, जो वितरण लाइसेंस द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए प्रभारित की जाती है और इसमें व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति सेवाओं के लिए प्रभार शामिल हैं,

3.70. **''रन–ऑफ–रिवर जनरेटिंग स्टेशन''** से अभिप्रेत है ऐसा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन, जिसमें उपर की ओर तालाब या जलमग्नता न हो;

3.71. ''**रन–ऑफ–रिवर जनरेटिंग स्टेशन विद् पोन्डेज''** से अभिप्रेत है विद्युत मांग में दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिए पर्याप्त तालाब युक्त जल विद्युत उत्पादन केंद्र,

3.72. **''षेड्यूल्ड वाणिज्यिक परिचालन तिथि'' या ''एससीओडी''** से अभिप्रेत होगा, किसी उत्पादन केंद्र या उत्पादन इकाई या उसके ब्लॉक, पारेषण प्रणाली या उसके घटक के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि (तिथियां), जैसा कि सीआईपी में दर्शाया गया हो या जैसा कि यथास्थिति, विद्युत क्रय अनुबंध या पारेषण सेवा अनुबंध में सहमति हो, जो भी पूर्वतर हो;

3.73. **''षेड्यूल्ड ऊर्जा''** से अभिप्रेत है संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्धारित ऊर्जा की मात्रा, जिसे किसी निश्चित समयावधि के लिए उत्पादन स्टेशन द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित किया जाना है ;

3.74. किसी भी समय या किसी भी अवधि या समय–ब्लॉक के लिए **''षेड्यूल्ड उत्पादन''** या **''एसजी''** से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा मेगावाट या मेगावाट घंटा एक्स–बस में दी गई उत्पादन का षेड्यूल्ड ;

3.75. **''योजना''** से अभिप्रेत है उत्पादन स्टेशन/ट्रांसमिशन प्रणाली/वितरण प्रणाली/ एसएलडीसी से संबद्ध और संस्थापित सुविधाएं और उपकरण, और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, अर्थात :–

क. कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर,

ख. सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली, जिसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट और डीसी विद्युत प्रणाली शामिल है,

ग. सामान्य टेलीफोन, फैक्स और अन्य ऑफलाइन संचार प्रणाली,

घ. अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन और भवनों का निर्माण और नवीनीकरण,

ङ. बेहतर प्रणाली संचालन के लिए कोई भी नवीन योजनाएँ, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाएँ और पायलट परियोजनाएँ, जैसे सिंक्रोफेसर, सिस्टम सुरक्षा योजना,

च. एसएलडीसी के लिए बैक–अप नियंत्रण केंद्र,

छ. निगरानी कैमरा प्रणाली, और

ज. साइबर सुरक्षा प्रणाली;

3.76. **''अल्पकालिक''** से अभिप्रेत है 15 मिनट समय ब्लॉक से लेकर 1 वर्ष तक की कोई भी अवधि;

3.77. **''एसएलडीसी प्रभार''** से अभिप्रेत है एसएलडीसी द्वारा वसूले जाने वाले आवर्ती और मासिक भुगतान;

3.78. **''प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि''** से अभिप्रेत है परियोजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ के लिए निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि, और जहां कोई तिथि नहीं दर्शाई गई है, वहां निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि माना जाएगा;

3.79. **''स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)'' या ''एसएलडीसी''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) के अंतर्गत स्थापित केन्द्र ;

3.80. **''राज्य पूल खाता''** से अभिप्रेत है विचलन प्रभार या रिएक्टिव एनर्जी एक्सचेंज (रिएक्टिव ऊर्जा खाता) या किसी अन्य ऐसे खाते से संबंधित भुगतानों के लिए राज्य खाते, जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुसार समय–समय पर एसएलडीसी द्वारा संचालित किया जा सकता है;

3.81. **''राज्य प्रणाली संचालन कार्य''** में, ग्रिड संचालन की निगरानी, अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण और प्रेषण के लिए वास्तविक समय संचालन, ग्रिड गड़बड़ी के बाद प्रणाली बहाली, प्रणाली संचालन से संबंधित डेटा संकलित करना और प्रस्तुत करना, कॉन्जेषन प्रबंधन, ब्लैक स्टार्ट समन्वय और अधिनियम और/या आयोग के नियमों और/या आदेशों द्वारा एसएलडीसी को सौंपे गए कोई अन्य कार्य शामिल हैं;

3.82. **''भंडारण अनुरूप उत्पादन स्टेशन''** से अभिप्रेत है ऐसा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन, जो मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन में परिवर्तन लाने के लिए बड़ी भंडारण क्षमता से संबद्ध है;

3.83. **''ट्रांसमिशन सेवा अनुबंध (टीएसए)''** से अभिप्रेत है ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी/एसटीयू और लाभार्थी के बीच ट्रांसमिशन प्रणाली के परिचालन चरण के लिए किया गया समझौता, अनुबंध, समझौता ज्ञापन या ऐसा कोई अन्य अनुबंध;

3.84. **''ट्रांसमिशन सिस्टम (पारेषण प्रणाली)''** से अभिप्रेत है संबद्ध उप–स्टेशन सहित या रहित लाइन या लाइनों के समूह, और इसमें पारेषण लाइनों और उप–स्टेशनों से संबद्ध उपकरण शामिल हैं;

3.85. किसी उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या उसके किसी घटक के संबंध में **''ट्रायल रन''** या **''परीक्षण संचालन''**, सीईआरसी (टैरिफ के निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 और उसके संशोधनों/अधिनियमितयों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा;

3.86. तापीय उत्पादन स्टेशन के संबंध में **''इकाई''** से अभिप्रेत है भाप जनरेटर, टरबाइन जनरेटर और सहायक उपकरण; और जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में **''इकाई''** से अभिप्रेत है टरबाइन जनरेटर और उसके सहायक उपकरण;

3.87. सीओडी से उत्पादन केंद्र, पारेषण और वितरण की किसी इकाई के संबंध में **''उपयोगी जीवन''** से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, अर्थात :–

(क) कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन	25	वर्ष
(ख) गैस/तरल ईंधन आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन	25	वर्ष
(ग) एसी और डीसी सब–स्टेशन	25	वर्ष
(घ) गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन	25	वर्ष
(ड.) पंप स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों सहित हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन	40	वर्ष
(च) ट्रांसमिशन लाइन या वितरण लाइन	35	वर्ष
(छ) ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू)	15	वर्ष
(ज) आईटी प्रणाली, स्काडा (SCADA) और संचार प्रणाली, ओपीजीडब्ल्यू को छोड़कर,	07	वर्ष
(झ) एकीकृत खदान खनन योजना के अनुसार;		

परंतु यह कि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों और जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के मामले में परिचालन जीवन, क्रमशः 35 वर्ष और 50 वर्ष हो सकेगा;

3.88. **''व्हीलिंग''** से अभिप्रेत है वह परिचालन, जिसके तहत किसी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी की ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाओं का उपयोग, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 62 के

तहत निर्धारित प्रभार के भुगतान पर बिजली के संवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है;

3.89. **''वर्ष''** से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष :

(क) **''चालू वर्ष''** से अभिप्रेत है वह वर्ष, जिसमें वार्षिक लेखा विवरण या टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन दाखिल किया जाता है;

(ख) **''आगामी वर्ष''** से अभिप्रेत है चालू वर्ष के बाद आने वाले वर्ष; और

(ग) **''पूर्व वर्ष''** से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक पहले वाले वर्ष।

3.90. शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो विनियमन में प्रयुक्त है और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में अथवा अधिनियम की धारा 176/181 के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों में अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम, नियमों और आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में उनके लिये समनुदेषित है, परंतु यह कि जब कोई शब्द या वाक्यांश, आयोग द्वारा किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो उस विशिष्ट संदर्भ में लागू अर्थ ही मान्य होगा और ऊपर दी गई सामान्य परिभाषा लागू नहीं हो सकेगी।

अध्याय–2
सामान्य सिद्धांत

4. एमवाईटी ढाँचा

4.1. इस विनियम को निर्दिष्ट करते समय आयोग, अधिनियम की धारा 61 और 62, राष्ट्रीय विद्युत नीति और राज्य में उत्पादन केंद्रों, पारेषण लाइसेंसधारी/एसटीयू, वितरण लाइसेंसधारी के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीति, राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) हेतु शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु अधिनियम की धारा 32 (3), और सीईआरसी (टैरिफ के निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 में निहित सिद्धांतों द्वारा दिषा–निर्देशित है।

परतु यह कि आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, बहु–वर्षीय टैरिफ ढाँचे के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण से ऐसी छूट प्रदान करने वाले आदेश में निहित अवधि के लिए छूट दे सकेगा, और ऐसा टैरिफ, आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित किया जाएगा।

4.2. बहु–वर्षीय टैरिफ ढांचा, उत्पादन कंपनी, एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी, एसएलडीसी, वितरण व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होगा :

(क) नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व नियंत्रण अवधि से कम अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन;

(ख) ट्रूइंग–अप तंत्र;

(ग) अनियंत्रित मदों के हस्तांतरण तंत्र;

(घ) नियंत्रणीय मदों के कारण लाभ या हानि के बंटवारे का तंत्र;

(ङ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग एआरआर और टैरिफ एवं प्रभारों का निर्धारण;

(च) एकीकृत कोयला खदान से कोयले के इनपुट मूल्य का निर्धारण।

5. याचिका दायर करने की प्रक्रिया :

5.1. बहु–वर्षीय टैरिफ याचिका, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट एआरआर के निर्धारण के सिद्धांतों के अनुपालन में, समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में, उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर की जाएगी।

5.2. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, विनियम 5.7(क)(i) के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक एमवाईटी आवेदन दायर करेंगे, जबकि वार्षिक ट्रू–अप याचिका, विनियमन 5.7(ख)(i) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवंबर तक दायर की जाएगी।

5.3. वितरण लाइसेंसधारी, विनियमन 5.7(क)(ii) के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक एमवाईटी याचिका दायर करेंगे, जबकि वार्षिक ट्रू–अप याचिका, विनियमन 5.7(ख)(ii) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवंबर तक दायर की जाएगी।

5.4. याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा अपने पिछले आदेशों में जारी निर्देशों के अनुपालन की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण, अपनी एमवाईटी याचिका और/या वार्षिक ट्रू–अप याचिका, जैसा भी लागू हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5.5. किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा की जाने वाली सभी फाइलिंग, सीएसईआरसी (लाइसेंस) विनियम, 2004, उसके संशोधनों और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। एमवाईटी फाइलिंग, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से की जाएगी, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।

5.6. प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ के निर्धारण या प्रत्येक वर्ष के लिए पहले से निर्धारित टैरिफ को जारी रखने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, समय–समय पर यथा संशोधित सीएसईआरसी (शुल्क और प्रभार) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट शुल्क संलग्न होगा। आयोग, आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और आवेदक को आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक या उससे पहले स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी होगी।

5.7. इस विनियम के अंतर्गत नियंत्रण अवधि के लिए दाखिल की जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

(क) एमवाईटी याचिका में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. उत्पादन, पारेषण और एसएलडीसी व्यवसाय के लिए –

1. पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप करना ;
2. संपूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहु–वर्षीय समग्र राजस्व आवश्यकता;
3. संपूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ और शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन;

ii. वितरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए –

1. पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप करना;

2. संपूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहु–वर्षीय समग्र राजस्व आवश्यकता;
3. विद्यमान टैरिफ और प्रभारों पर बिजली की खुदरा बिक्री से राजस्व और नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व अंतराल/अधिशेष;
4. नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित श्रेणीवार टैरिफ या शुल्क एवं प्रभारों के साथ खुदरा टैरिफ प्रस्ताव के लिए आवेदन।

यदि वितरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की लेखा पुस्तकें अलग–अलग नहीं हैं, तो इसकी कुल राजस्व आवश्यकता को विनियम 79 में विनिर्दिष्ट आवंटन मैट्रिक्स के अनुसार वितरण तार व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच विभाजित किया जाएगा।

(ख) नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के बाद और उसके बाद, वार्षिक ट्रू–अप याचिका में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i उत्पादन, पारेषण और एसएलडीसी व्यवसाय के लिए – पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए ट्रू–अप।

परंतु यह कि, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, ट्रू–अप याचिका के साथ अल्पकालिक ओपन एक्सेस ग्राहकों के लिए आगामी वर्ष के लिए ट्रांसमिशन प्रभार के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भी दाखिल करेगा;

परंतु यह और कि एसएलडीसी, ट्रू–अप याचिका के साथ आगामी वर्ष के लिए सिस्टम ऑपरेशन प्रभार (एसओसी) और मार्केट ऑपरेशन प्रभार (एमओसी) के निर्धारण हेतु प्रस्ताव भी दाखिल करेगा।

ii. वितरण तार एवं खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिये–

1. पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए ट्रूइंग–अप याचिका;
2. आगामी वर्ष के लिए संशोधित श्रेणीवार बिक्री अनुमान;
3. आगामी वर्ष के लिए संशोधित विद्युत क्रय मात्रा/लागत (यदि कोई हो), उसके विवरण सहित;
4. विद्युत क्रय लागत में संशोधन के कारण आगामी वर्ष के लिए संशोधित समग्र राजस्व आवश्यकता;
5. आगामी वर्ष के लिए विद्यमान टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व;
6. आगामी वर्ष के लिए अनुमानित संचयी राजस्व अंतराल/अधिशेष;
7. आगामी वर्ष के लिए संशोधित समग्र राजस्व आवश्यकता को पूरा करने हेतु खुदरा टैरिफ प्रस्ताव के साथ–साथ आगामी वर्ष के लिए

एआरआर के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन, साथ ही पिछले वर्ष के ट्रू–अप के बाद संचयी राजस्व अंतराल/अधिशेष।

(ग) उत्पादन कंपनी, ट्रू–अप याचिका के साथ उत्पादन केंद्र–वार निष्पादन डेटा प्रस्तुत करेगी।

(घ) किसी भी अवधि के लिए ट्रू–अप, उन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, जिनके अंतर्गत उस वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारित किया गया था;

परंतु यह कि, यदि याचिका, विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर दायर नहीं की जाती है और/या याचिका पर कार्रवाई के लिए आयोग द्वारा मांगा गया डेटा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो परिणामी देरी के कारण वहन लागत, यदि कोई हो, उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं दी जाएगी।

परंतु यह और है कि नियंत्रण अवधि (कंट्रोल पीरियड) के दौरान किसी भी समय पिटीशन फाइल की जा सकती है, यदि ऐसे अनियंत्रणीय कारकों (अनकंट्रोल फैक्टर्स) में बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ में अचानक, तीव्र और निरंतर वृद्धि हो सकती है।

(ङ) आयोग, उन पिछले वर्षों के लिए भी ट्रू–अप याचिका पर विचार करेगा, जहाँ ट्रू–अप, अनंतिम खातों के आधार पर किया गया है।

5.8. कोई उत्पादन कंपनी, इकाई या प्रक्रम या समग्र रूप से उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की अनुमानित तिथि से 120 दिवस पहले या उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अनंतिम टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका दायर कर सकेगी, जो याचिका दायर करने की तिथि तक या याचिका दायर करने से पहले की तिथि तक वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय पर आधारित होगी, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षकों/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और/या प्रमाणित किया गया हो और यथास्थिति अनंतिम टैरिफ, ऐसी इकाई या प्रक्रम या उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से लागू होगा।

5.9. उत्पादन कंपनी, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों हेतु अनुपूरक टैरिफ के लिए अलग–अलग उत्पादन स्टेशन–वार याचिका दायर करेगी।

5.10. एकीकृत खदान के संबंध में, उत्पादन कंपनी, ऐसी खदान से कोयले के इनपुट मूल्य के निर्धारण के लिए अलग–अलग खदान–वार याचिका दायर करेगी।

5.11. इन विनियमों के अनुसार, कोई उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम टैरिफ/अनुपूरक टैरिफ के निर्धारण के लिए, या उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, एक नई याचिका दायर करेगी, जिसके लिए अनंतिम टैरिफ

अनुमोदित है, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित हो।

5.12. आयोग द्वारा निर्धारित अनंतिम टैरिफ और अंतिम टैरिफ (अभिव्यक्ति टैरिफ में अनुपूरक टैरिफ शामिल है) में कोई भी अंतर, जो उत्पादन कंपनी के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगले वर्ष के लिए अंतिम टैरिफ के निर्धारण के समय या आयोग के निर्देशानुसार समायोजित किया जा सकता है।

6. याचिका का निपटान :

6.1. आयोग, समय–समय पर यथा संशोधित सीएसईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2009 सहपठित इन विनियमों के अनुसार आवेदकों की बहु–वर्षीय टैरिफ याचिका पर कार्रवाई करेगा।

6.2. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी द्वारा दायर टैरिफ याचिका की प्रतियां, आयोग के कार्यालय में और आयोग द्वारा निर्देशित आवेदक के ऐसे कार्यालयों में प्रभार के भुगतान पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

6.3. टैरिफ याचिका को, सभी हितधारकों की आसान पहुंच के लिए याचिकाकर्ता की वेबसाइट और आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में भी अपलोड किया जाएगा।

6.4. आयोग, आवेदक द्वारा प्रस्तावित एआरआर और अपेक्षित ईआरसी पर प्रचलित और प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर कार्यवाही करेगा और ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने से पहले, आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले व्यक्तियों की सुनवाई करेगा।

6.5. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, आयोग द्वारा प्रकाशन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का सारांश प्रकाशित करेंगे, जिसमें याचिका की उन मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो विभिन्न हितधारकों के लिए रुचिकर हों, कम से कम तीन समाचार पत्रों में, जिनमें से दो हिंदी में और एक अंग्रेजी में हो, जिनका राज्य या याचिकाकर्ता के क्षेत्र में व्यापक प्रसार होः

परंतु यह कि हितधारकों द्वारा सुझाव/आपत्ति दर्ज करने के लिए न्यूनतम 21 दिन का समय दिया जाएगा।

6.6. याचिकाकर्ता को, अनुमोदित टैरिफ सहित आदेश का सारांश, कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से दो हिंदी में और एक अंग्रेजी में हों, अपने आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक प्रसार संख्या वाले में, प्रकाशित कराना होगाः

परंतु यह कि ऐसा टैरिफ, उस तिथि से प्रभावी होगा, जो आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित की जाए।

6.7. आयोग, आदेश जारी करने के सात दिनों के भीतर, आदेश की एक प्रति राज्य सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादन कंपनी/लाइसेंसधारी/एसएलडीसी को भेजेगा।

7. पूंजी निवेश योजना :

7.1. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी, 30 अक्टूबर, 2025 तक आयोग के अनुमोदन के लिए पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे।

7.2. पूंजी निवेश योजना, संपूर्ण नियंत्रण अवधि को कवर करेगी, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग विवरण होंगे।

7.3. पूंजी निवेश योजना, नई उत्पादन परियोजनाओं या पारेषण/वितरण योजनाओं (लाइनों, सब–स्टेशनों, बेयस आदि के लिए) या क्षमता वृद्धि/संवर्द्धन हेतु प्रणाली संचालन या उपयोगी जीवन पूरा होने पर विद्यमान क्षमताओं का नवीनीकरण या कानून के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्य या संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु किए गए व्यय या मूल कार्यक्षेत्र में शामिल कार्यों के आस्थगित निष्पादन या दक्षता सुधार या ऐसे कार्यों के संबंध में हो सकती है, जो प्रणाली के संचालन के लिए समीचीन हो सकते हैं :

(क) पूंजी निवेश योजना में, उन चालू परियोजनाओं को अलग से दर्शाया जाएगा, जो नियंत्रण अवधि में विस्तारित होंगी, और ऐसी नई परियोजनाओं को (औचित्य सहित), जो नियंत्रण अवधि में शुरू होंगी, किंतु नियंत्रण अवधि के भीतर या उसके बाद पूरी हो सकती हैं।

(ख) पूंजी निवेश योजना में, योजना का विवरण, पूंजीगत लागत का मदवार विवरण, कार्य का औचित्य, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजी संरचना, लागत–लाभ विश्लेषण और योजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन, जैसा भी लागू हो, शामिल होगा।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्तः

i. उत्पादन कंपनी, नई परियोजनाओं के संबंध में विद्युत बिक्री व्यवस्था प्रस्तुत करेगी।

ii. विद्युत संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाएं, जो उपयोगी जीवन पूरा कर चुके हो, उत्पादन कंपनी, आरएलए अध्ययन रिपोर्ट एवं लागत–लाभ विश्लेषण अंतर्विष्ट करते हुए एक याचिका प्रस्तुत करेगी तथा विद्युत संयंत्रों की दक्षता वृद्धि हेतु बनाई गई सभी योजनाओं के लिए, उत्पादन कंपनी, लागत–लाभ विश्लेषण सहित अपेक्षित प्रदर्शन लक्ष्यों वाली एक याचिका प्रस्तुत करेगी;

iii. पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भविष्य के भार पूर्वानुमान के संबंध में विद्युत निकासी योजना और प्रणाली सुदृढीकरण योजना प्रस्तुत करेगा;

iv. वितरण लाइसेंसधारी, बिक्री पूर्वानुमान, भार पूर्वानुमान, विद्युत क्रय योजना और 24 X 7 गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय प्रस्तुत करेगा;

v. वितरण लाइसेंसधारी, बिलिंग में पारदर्शिता लाने, वितरण हानि को कम करने और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए सभी कनेक्शनों पर मीटर लगाने की योजना प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसी, टीओटीईएक्स (TOTEX) मॉडल के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव दे सकता है, और टेंडरिंग प्रोसेस का विवरण, लागत–लाभ विष्लेषण, वार्षिक व्यय का अनुमान, और उस पर विनिष्चय करने के लिए कोई भी अन्य सुसंगत जानकारी प्रस्तुत कर सकता है।

7.4. आयोग, लागत–लाभ विश्लेषण सहित विवेकपूर्ण जाँच के बाद और सभी हितधारकों को विचार / सुझाव / आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने और प्रस्तावित योजना पर सुनवाई करने तथा इस प्रकार प्राप्त आपत्तियों / सुझावों और आवेदक द्वारा प्रदान की गई किसी भी अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के बाद, पूंजी निवेश योजना को अनुमोदित करेगा।

7.5. आयोग, इन विनियमों के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने से पहले पूंजी निवेश योजना को अनुमोदित करेगा और टैरिफ आदेश में अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के प्रभाव पर विचार करेगा।

7.6. किसी भी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी, एसटीयू / ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, अनुमोदित पूंजी निवेश योजना में संशोधन के लिए आयोग से अनुरोध कर सकते हैं या अतिरिक्त सीआईपी दाखिल कर सकते हैं।

7.7. लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, जीवन और संपत्ति के लिए खतरे को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होने पर, तत्काल कार्य शुरू कर सकती है, तात्कालिकता की प्रकृति की पूर्व सूचना के अध्यधीन, प्रस्तावित कार्य और लागत अनुमान के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे सकती है। ऐसे मामलों में, आयोग की पूर्वव्यापी अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

8. कतिपय चरों (variables) के लिए विशिष्ट प्रक्षेप पथ :

8.1. आयोग, टैरिफ आदेश में ''नियंत्रणीय'' चरों के लिए प्रक्षेप पथ निर्धारित कर सकता है।

9. टैरिफ का निर्धारण :

9.1. इस विनियमन में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आयोग को, किसी भी उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के टैरिफ, उसके निर्बंधनों और शर्तों सहित, का निर्धारण करने का प्राधिकार, हमेशा स्वप्रेरणा से या आवेदक द्वारा दायर याचिका पर होगा।

9.2. किसी उत्पादन केंद्र के संबंध में टैरिफ, पूरे उत्पादन केंद्र या उत्पादन केंद्र के किसी चरण, इकाई या ब्लॉक के लिए निर्धारित किया जा सकता है, और पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ पूरे पारेषण प्रणाली या पारेषण प्रणाली के किसी भी भाग के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

9.3. वितरण लाइसेंसधारी के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ, व्हीलिंग प्रभार और विविध प्रभार पूरे वितरण प्रणाली के लिए आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।

9.4. आयोग, निम्नलिखित के लिए टैरिफ और इनपुट मूल्य तथा शुल्क एवं प्रभार निर्धारित करेगा :

(क) इन विनियमों के अध्याय–4 के अनुसार विद्युत उत्पादन;

(ख) इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार एकीकृत खदान से कोयला और लिग्नाइट;

(ग) इन विनियमों के अध्याय–6 के अनुसार विद्युत पारेषण;

(घ) इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसार वितरण व्हीलिंग व्यवसाय;

(ङ) इन विनियमों के अध्याय–8 के अनुसार खुदरा आपूर्ति व्यवसाय; और

(च) इन विनियमों के अध्याय–9 के अनुसार एसएलडीसी;

(छ) इन विनियमों के अध्याय–10 के अनुसार बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ।

10. ट्रूइंग–अप :

10.1. उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान विनियम 11 के अनुसार परिभाषित नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय वस्तुओं के ट्रूइंग–अप के अध्यधीन होगा।

10.2. उत्पादन कंपनी, एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष ट्रू–अप के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे :

परंतु यह कि, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, आयोग द्वारा यथा विहित प्रारूप में डेटा और जानकारी, लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित खातों, लेखा–पुस्तकों के उद्धरण और ऐसे अन्य विवरण, जिनकी आयोग को अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय प्रदर्शन में किसी भी भिन्नता के कारणों और सीमा का आकलन करना अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

10.3. यदि लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध नहीं हैं, तो अनंतिम ट्रू–अप अ–लेखापरीक्षित/अनंतिम खाते के आधार पर की जाएगी और ऐसी ट्रू–अप, अगली ट्रू–अप फाइलिंग के साथ लेखापरीक्षित किए गए खाते के आधार पर आगे अंतिम ट्रूइंग–अप के अध्यधीन होगा।

10.4. ट्रूइंग–अप के दायरे में, उत्पादन कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के कार्य–निष्पादन की अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ तुलना शामिल होगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) आवेदक के पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) के लेखापरीक्षित कार्य–निष्पादन की तुलना ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) के अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ, विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन, जिसमें नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ/हानि का बंटवारा और सभी अनियंत्रणीय कारकों के प्रभाव का हस्तांतरण शामिल है;

(ख) आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;

(ग) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण।

10.5. उत्पादन कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के मामले में ट्रू–अप के शुद्ध वित्तीय प्रभाव का लेखा–जोखा, आयोग द्वारा मुद्रास्फीति, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विनियम 12 और विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और इसे वार्षिक आधार पर पारित किया जाएगा।

10.6. एसएलडीसी के मामले में, जहां ट्रूइंग–अप के बाद, वसूल की गई शुल्क और प्रभार, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक/कम हो जाती है, वहां इस प्रकार वसूल की गई अतिरिक्त राशि या वसूल की जाने वाली कमी, जैसी भी स्थिति हो, अगले वर्ष के लिए शुल्क और प्रभार निर्धारित करते समय या आयोग द्वारा विनिष्चित किए गए अनुसार समायोजित की जाएगी।

10.7. इस नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने से पहले, पिछले वर्ष(वर्षों) की ट्रूइंग–अप, ऐसे लागू विनियमों/आदेशों के अनुसार शासित होगी, जिनके अंतर्गत टैरिफ आदेश पारित किया गया है।

11. नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक :

11.1. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, शब्द ''अनियंत्रणीय कारक'' में निम्नलिखित कारक शामिल होंगे, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, जो आवेदक के नियंत्रण से बाहर थे और आवेदक द्वारा कम नहीं किए जा सके :

(क) अप्रत्याशित घटनाएँ;

(ख) कानून में परिवर्तन;

(ग) न्यायिक निर्णय;

(घ) ईंधन की कीमतें;

(ङ) बिक्री मिश्रण;

(च) बिक्री की मात्रा;

(छ) बिजली खरीद दर;

(ज) मुद्रास्फीति के कारण लागत;

(झ) मानव संसाधन (एचआर) व्यय;

(ञ) आयकर, उपकर और वैधानिक शुल्क (लेवी) सहित सभी कर; और

(ट) आयोग द्वारा स्वीकार किए गए अन्य व्यय।

11.2. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, शब्द ''नियंत्रणीय कारक'' में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) किसी परियोजना के कार्यान्वयन में लागत वृद्धि के कारण पूंजीकरण, जो ऐसी परियोजना के दायरे में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक शुल्कों (लेवी) में परिवर्तन, या उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण न हो;

(ख) उत्पादन निष्पादन मानदंड जैसे संयंत्र उपलब्धता कारक, स्टेशन ताप दर, सहायक उपभोग, आदि;

(ग) विनियम 98 के अनुसार गणना की गई ऊर्जा हानियाँ;

(घ) रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय;

(ङ) निष्पादन विनियमों के मानकों में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय जहाँ छूट दी गई हो;

(च) तारों की उपलब्धता और आपूर्ति उपलब्धता में परिवर्तन।

12. अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि के हस्तांतरण के लिये तंत्र :

उत्पादक कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी को अनियंत्रणीय मदों के कारण होने वाले सकल शुद्ध लाभ/हानि को आगामी वर्ष के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से या इन विनियमों के तहत पारित आयोग के आदेश में विहित अनुसार लाभार्थियों/उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाएगा।

13. नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि को साझा करने के लिये तंत्र :

13.1. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से जुड़ी नियंत्रणीय मदों के लिए टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों और विनियम 97 के अनुसार गणना की गई ऊर्जा हानियों के संदर्भ में अति–उपलब्धि के कारण सकल शुद्ध लाभ को साझा करने की व्यवस्था, लाभार्थी/उपभोक्ता(ओं) को हस्तांतरित की जाएगी और उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, 2:1 के अनुपात में रखी जाएगी :

परंतु यह कि, राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को अपना संपूर्ण उत्पादन आपूर्ति करने वाले उत्पादन केंद्रों के मामले में, लाभ को उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

13.2. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से जुड़ी नियंत्रणीय मदों के लिए टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में कम उपलब्धि के कारण सकल शुद्ध हानि को साझा करने की व्यवस्था और विनियम 98 के अनुसार गणना की गई ऊर्जा हानि लाभार्थी/उपभोक्ता(ओं) को दी जाएगी और उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, 1:2 के अनुपात में रखी जाएगी:

परंतु यह कि, राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को अपना संपूर्ण उत्पादन आपूर्ति करने वाले उत्पादन केंद्रों के मामले में, हानि को उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच 1:1 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

14. टैरिफ आदेश :

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर, आयोग, याचिका को ऐसे संशोधनों और/या शर्तों के साथ स्वीकार कर सकता है, जिन्हें न्यायसंगत और समुचित समझा जाए और अधिनियम के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

15. टैरिफ आदेश का पालन :

15.1. इन विनियमों के अंतर्गत पारित सभी टैरिफ आदेश, अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक लागू रहेंगे।

15.2. आयोग द्वारा अनुमोदित ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) फॉर्मूले के आधार पर ईंधन लागत और बिजली खरीद के कारण समायोजन को

छोड़कर, किसी भी टैरिफ या उसके किसी भाग में सामान्यतः किसी भी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

16. सब्सिडी तंत्र :

16.1. आयोग, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सब्सिडी पर विचार किए बिना, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए लागू पूर्ण–लागत टैरिफ निर्धारित करेगा।

16.2. यदि राज्य सरकार, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी देने का निर्णय लेती है, तो वह लाइसेंसधारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम रूप से सब्सिडी जारी करेगी।

16.3. अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत देय सब्सिडी का लेखा–जोखा, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

16.4. आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी के लिए एक त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें यह निष्कर्ष दिया जाएगा कि क्या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित तिमाही में सब्सिडी की मांग उठाई गई थी, जो सब्सिडी प्राप्त श्रेणी द्वारा खपत की गई ऊर्जा और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता श्रेणी–वार प्रति यूनिट सब्सिडी, अधिनियम की धारा 65 के अनुसार सब्सिडी का वास्तविक भुगतान और देय और भुगतान की गई सब्सिडी में अंतर के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक विवरणों पर आधारित होगी।

16.5. वितरण लाइसेंसधारी को तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्ति तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी और आयोग, रिपोर्ट की जांच करेगा और विनियमन 16.4 के अनुसार, यदि कोई सुधार हो तो, उसे प्रस्तुति के तीस दिनों के भीतर, जारी करेगा।

16.6. यदि सब्सिडी का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है, तो आयोग, अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार, सब्सिडी रहित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करेगा।

16.7. यदि सब्सिडी का लेखा–जोखा और सब्सिडी के लिए बिल तैयार करना, अधिनियम या उसके तहत जारी नियमों या विनियमों के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैर–अनुपालन के लिए वितरण लाइसेंसधारी के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करेगा।

अध्याय–3
वित्तीय सिद्धांत

17. ऋण–इक्विटी अनुपात

17.1. नई परियोजनाओं के लिए, वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर 70:30 का ऋण–इक्विटी अनुपात माना जाएगाः

परंतु यह कि, यदि वास्तव में नियोजित इक्विटी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है, तो 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी को मानक ऋण माना जाएगा :

परंतु यह और कि, जहाँ वास्तव में नियोजित इक्विटी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम है, वहाँ टैरिफ निर्धारण के लिए वास्तविक इक्विटी पर माना जाएगा।

स्पष्टीकरण – परियोजना के वित्तपोषण के लिए, शेयर पूंजी जारी करते समय और अपनी मुक्त आरक्षित निधि से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश करते समय, उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, जुटाया गया प्रीमियम, यदि कोई हो, इक्विटी पर प्रतिफल की गणना के प्रयोजनार्थ चुकता पूंजी के रूप में गिना जाएगा, बषर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों का वास्तव में उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए।

17.2. विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी, प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रुपये में अभिहित की जाएगी।

17.3. परियोजना के निष्पादन के लिए प्राप्त किसी भी उपभोक्ता अंशदान/जमा कार्य/अनुदान को मानक ऋण–इक्विटी अनुपात की गणना के प्रयोजनार्थ पूंजी संरचना के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

17.4. दिनांक 01.04.2026 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित उत्पादन केंद्र और लाइसेंसधारी के मामले में, दिनांक 31.3.2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग द्वारा अनुमत ऋण–इक्विटी अनुपात माना जाएगा।

17.5. दिनांक 01.04.2026 को या उसके बाद किए गए या किए जाने वाले अनुमानित किसी भी व्यय को, जिसे आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें जीवन विस्तार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना, एकीकृत खदानों के विकास और कमीशनिंग के लिए व्यय शामिल हैं, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से चुकाया जाएगा।

17.6. पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के मामले में, परियोजना की लागत और तदनुसार ऋण–इक्विटी अनुपात की गणना, व्यक्तिगत या परियोजना के स्थान पर, लाइसेंसधारी के पारेषण या वितरण प्रणाली के संपूर्ण नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है।

17.7. एसएलडीसी व्यवसाय के लिए, हस्तांतरण की तिथि को लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित वास्तविक ऋण–इक्विटी अनुपात को एसएलडीसी की आरंभिक पूंजी लागत के लिए माना जाएगाः

परंतु यह कि जब तक एसएलडीसी, किसी सरकारी कंपनी या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निगम द्वारा संचालित न हो, तब तक एसटीयू की लेखा पुस्तकों में ऋण–इक्विटी अनुपात पर विचार किया जाएगा।

18. पूंजीगत लागत और पूंजी संरचना :

18.1. किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) किया गया या किया जाने वाला अनुमानित व्यय, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज, निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय और वित्तपोषण प्रभार, ऋण पर निर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा जोखिम में परिवर्तन के कारण कोई लाभ या हानि शामिल है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बाद स्वीकार किया गया हो;

(ख) निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)

i. निर्माण के दौरान ब्याज की गणना, ऋण निधि के निवेश की तिथि से ऋण के अनुरूप, और एससीओडी तक निधियों के विवेकपूर्ण चरणबद्ध वितरण को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

ii. एससीओडी प्राप्त करने में विलंब का कारण आईडीसी के कारण अतिरिक्त लागत के मामले में, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, को निधियों के विवेकपूर्ण चरणबद्ध उपयोग सहित ऐसे विलंब के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवष्यक होगाः

परंतु यह कि, यदि विलंब, पूरी तरह से उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, के कारण हो, तो उचित विवेकपूर्ण जांच के बाद आईडीसी को पूरी तरह से अस्वीकृत किया जा सकता है :

परंतु यह और कि, यदि विलंब उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, के कारण नहीं है, और विनियमन 11 में निर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, तो उचित विवेकपूर्ण जांच के बाद आईईडीसी की अनुमति दी जा सकती हैः

परंतु यह भी कि उचित विवेक के बाद और निधियों के विवेकपूर्ण चरणबद्धकरण को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक ऋण पर केवल आईडीसी को सीओडी से परे अनुमति दी जा सकती है, जहां तक कि विलंब को, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के नियंत्रण से परे पाया जाता है, ।

(ग) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) :

i. निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय की गणना, शून्य तिथि से और एससीओडी तक के पूर्व–संचालन व्ययों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी:

परंतु यह कि, निर्माण अवधि के दौरान एससीओडी तक जमा या अग्रिम पर ब्याज, या किसी अन्य प्राप्तियों के कारण अर्जित किसी भी राजस्व को, निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय में कमी के लिए ध्यान में रखा जा सकेगा।

ii. एससीओडी प्राप्त करने में विलंब के कारण आईईडीसी के खाते में अतिरिक्त लागतों के मामले में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी को ऐसे विलंब के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवष्यक होगा, जिसमें विलंब की अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय का विवरण और विलंब के अनुरूप वसूल की गई या वसूली योग्य निश्चित क्षति शामिल होगी:

परंतु यह कि, यदि विलंब पूरी तरह से, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के कारण हो, तो उचित विवेकपूर्ण जांच के बाद आईईडीसी को पूरी तरह से अस्वीकृत किया जा सकता है:

परंतु यह और कि, यदि विलंब, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के कारण नहीं है, और विनियमन 11 में निर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, तो उचित विवेकपूर्ण जांच के बाद आईईडीसी की अनुमति दी जा सकती है:

परंतु यह भी कि, जहां विलंब, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा नियोजित किसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के कारण हो, तो ऐसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूल की गई निष्चित क्षतिपूर्ति को पूंजीगत लागत की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

परंतु यह भी कि यदि बाद में लिक्विडेटेड डैमेज को वापस कर दिया जाता है, तो उससे जुड़ी रकम को पूंजीगत लागत में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

(घ) एसएलडीसी व्यवसाय के मामले में, नियंत्रण अवधि के लिए अनुमोदित पूंजीगत व्यय योजना के साथ हस्तांतरण की तिथि को एसएलडीसी/एसटीयू की लेखा पुस्तकों में दिखाई देने वाली पूंजीगत लागत, प्रभारों के निर्धारण का आधार होगी।

(ङ) विनियम 18.6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे; और

(च) विनियम 19 के तहत निर्धारित अतिरिक्त पूंजीगत व्ययः

परंतु यह कि, परियोजना का हिस्सा बनने वाली संपत्तियां, किन्तु उपयोग में नहीं लाई गई हैं या उपयोग में नहीं हैं, पूंजीगत लागत से बाहर रखी जाएंगी।

परंतु यह और कि यदि कोई परिसंपत्ति, कानूनी चुनौतियों से ग्रस्त है या उसे किसी वैधानिक निकाय या सरकारी एजेंसियों से मंजूरी नहीं मिली है या वह अपरिहार्य परिस्थिति के अंतर्गत आती है, तो आयोग, प्रकरण–दर–प्रकरण आधार पर यह निर्णय ले सकता है कि ऐसी परिसंपत्ति को ''उपयोग में नहीं लाई गई है या उपयोग में नहीं है'' की स्थिति में वर्गीकृत किया जाए या नहीं।

18.2. यदि उचित विवेकपूर्णता के बाद भी एससीओडी से परे समय वृद्धि स्वीकार्य नहीं हो, तो उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के साथ अनुबंधों में मूल्य परिवर्तन प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना, समय वृद्धि की अवधि के अनुरूप लागत परिवर्तन के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को, पूंजीकरण से बाहर रखा जा सकता है।

18.3. निम्नलिखित मामलों में टैरिफ निर्धारण के प्रयोजनार्थ, संबंधित परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत पर, परिसंपत्ति के अप्रयुक्त रहने की अवधि के लिए गणना की गई संचित मूल्यह्रास राशि घटाने के बाद विचार किया जाएगा :

(क) परिसंपत्ति/परिसंपत्तियां, परिसंपत्ति के सीओडी के संबंध में समय बीत जाने के बाद विनियमित व्यवसाय के परिसंपत्ति आधार का हिस्सा बन गई हैं ;

(ख) यदि परिसंपत्ति को सीओडी के बाद विनियमित व्यवसाय के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है।

18.4. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के साथ–साथ एकीकृत खानों के लिए पूंजीगत लागत, इन विनियमों में विशेष रूप से प्रदान किए गए विचलनों को छोड़कर, सामान्यतः उन्हीं सिद्धांतों का पालन करेगी, जो विनियमन 18.1 में निर्धारित किए गए हैं।

18.5. विवेकपूर्ण जाँच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत पूँजीगत लागत, टैरिफ निर्धारण का आधार बनेगी :

परंतु यह कि विवेकपूर्ण जाँच में परियोजना की पूँजीगत लागत, वित्तपोषण योजना, आईडीसी और आईईडीसी, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत वृद्धि और समय वृद्धि, और ऐसे अन्य मामलों की जाँच शामिल हो सकती है, जिन्हें आयोग टैरिफ निर्धारण के लिए उपयुक्त समझेः

परंतु यह और कि, जहाँ वास्तविक पूँजीगत लागत, स्वीकृत पूँजीगत लागत से कम है, वहाँ टैरिफ निर्धारण के लिए वास्तविक पूँजीगत लागत पर विचार किया जाएगाः

परंतु यह भी कि, स्वीकृत पूँजीगत लागत से अधिक पूँजीगत लागत में किसी भी वृद्धि पर, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच या आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच के अधीन विचार कर सकता हैः

परंतु यह भी कि, यदि किसी जल विद्युत उत्पादन केंद्र का स्थल किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके किसी विकासकर्ता को प्रदान किया जाता है, तो परियोजना स्थल आवंटित कराने के लिए परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया गया या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई भी व्यय, पूँजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगाः

परंतु यह भी कि, ऐसी जल विद्युत उत्पादन परियोजना के मामले में पूँजीगत लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) पैकेज के अनुरूप परियोजना की अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना की लागत ; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के लिए डेवलपर के योगदान की लागत;

परंतु यह भी कि, जहाँ उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के बीच किया गया दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता या पारेषण लाइसेंसधारी और लाभार्थी के बीच किया गया पारेषण सेवा समझौता, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक व्यय की अधिकतम सीमा का प्रावधान करता है, ऐसी अधिकतम सीमा और आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय में से, जो भी कम हो, उसे टैरिफ निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

18.6. पूंजीगत लागत में संयंत्र और मशीनरी लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे भी शामिल हो सकते हैं, जो निम्नलिखित अधिकतम मानदंडों के अध्यधीन हैं :

i. जनरेटिंग स्टेशन (उत्पादन केंद्र)

i. कोयला–आधारित / लिग्नाइट–आधारित तापीय उत्पादन केंद्र – 4.00 प्रतिशत

परंतु यह कि, जब भी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित की जाती हैं, या कोई एकीकृत खान चालू की जाती है, तो ऊपर दी गई समान दर पर अतिरिक्त प्रारंभिक पुर्जे अलग से स्वीकार्य होंगे।

ii. जल विद्युत उत्पादन केंद्र – 4.00 प्रतिशत

ii. पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली

i. पारेषण या वितरण लाइन – 1.00 प्रतिशत

ii. पारेषण या वितरण सब–स्टेशन

ग्रीनफिल्ड – 4.00 प्रतिशत

ब्राउनफिल्ड – 6.00 प्रतिशत

iii. श्रृंखला / समानांतर क्षतिपूर्ति उपकरण और एचवीडीसी स्टेशन –4.00 प्रतिशत

iv. गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन

ग्रीनफिल्ड – 5.00 प्रतिशत

ब्राउनफिल्ड – 7.00 प्रतिशत

v. संचार प्रणाली – 3.50 प्रतिशत

iv. स्टेटिक सिंक्रोनस कम्पनसेटर – 6.00 प्रतिशत।

18.7. पुरानी स्थिर संपत्तियों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण या जीवन विस्तार पर कोई भी व्यय, जैसा कि उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी पर लागू होता है, ऐसी प्रतिस्थापित संपत्तियों के जीएफए को मूल पूंजीगत लागत से और संपत्ति पर संचित मूल्यह्रास को कुल संचित मूल्यह्रास से घटाने के बाद विचार किया जाएगाः

परंतु यह कि, प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाली किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्राप्त बीमा राशि, यदि कोई हो, को पहले बकाया वास्तविक या मानक ऋण में समायोजित किया जाएगा; और शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग ऐसी प्रतिस्थापित संपत्ति की पूंजीगत लागत को कम करने के लिए किया जाएगा, और किसी भी अतिरिक्त शेष राशि को गैर–टैरिफ आय माना जाएगा।

18.8. किसी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों के डी–पूंजीकरण के मामले में, जैसी भी स्थिति हो, डी–पूंजीकरण की तिथि पर ऐसी परिसंपत्ति की मूल लागत

सकल स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य से घटा दी जाएगी और संबंधित ऋण और इक्विटी को उस वर्ष के बकाया ऋण और इक्विटी से क्रमशः घटा दिया जाएगा, जिसमें ऐसा डी–पूंजीकरण होता है, जिसमें उस वर्ष को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें इसे पूंजीकृत किया गया थाः

परंतु यह कि, ऐसे मामलों में जहां किसी योजना का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्ति का डी–पूंजीकरण किया जाता है और जहां ऐसी परिसंपत्ति का ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध नहीं है, डी–पूंजीकरण के मूल्य की गणना, नई परिसंपत्ति के मूल्य में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से पुरानी परिसंपत्ति के पूंजीकरण के वर्ष तक की जाएगी, जो परिसंपत्ति की प्रतिस्थापन लागत के न्यूनतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

18.9. वर्ष के दौरान औसत पूंजीगत लागत की गणना, उस वर्ष के लिए आरंभिक और समापन सकल स्थिर परिसंपत्तियों के औसत के रूप में की जाएगीः

परंतु यह कि, नए उत्पादन स्टेशन या इकाई के लिए, वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित परिसंपत्ति के लिए वर्ष के दौरान पूंजीगत लागत आनुपातिक आधार पर प्रभारित जाएगी और बाद के वर्षों के लिए, पूंजीगत लागत की गणना, औसत परिसंपत्ति आधार पर की जाएगी।

18.10. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इससे उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी के टैरिफ में वृद्धि न हो :

परंतु यह कि, ऐसे पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त कोई भी लाभ, टैरिफ निर्धारण या ट्रू–अप के समय, जैसी भी स्थिति हो, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी के लाभार्थियों को दिया जाएगा।

परंतु यह और कि, यदि कोई संपत्ति, दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत अधिग्रहित की जाती है, तो टैरिफ के निर्धारण के लिए ऐसी संपत्ति की पूंजी लागत वह लागत होगी, जिस पर संपत्ति आईबीसी मार्ग के तहत अधिग्रहित की गई है।

19. अतिरिक्त पूंजीकरण

19.1. वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद और कट–ऑफ तिथि तक, मूल कार्य क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मदों पर किए गए या किए जाने का अनुमान लगाया गया पूंजीगत व्यय, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकता हैः

i. वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा तक अप्राप्त दायित्व;

ii. निष्पादन के लिए स्थगित कार्य;

iii. विनियमन 18.6 के प्रावधानों के अधीन, मूल कार्य क्षेत्र के भीतर प्रारंभिक पूंजीगत पुर्जों की खरीद;

iv. मध्यस्थता के निर्णय को पूरा करने या किसी न्यायालय या किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देयताएँ;

v. कानून में परिवर्तन या किसी कानून का अनुपालन; और

vi. अप्रत्याशित घटना।

19.2. कट—ऑफ तिथि के बाद निम्नलिखित मदों पर किए गए पूंजीगत व्यय को आयोग, विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन, अपने विवेकानुसार, स्वीकार कर सकता है :

i. मध्यस्थता के निर्णय को पूरा करने या किसी न्यायालय या किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु देयताएँ;

ii. आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कार्यों के लिए देयताएँ, वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसी देयताओं के निर्वहन की सीमा तक; और

iii. कानून में परिवर्तन या किसी कानून का अनुपालन;

iv. अप्रत्याशित घटना;

v. राख तालाब या राख प्रबंधन प्रणाली या राख बांध को ऊपर उठाने से संबंधित आस्थगित कार्य;

vi. जल संरक्षण कार्यों के लिए पूंजी निवेश, जिसमें ताप विद्युत उत्पादन केंद्र में सीवेज उपचार संयंत्र से पानी का उपयोग शामिल है;

vii. केंद्रीय आयोग द्वारा दी गई मंजूरी के अनुरूप संयंत्र की उच्च सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता;

viii. जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं (किन्तु उत्पादन कंपनी की लापरवाही के कारण बिजली घर में बाढ़ आने के कारण नहीं) से हुई क्षति के कारण अपेक्षित कोई भी निवेश, जिसमें किसी बीमा योजना से प्राप्त आय को समायोजित करने के बाद भूवैज्ञानिक कारण भी शामिल हैं, और 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, जिसे आयोग द्वारा उत्पादन स्टेशन संचालित करने के लिए अपरिहार्य माना जाता है; और

ix. पारेषण / वितरण प्रणाली के मामले में रिले, नियंत्रण और उपकरण, कंप्यूटर प्रणाली, पावर लाइन कैरियर संचार, डीसी बैटरी, दोष स्तर में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन, आपातकालीन बहाली प्रणाली, इंसुलेटर सफाई अवसंरचना, बीमा द्वारा कवर न किए गए क्षतिग्रस्त उपकरणों का

प्रतिस्थापन जैसी मदों पर कोई अतिरिक्त निवेश और 1 करोड़ रुपये से अधिक का कोई अन्य निवेश, जो पारेषण/वितरण प्रणाली के सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो गया है;

x. 30 लाख रुपये से अधिक की पूंजीगत प्रकृति की वस्तुएं या पुर्जे का कोई निवेष, जिन्हें आयोग द्वारा *विद्युत उत्पादन* केंद्र संचालित करने के लिए अपरिहार्य माना जाता है :

परंतु यह कि, शुल्क निर्धारण के समय, एक (1) लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष की दर से पूंजीकरण का अनंतिम विचार किया जाएगा तथा उत्पादन कंपनी, ट्रू–अप के समय ऐसे पूंजीकरण का विवरण प्रस्तुत करेगा और आयोग, विवेकपूर्ण जाँच के बाद इसकी अनुमति दे सकता है :

परंतु यह और भी कि, कट–ऑफ तिथि के बाद लाई गई छोटी वस्तुओं या परिसंपत्तियों जैसे औजार और उपकरण, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे, हीट कन्वेक्टर, कंप्यूटर, गद्दे, कालीन आदि को प्राप्त करने पर किए गए किसी भी व्यय को टैरिफ और/या शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण नहीं माना जाएगा।

xi. कोयले की उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आवष्यक निवेष;

xii. कोई भी पूजीगत निवेष, जिससे जेनरेशन की लागत में पूरी तरह कमी आ सकती है।

19.3. कट–ऑफ तिथि के बाद मौजूदा परियोजना के मूल दायरे में नियोजित परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के मामले में, सकल स्थिर परिसंपत्तियों, इक्विटी, ऋण और संचयी मूल्यह्रास में आवश्यक समायोजन करने के बाद, आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजीकरण को स्वीकार किया जा सकता है, जो निम्नलिखित आधारों पर विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन है :

क. परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, परियोजना के उपयोगी जीवन के अनुरूप नहीं है और ऐसी परिसंपत्तियों का इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया गया है;

ख. परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन कानून में परिवर्तन या कानून के अनुपालन या अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण आवश्यक है;

ग. ऐसी परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने के कारण आवश्यक है; और

घ. ऐसी परिसंपत्ति या उपकरण के प्रतिस्थापन को आयोग द्वारा अन्यथा अनुमति दी गई है:

परंतु यह कि मूल दायरे में आने वाली परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने के कारण ₹20 लाख से कम के अतिरिक्त पूंजीकरण का कोई भी दावे को पूंजीगत लागत का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसे मानक संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

19.4. उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों से जुड़ी लागतों का हस्तांतरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः

क. परिसंपत्ति का निर्माण आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के अनुसार किया गया हो, सिवाय विनियम के अनुसार स्वीकृत अपवाद के;

ख. परिसंपत्ति का अधिग्रहण प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी तरीके से किया गया हो, सिवाय उन मामलों के, जहाँ मूल उपकरण विनिर्माता (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) से स्वामित्व खरीद (प्रोप्राइटरी प्रोक्योरमेंट) अपरिहार्य है;

ग. परिसंपत्ति को जियो–टैग किया गया हो और उसे स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में उचित रूप से दर्ज किया गया हो।

20. विशिष्ट परिस्थितियों में सैद्धांतिक अनुमोदनः उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी, किसी अतिरिक्त पूंजीकरण की योजना बना रही है, जो अन्यथा इन विनियमों के तहत अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में विचार के लिए योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तथापि, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे अनियंत्रणीय कारणों से लागत और समय का अनुमान पहले से संभव नहीं हो सकता है, अंतर्निहित मान्यताओं और ऐसे व्यय के औचित्य के साथ, यथास्थिति, लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों को पूर्व सूचना के बाद इस तरह के व्यय के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

21. नवीकरण और आधुनिकीकरण

21.1. उत्पादन कंपनी, जो उत्पादन स्टेशन या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवन से आगे जीवन विस्तार के उद्देश्य से उत्पादन स्टेशन या इकाई का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का आषय रखती है, उसे प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा, जिसमें संपूर्ण दायरा, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय का चरणबद्ध होना, पूर्णता की सूची, संदर्भ मूल्य स्तर, विदेशी मुद्रा घटक सहित अनुमानित समापन लागत, यदि कोई हो, विशिष्ट बोर्ड अनुमोदन, और उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी शामिल होगीः

परंतु यह कि नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आवेदन करने वाली उत्पादन कंपनी, उस विशेष उत्पादन स्टेशन या इकाई के लिए विनियम 22 के अंतर्गत विशेष भत्ते के लिए पात्र नहीं होगीः

परंतु यह और कि, नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का आषय रखने वाली उत्पादन कंपनी, ऐसे नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए लाभार्थीयों की सहमति लेगी और याचिका के साथ लाभार्थीयों का जवाब प्रस्तुत करेगी।

21.2. जहाँ उत्पादन कंपनी, नवीकरण और आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन करती है, वहाँ लागत अनुमानों की युक्तियुक्तता, वित्तपोषण योजना, पूर्णता की सूची, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, जीवन विस्तार की अपेक्षित अवधि, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया और ऐसे अन्य कारकों पर, जिन्हें आयोग द्वारा प्रासंगिक माना जाए, उचित विचार के बाद अनुमोदित किया जाएगा।

21.3. नवीकरण और आधुनिकीकरण पर किए गए या किए जाने वाले किसी भी व्यय को विनियम 18.7 के प्रावधानों के अनुरूप माना जाएगा।

22. कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए विशेष भत्ता

यदि उत्पादन केंद्र, अपनी किसी कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाई (इकाईयों) को संचालित करने का निर्णय लेता है, जिसने नवीकरण और आधुनिकीकरण में निवेश किए बिना उपयोगी जीवन पूरा कर लिया है, और इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार परिचालन प्रदर्शन मानक को पूरा करता है, तो ऐसा उत्पादन केंद्र, कानून में परिवर्तन, मध्यस्थता के निर्णय या किसी वैधानिक प्राधिकरण के निर्देशों या आदेश, या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री, और अप्रत्याशित घटना के अनुपालन से उत्पन्न पूंजीगत व्यय को छोड़कर, विनियम 20 और 22 में शामिल किसी भी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए व्यय की आवश्यकता को पूरा करने हेतु मुआवजे के रूप में रू.10.75 लाख/मेगावाट/वर्ष, की दर से वार्षिक विशेष भत्ते के लिए पात्र होगा, जो कि उत्पादन केंद्र या उसकी किसी इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 25 वर्ष पूरे होने के बाद होगा।

परंतु यह कि, पूंजीगत लागत में कोई ऊपरी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और लागू परिचालन मानदंडों को षिथिल नहीं की जाएगी, किन्तु विशेष भत्ता वार्षिक स्थिर लागत में शामिल किया जाएगा;

परंतु यह भी कि, पूंजीगत कार्यों की स्थिति के आधार पर, विशेष भत्ते को एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता हैः

परंतु यह भी कि ऐसे उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई के लिए विशेष भत्ता उपलब्ध नहीं होगा, जिसका नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा चुका है और आयोग द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पहले व्यय स्वीकार कर लिया गया है, या ऐसे उत्पादन केंद्र या इकाई के लिए जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है या शिथिल परिचालन और निष्पादन मानदंडों के अंतर्गत प्रचालन कर रहा है।

23. उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य और अनुदान

23.1. उत्पादन कंपनी, एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के कार्य इस श्रेणी में वर्गीकृत किए जाएँगे :

(क) उपभोक्ताओं द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित सभी प्रकार के कार्य;

(ख) राज्य और/या केंद्र सरकारों आदि से प्राप्त अनुदानों का उपयोग करके कार्यान्वित सभी पूंजीगत कार्य, आदि ;

(ग) समान प्रकृति के किसी अन्य अनुदान द्वारा वित्तपोषित कार्य और ऐसी राशि, जिसे वापस करने की कोई बाध्यता नहीं है और ऐसी अनुदान राशि पर कोई ब्याज लागत नहीं जुड़ी है:

परंतु यह कि, आंशिक वित्त पोषण के मामले में, उपचार, उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) द्वारा जमा की गई धनराशि तक सीमित होगा।

23.2. ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्यय के उपचार के सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:

(क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय की अनुमति होगी;

(ख) मूल्यह्रास, इक्विटी पर प्रतिफल और मानक ऋण पर ब्याज की अनुमति नहीं होगी।

24. इक्विटी पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी)

24.1. इक्विटी पर प्रतिफल की गणना उत्पादक कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, वितरण तार व्यवसाय और एसएलडीसी के लिए *विनियम 17* के अनुसार 15.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित इक्विटी आधार पर रुपये में की जाएगी।

24.2. इक्विटी पर प्रतिफल की गणना खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए *विनियम 17* के अनुसार 16.0 प्रतिशत की दर से निर्धारित इक्विटी आधार पर रुपये में की जाएगी।

24.3. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, कानून में परिवर्तन और अप्रत्याशित घटना के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण सहित मूल दायरे से परे अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में इक्विटी पर प्रतिफल की गणना, भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय सीमांत उधार लागत दर (एमसीएलआर) की आधार दर के साथ वर्ष की 1 अप्रैल को 350 आधार अंकों के योग पर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 14 प्रतिशत होगी।

24.4. यदि उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, किसी विशेष वर्ष के लिए ऊपर निर्दिष्ट मानक दर से कम दर पर इक्विटी पर प्रतिफल का दावा करती है, तो इक्विटी पर कम प्रतिफल का ऐसा दावा बिना शर्त होगा:

परंतु यह कि, इक्विटी पर कम प्रतिफल का ऐसा दावा, इस शर्त के अधीन स्वीकार किया जाएगा कि इक्विटी पर प्रतिफल में कमी उस वर्ष के लिए स्थायी रूप से छोड़ दी जाएगी और ट्रू–अप के समय इसकी प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार

25.1. विनियम 17 में दर्शाए गए तरीके से प्राप्त ऋण को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए सकल मानक ऋण माना जाएगा।

25.2. दिनांक 01.04.2026 को बकाया मानक ऋण की गणना, आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2026 तक स्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान को सकल मानक ऋण से घटाकर की जाएगी।

25.3. टैरिफ अवधि के वर्ष के लिए ऋण के पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुमत मूल्यह्रास के बराबर मानी जाएगी।

25.4. यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी द्वारा ली गई किसी भी अधिस्थगन अवधि के बावजूद, ऋण का पुनर्भुगतान, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से मानी जाएगी और अनुमत वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर होगी।

25.5. ब्याज दर, परियोजना पर लागू प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर होगीः

परंतु यह कि, यदि किसी विशेष वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं है, किन्तु मानक ऋण अभी भी बकाया है, तो अंतिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर पर विचार किया जाएगाः

परंतु यह और कि, यदि उत्पादन केंद्र या लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, के पास वास्तविक ऋण नहीं है, तो समग्र रूप से उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी की भारित औसत ब्याज दर पर विचार किया जाएगाः

परंतु यह भी कि, यदि उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी के पास समग्र रूप से वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है, तो ब्याज दर मानक आधार पर मानी जाएगी और यह संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर – एक वर्ष की अवधि) के बराबर होगीः

परंतु यह भी कि, यदि कोई नया उत्पादन केंद्र या लाइसेंसधारी, इस विनियम के प्रभावी होने की तिथि के बाद अपना संचालन शुरू करता है, और जिसके पास वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है, तो ब्याज दर, मानक आधार पर विचार किया जाएगा और यह संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर – एक वर्ष की अवधि) के बराबर होगी

परंतु यह भी कि, ट्रू–अप के समय, ब्याज दर विचाराधीन वर्ष के लिए ब्याज की भारित औसत दर होगी।

25.6. ऋण पर ब्याज की गणना, वर्ष के आरंभिक और अंतिम मानक ऋण के औसत के आधार पर की जाएगी।

25.7. विनियम 26.6 के अनुसार ब्याज राशि में उपभोक्ता अंशदान, अनुदान अथवा उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, एसएलडीसी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए जमा कार्यों द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत लागत की सीमा तक, मानक या अन्यथा, ऋण राशि पर ब्याज शामिल नहीं होगा।

25.8. उत्पादन कंपनी या एसएलडीसी या लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, ऋण को पुनर्वित्त करने का हर संभव प्रयास करेगा, जब तक कि इससे ब्याज पर शुद्ध बचत हो और उस स्थिति में, ऐसे पुनर्वित्त से जुड़ी लागत, लाभार्थियों द्वारा वहन की जाएगी और शुद्ध बचत लाभार्थियों और उत्पादन कंपनी या एसटीयू या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसी भी स्थिति हो, के बीच 2:1 के अनुपात में साझा की जाएगीः

परंतु यह कि, एसएलडीसी के मामले में, यह प्रावधान केवल उन अंतर–राज्यीय संस्थाओं पर लागू होगा, जो दीर्घकालिक आधार पर एसएलडीसी की सेवाएं ले रहे हैं:

परंतु यह और कि, पुनर्वित्त नहीं किया जाएगा यदि इसके परिणामस्वरूप ब्याज लागत में शुद्ध वृद्धि होती है या अतिरिक्त लागत की ओर ले जाने वाली किसी भी प्रतिकूल निर्बंधन और शर्तों के अधीन हैः

परंतु यह भी कि, ब्याज में शुद्ध बचत की गणना सभी निर्बंधनों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, और ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के पहले या बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के वास्तविक पोर्टफोलियो की भारित औसत ब्याज दर के आधार पर की जाएगी।

25.9. ऋणों के निर्बंधनों और शर्तों में परिवर्तन, ऐसे पुनर्वित्तपोषण की तिथि से परिलक्षित होंगे।

25.10. लाइसेंसधारी के मामले में, उपभोक्ताओं को सुरक्षा जमा पर दिया गया ब्याज समग्र राजस्व आवश्यकता के भाग के रूप में अनुमत नहीं होगा, और लाइसेंसधारी उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज देयता वहन करेगा।

26. मूल्यह्रास

26.1. मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत होगीः

परंतु यह कि, पूंजीगत लागत में विनियम 23 में विनिर्दिष्ट स्थिर परिसंपत्ति के वित्तपोषण के लिए अनुदान या उपभोक्ता अंशदान से प्राप्त धनराशि शामिल नहीं होगा।

26.2. आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर को छोड़कर परिसंपत्ति का निस्तारण मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा और परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक मूल्यह्रास की अनुमति होगी:

परंतु यह कि, आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर का निस्तारण मूल्य, शून्य माना जाएगा और परिसंपत्तियों का 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास योग्य माना जाएगा।

26.3. पट्टे पर दी गई भूमि और जल विद्युत उत्पादन केंद्र के मामले में जलाशय के लिए भूमि और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए राख–बंध के लिए भूमि के अलावा अन्य भूमि, मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति नहीं होगी और परिसंपत्ति के मूल्यह्रास योग्य मूल्य की गणना करते समय, इसकी लागत को पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा:

परंतु यह कि, विशिष्ट प्रावधानों के अध्यधीन, एकीकृत खदान के लिए भूमि पर भी मूल्यह्रास के लिए विचार किया जाएगा।

26.4. दिनांक 31.03.2026 से पहले चालू की गई मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की गणना, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर और इन विनियमों के परिशिष्ट–I में निर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से की जाएगी।

26.5. मौजूदा परियोजनाओं के मामले में, दिनांक 01.04.2026 को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य, परिसंपत्तियों के सकल मूल्यह्रास योग्य मूल्य से दिनांक 31.03.2026 तक आयोग द्वारा स्वीकार किए गए संचयी मूल्यह्रास को घटाकर निकाला जाएगा।

26.6. दिनांक 01.04.2026 को या उसके बाद चालू की गई नई परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की गणना, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर और इन विनियमों के परिशिष्ट–II में निर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप *से की जाएगी।*

26.7. उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, 31 मार्च, 2026 तक जोड़ी गई परिसंपत्तियों और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद जोड़ी गई परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास गणना, अलग–अलग प्रस्तुत करेगा।

26.8. यथास्थिति, उत्पादन स्टेशन या इकाई या पारेषण प्रणाली की कम उपलब्धता के कारण अस्वीकृत किसी भी मूल्यह्रास को, उपयोगी जीवन या विस्तारित जीवन के दौरान बाद के चरण में वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

26.9. ऐसे मामलों में जहां आयोग द्वारा किसी संयंत्र के लिए उसके उपयोगी जीवन के अंत में या उसके उपयोगी जीवन के पहले ही समाप्त हो जाने के बाद अतिरिक्त पूंजी निवेश को मंजूरी दी जाती है, तो अतिरिक्त पूंजी निवेश के संबंध में वसूली योग्य मूल्यह्रास, उत्पादन कंपनी के मामले में शेष अनुमानित परिचालन जीवन या पंद्रह वर्ष, जो भी कम हो, पर परिव्याप्त किया जाएगा, और लाइसेंसधारी के मामले में,

आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद, शेष अनुमानित परिचालन जीवन या दस वर्ष, जो भी कम हो, पर परिव्याप्त किया जाएगा।

26.10. जब तक किसी सरकारी कंपनी या किसी प्राधिकरण या निगम को एसएलडीसी के संचालन के लिए अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक मूल्यह्रास की गणना इन विनियमों के अंतर्गत एसटीयू के लिए लागू अनुसार की जाएगी:

परंतु यह कि, एसएलडीसी के लिए स्थानांतरण की तिथि पर शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य, स्थानांतरण की तिथि पर एसएलडीसी की लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित परिसंपत्तियों के सकल मूल्यह्रास योग्य मूल्य से संचयी मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाएगा।

26.11. मूल्यह्रास वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से प्रभार्य होगा और वर्ष के दौरान औसत परिसंपत्ति आधार पर गणना की जाएगी:

परंतु यह कि, नए उत्पादन केंद्र या इकाई, पारेषण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी की परिसंपत्तियों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी नई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति को वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित किए जाने के पहले वर्ष के दौरान दिन–वार आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा:

परंतु यह कि, बाद के वर्षों के लिए, मूल्यह्रास की गणना, वर्ष के दौरान औसत परिसंपत्ति आधार पर की जाएगी।

26.12. किसी मौजूदा उत्पादन केंद्र, जिसने अभी अपना उपयोगी जीवन पूरा नहीं किया है, या किसी नए उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई, जहाँ उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि, उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद की है, के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के मूल्यह्रास की गणना, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर ऐसी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि से इन विनियमों के परिशिष्ट–I में निर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से की जाएगी:

परंतु यह कि, उस वर्ष के 31 मार्च को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य, जिसमें उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का सत्तर प्रतिशत तक मूल्यह्रास किया गया है, उत्पादन केंद्र के शेष परिचालन जीवन पर परिव्याप्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि, यदि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि, उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई के वाणिज्यिक संचालन के 20वें वर्ष के बाद, किन्तु उत्पादन केंद्र के उपयोगी जीवन के पूरा होने से पहले है, तो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली पर मूल्यह्रास की गणना, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर ऐसी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि से, 10 प्रतिशत का बचाव मूल्य के साथ, वार्षिक रूप से की जाएगी, और मूल्यह्रास योग्य मूल्य, उत्पादन केंद्र के परिचालन जीवन तक वसूल किया जाएगा।

परंतु यह भी कि, यदि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि, उत्पादन केंद्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति की तिथि के बाद की है, तो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, ऐसे उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के बचाव मूल्य के साथ, गणना किया जाएगा और दस वर्षों या उत्पादन कंपनी और लाभार्थी/लाभार्थियों द्वारा परस्पर सहमत अवधि, जो भी अधिक हो, में वसूल किया जाएगा।

27. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

27.1. मानक कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए :

i. कोयले की लागत, यदि लागू हो, तो पिट–हेड उत्पादन केंद्रों के लिए 10 दिनों के लिए और गैर–पिट–हेड उत्पादन केंद्रों के लिए 20 दिनों के लिए, मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक या अधिकतम कोयला स्टॉक भंडारण क्षमता, जो भी कम हो, के अनुरूप उत्पादन के लिए; साथ ही;

ii. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अनुरूप उत्पादन हेतु कोयले की लागत के लिए 30 दिनों का अग्रिम भुगतान; साथ ही

iii. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अनुरूप उत्पादन हेतु एक माह के लिए द्वितीयक ईंधन तेल की लागत, और एक से अधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपयोग की स्थिति में, मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल के लिए ईंधन तेल स्टॉक की लागत; साथ ही

iv. 15 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

v. विनियमन 40.5.ii.1 में निर्दिष्ट रखरखाव एवं रखरखाव व्यय के 20 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण; साथ ही

vi. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर गणना की गई बिजली की बिक्री के लिए 45 दिनों के क्षमता शुल्क और ऊर्जा प्रभार के बराबर प्राप्यः

परंतु यह और कि, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के सीओडी पर निम्नलिखित घटक पर अतिरिक्त रूप से विचार किया जाएगाः

क. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अनुरूप 20 दिनों के स्टॉक के लिए चूना पत्थर या अभिकर्मक की लागत; साथ ही

ख. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अनुरूप उत्पादन के लिए अभिकर्मक की लागत के लिए 30 दिनों के लिए अग्रिम भुगतान; साथ ही

ग. मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर गणना की गई बिजली की बिक्री के लिए पूरक क्षमता शुल्क और पूरक ऊर्जा शुल्क के 45 दिनों के बराबर प्राप्य; साथ ही

घ. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संबंध में 7 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

ङ. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संबंध में संचालन एवं रखरखाव व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव पुर्जे।

(ख) जल विद्युत उत्पादन केंद्र के लिए :

i. 15 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

ii. यथास्थिति, विनियमन 40.5.ii.2 या 40.5.iv में विनिर्दिष्ट रखरखाव और सामान्य व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव पुर्जे; साथ ही

iii. वार्षिक स्थिर लागत के 45 दिनों के बराबर प्राप्य।

(ग) पारेषण व्यवसाय के लिए :

i. 15 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

ii. विनियमन 72.5.i में विनिर्दिष्ट रखरखाव और सामान्य व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव पुर्जे; साथ ही

iii. 45 दिनों के ट्रांसमिशन शुल्क के बराबर प्राप्य।

(घ) वितरण व्हीलिंग व्यवसाय के लिए :

i. 15 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय ; साथ ही

ii. विनियम 82.2.i में विनिर्दिष्ट रखरखाव और सामान्य व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव पुर्जे ; साथ ही

iii. प्रचलित टैरिफ पर वितरण तारों के उपयोग के लिए शुल्क से प्राप्त वास्तवित राजस्व के एक (1) महीने के बराबर ।

(ङ) बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए :

i. 15 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

ii. विनियम 91.6.ii में विनिर्दिष्ट रखरखाव और सामान्य व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव पुर्जे; साथ ही

iii. राज्य के भीतर प्रचलित टैरिफ पर बिजली की बिक्री से प्राप्त वास्तविक राजस्व के 15 दिनों के बराबर प्राप्य।

(च) एसएलडीसी व्यवसाय के लिए:

i. 15 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

ii. विनियम 101.5.ii में विनिर्दिष्ट रखरखाव और सामान्य व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव पुर्जे; साथ ही

iii. आयोग द्वारा अनुमोदित प्रणाली संचालन शुल्क और बाजार संचालन शुल्क के 45 दिनों के बराबर प्राप्य।

27.2. ट्रू–अप के समय, उत्पादन कंपनी, लाइसेंसधारी और एसएलडीसी के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना, ट्रू–अप के बाद अनुमोदित कार्यशील पूंजी के विभिन्न घटकों के संशोधित मानक मूल्यों के आधार पर की जाएगीः

परंतु यह कि, ट्रू–अप के समय, उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वितरण व्हीलिंग व्यवसाय और एसएलडीसी की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए प्राप्य राशि, बिल किए गए वास्तविक राजस्व के 45 दिनों के बराबर निर्धारित की जाएगी और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए प्राप्य राशि, बिल किए गए वास्तविक राजस्व के 15 दिनों के बराबर निर्धारित की जाएगी।

27.3. विनियम 27.1 के उप–खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों में ईंधन की लागत, उत्पादन कंपनी द्वारा मानक ट्रांजिट और हैंडलिंग घाटे और तीन महीनों के लिए नवीनतम उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों के अनुसार ईंधन के सकल कैलोरी मान को ध्यान में रखते हुए, वहन की गई भूमि लागत पर आधारित होगी और टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन मूल्य वृद्धि के किसी अनुमान पर विचार नहीं किया जाएगा।

27.4. कार्यशील पूंजी पर ब्याज का अनुमान भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर–एक वर्ष की अवधि) के बराबर दर पर लगाया जाएगा, साथ ही चालू वित्त वर्ष के 30 सितंबर को प्रचलित 200 आधार अंक भी जोड़े जाएंगेः

परंतु यह कि, ट्रूइंग–अप के दौरान, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना वर्ष के दौरान ब्याज की औसत वास्तविक स्वीकृत दर पर की जाएगी।

27.5. इन विनियमों के प्रावधानों के बावजूद, उत्पादन कंपनी, एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी और एसएलडीसी के लिए कार्यशील पूंजी की गणना हेतु विचार किए जाने वाले प्राप्य, नियमों में निर्धारित दिनों की संख्या के लिए विचार किए जाएँगे, जो अधिनियम के अनुसार धारा 176 या धारा 180 के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिभार के भुगतान से संबंधित हैं।

28. आय पर कर

28.1. ऊर्जा की बिक्री से या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय/सेवाओं या गैर–टैरिफ आय, जिसे एआरआर में शामिल किया गया है, पर भुगतान किया गया कोई भी कर, विवेकपूर्ण जाँच के अधीन, वास्तविक रूप से टैरिफ के माध्यम से पारित किया जाएगा।

28.2. मुख्य व्यवसाय के अलावा किसी अन्य आय स्रोत पर कर, टैरिफ में एक पास–थ्रू (पार–प्रेषणीय) घटक नहीं होगा और ऐसी अन्य आय पर कर, यथास्थिति उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एसएलडीसी) द्वारा वहन किया जाएगा।

28.3. उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा अर्जित विलम्बित भुगतान अधिभार पर आयकर को टैरिफ में पास–थ्रू के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

28.4. उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा प्राप्त आयकर की कोई भी वापसी विचाराधीन वर्ष के लिए ट्रू–अप के समय पास–थ्रू की जाएगीः

परंतु यह कि भुगतान किए गए आयकर को पहले टैरिफ में वसूलने या वास्तविक आयकर भुगतान के वर्ष के लिए ट्रू–अप करने की अनुमति दी गई थी।

29. छूट (रिबेट)

उत्पादन कंपनी, एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और एसएलडीसी के बिलों के भुगतान के लिए, साख पत्र या अन्यथा, वर्तमान बिल के अनुरूप भुगतान की गई राशि के 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, यदि भुगतान, उत्पादन कंपनी या एसटीयू/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या एसएलडीसी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, बिल प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर किया जाता है।

30. विलम्बित भुगतान अधिभार

30.1. यदि इन विनियमों के अंतर्गत देय शुल्कों के किसी भी बिल का भुगतान लाभार्थी/अंतर–राज्यीय इकाई द्वारा बिलिंग की तिथि से 45 दिनों की अवधि से अधिक विलंबित किया जाता है, तो बकाया राशि पर चूक के पहले महीने की अवधि के लिए आधार दर पर विलंब भुगतान अधिभार, उत्पादन कंपनी या एसयूटी/पारेषण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी/सिस्टम ऑपरेटर द्वारा अधिरोपित किया जाएगाः

परंतु यह कि, ट्रू–अप के समय, लाभार्थी/लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त विलंब भुगतान अधिभार को, जैसी भी स्थिति हो, व्यय/राजस्व नहीं माना जाएगा।

30.2. खुदरा उपभोक्ताओं से विलंब भुगतान अधिभार, लागू टैरिफ आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जाएगा।

30.3. चूक के क्रमिक महीनों के लिए विलंब भुगतान अधिभार की दर में प्रत्येक विलंबित माह के लिए 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, परंतु यह कि विलंब भुगतान अधिभार किसी भी समय आधार दर से तीन प्रतिशत से अधिक न हो:

परंतु यह कि, विलंब भुगतान अधिभार की देय दर, अनुबंध में निर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार की दर, यदि कोई हो, से अधिक न हो:

परंतु यह और कि, जब तक कि राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन केंद्रों के लिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियों के अंतर्गत सक्षम सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, भुगतान सुरक्षा तंत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जब तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा तंत्र निर्धारित नहीं किया जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए, राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन केंद्र राज्य वितरण कंपनी को विद्युत आपूर्ति का विनियमन नहीं करेंगे।

30.4. किसी वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी उत्पादन कंपनी को उससे प्राप्त विद्युत के लिए या किसी पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ता द्वारा किसी पारेषण लाइसेंसधारी को किए गए सभी भुगतानों को पहले विलंब भुगतान अधिभार में और उसके बाद, सबसे लंबे समय से बकाया बिल से शुरू करते हुए मासिक पभार में समायोजित किया जाएगा।

30.5. यदि वितरण लाइसेंसधारी ने, विलंबित भुगतान अधिभार नियम, 2022 की अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी को लिखित रूप में बकाया राशि और बकाया राशि के भुगतान की जाने वाली किश्तों की संख्या, जिसमें बकाया राषि का भुगतान किया जायेगा, सूचित कर दिया है, तो निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

(क) वितरण लाइसेंसधारी उस माह के लिए निर्धारित मासिक किश्त से अधिक राशि का भुगतान कर सकता है;

(ख) किश्त का भुगतान, यथास्थिति, सभी संबंधित उत्पादन कंपनियों और पारेषण लाइसेंसधारियों को, उनके व्यक्तिगत बकाया राशि के अनुपात के आधार पर, समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

30.6. विनियम 30.1 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि वितरण लाइसेंसधारी, विलंब भुगतान अधिभार नियम, 2022 के अंतर्गत निर्धारित किस्त के अनुसार देय बकाया राशि के भुगतान के लिए सहमत होता है और इन किस्तों का समय पर भुगतान करता है, तो बकाया राशि पर विलंब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा।

30.7. विनियम 30.1 के अंतर्गत किसी किस्त के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में, विलंब भुगतान अधिभार नियम, 2022 की अधिसूचना की तिथि तक संपूर्ण बकाया राशि पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

30.8. वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी या पारेषण कंपनी को देय सभी बिलों को, बिल प्रस्तुत करने की तिथि और समय के अनुसार समय–चिह्नित किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया गया भुगतान, पहले सबसे पुराने बिल में और फिर दूसरे सबसे पुराने बिल में समायोजित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बिल के विरुद्ध भुगतान तब तक समायोजित न किया जाए जब तक कि उससे पुराने सभी बिलों का भुगतान न कर दिया जाए।

परंतु यह कि, विलंबित भुगतान अधिभार के लिए कोई भी समायोजन, विनियम 30.4 में विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

30.9. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न किए गए प्रावधान और कार्यप्रणाली, विलंबित भुगतान अधिभार नियम, 2022 के अनुसार होंगे।

30.10. यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 या धारा 180 के अंतर्गत विलंबित भुगतान अधिभार से संबंधित प्रचलित नियम में संशोधन करती है या कोई नया नियम बनाती है, तो ऐसे नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा, दायरे और प्रयोज्यता तक, ऐसे नियम के प्रावधान, इन विनियमों के प्रावधानों के होते हुए भी, लागू होंगे।

31. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन

31.1. उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी के विवेक पर, आंशिक या पूर्ण रूप से, उत्पादन स्टेशन या पारेषण या वितरण प्रणाली के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में, विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज कर सकते हैं।

31.2. उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, मानक विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन की हेजिंग की लागत को, संबंधित वर्ष में लाभार्थीयों से उस अवधि के व्यय के रूप में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगी, और ऐसे विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के अनुरूप अतिरिक्त रुपया देयता को हेज किए गए विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुमति नहीं दी जाएगी।

31.3. जहां तक उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी, विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज करने में सक्षम नहीं है, संबंधित वर्ष में मानक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त रुपया देयता स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि यह उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी या उसके आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के कारण न हो।

32. वहन लागत या धारण लागत

आयोग, किसी विशेष वर्ष के लिए, यथास्थिति, वहन लागत/धारण लागत की गणना, उक्त वर्ष के लिए ट्रू–अप के समय कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए अनुमत वास्तविक ब्याज दर के बराबर दर पर करेगाः

परंतु यह कि आगामी वर्ष में वसूल की जाने वाली वहन/धारण लागत की गणना करते समय, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर विचार किया जाएगा।

33. बिलिंग और प्रभारों का भुगतान

33.1. उत्पादन कंपनी और पारेषण लाइसेंसधारी/एसटीयू और एसएलडीसी द्वारा इन विनियमों के अनुसार मासिक आधार पर क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के लिए बिल जारी किए जाएँगे और लाभार्थियों द्वारा भुगतान सीधे, उत्पादन कंपनी/पारेषण लाइसेंसधारी/एसटीयू/ एसएलडीसी, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा, ।

33.2. किसी भी संयंत्र क्षमता के अनुरूप पारेषण प्रभार, जिसके लिए लाभार्थी की पहचान और अनुबंध नहीं किया गया है, संबंधित उत्पादन कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

33.3. एसएलडीसी व्यवसाय की फीस और प्रभारों की बिलिंग और वसूली, इन विनियमों के अध्याय 9 में परिभाषित अनुसार होगी।

33.4. खुदरा उपभोक्ताओं को बिलिंग, प्रचलित छत्तीसगढ़ आपूर्ति संहिता विनियमों और उनमें किये गये संशोधनों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

34. पेंशन निधि

34.1. पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड में अंशदान की अनुमति आयोग द्वारा बीमांकिक विश्लेषण, राज्य विद्युत कंपनियों के लिए अपेक्षित पेंशन बहिर्वाह और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एमवाईटी/एआरआर के निर्धारण के समय पेंशन ट्रस्ट के पास निधियों की उपलब्धता के आधार पर दी जाएगी।

34.2. पेंशन बहिर्वाह की पूर्ति, पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड से की जाएगी।

34.3. आयोग द्वारा अनुमोदित पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड में अंशदान, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

34.4. जब तक एसएलडीसी का प्रशासन, एसटीयू द्वारा किया जाता है, तब तक पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड में एसएलडीसी के शेयर की पूर्ति एसटीयू द्वारा आनुपातिक आधार पर की जाएगीः

परंतु यह कि, अनुपात निर्धारण के प्रयोजन के लिए, पिछले वर्ष की 1 अप्रैल को एसएलडीसी और एसटीयू की कर्मचारी संख्या पर विचार किया जाएगा।

अध्याय–4
उत्पादन

35. उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिये याचिका

35.1. किसी उत्पादन कंपनी को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, दीर्घकालिक समझौते के अंतर्गत राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को सीधे या राज्य व्यापार लाइसेंसधारियों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका दायर करनी होगी।

35.2. किसी उत्पादन कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत बंडल करने की अनुमति होगी।

36. टैरिफ के घटक

36.1. ताप विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ में दो भाग शामिल होंगे, अर्थात् विनियम 37 में विनिर्दिष्ट घटकों से युक्त वार्षिक नियत लागत की वसूली हेतु क्षमता प्रभार, और ईंधन लागत की वसूली हेतु ऊर्जा प्रभार।

36.2. जल विद्युत उत्पादन केंद्र से विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ में विनियम 45 में विनिर्दिष्ट तरीके से प्राप्त संयुक्त क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार शामिल होंगे, और इसमें विनियम 37 में विनिर्दिष्ट घटक भी शामिल होंगे।

37. वार्षिक स्थिर लागत

37.1. किसी उत्पादन केंद्र की वार्षिक स्थिर लागत (एएफसी) में निम्नलिखित घटक शामिल होंगेः

(1) इक्विटी पर प्रतिफल;

(2) ब्याज और वित्त प्रभार;

(3) मूल्यह्रास;

(4) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(5) संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्ययः

क. एच आर व्यय;

(i) कर्मचारी व्यय;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभाव;

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला

ख. एम एंड जी व्यय;

(6) पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि अंशदान;

घटाएँ :

(7) गैर–टैरिफ आय ;

(8) अन्य व्यवसाय से आय, विनियम 41 में विनिर्दिष्ट सीमा तक।

नोट :

1. एसएलडीसी प्रभार, इन विनियमों के अध्याय 9 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्कों और प्रभारों के अनुसार वसूल किए जाएँगे;
2. पेंशन और ग्रेच्युटी निधि अंशदान, समान मासिक किश्तों में वसूल किया जा सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाये;
3. वास्तव में भुगतान किए गए जल प्रभार, वैधानिक कर, ड्यूटी और उपकर, पास–थ्रू होंगे;
4. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, उत्पादन कंपनी पर लागू होंगेः

परंतु यह कि, अधिनियम की धारा 62 या 63 के तहत टैरिफ के निर्धारण के बाद बनाए गए किसी भी कानून में संशोधन या निरसन से उत्पन्न कानून में परिवर्तन की किसी भी घटना के मामले में, प्रभावित पक्ष होने के नाते, उत्पादन कंपनी, विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, के तहत प्रभावित राशि (स्थिर/आवर्ती राशि) की वसूली के लिए प्रारूपों और प्रक्रियाओं के एकमुश्त अनुमोदन के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगीः

परंतु यह और कि, बाद की वसूली, नियमों के अनुसार होगीः

परंतु यह भी कि, ऋण पूंजी पर मूल्यह्रास, ब्याज और वित्त प्रभार, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, और थर्मल और हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए इक्विटी पर रिटर्न, इन विनियमों के अध्याय–3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमत होंगे।

38. पूंजीगत लागत

पूंजीगत लागत, इन विनियमों के विनियम 18, 19 और 20 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अनुमत होगी।

39. अस्थाई बिजली का विक्रय

अस्थाई बिजली की बिक्री के लिए टैरिफ, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुसार होगाः

परंतु यह कि, उत्पादन कंपनी द्वारा अस्थाई बिजली की आपूर्ति से अर्जित कोई भी राजस्व, जो मानक ईंधन व्यय से अधिक हो, पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा।

40. वार्षिक नियत प्रभारों की गणना

40.1. इक्विटी पर प्रतिफल

उत्पादन कंपनी को इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार आरओई की अनुमति होगी।

40.2. ऋण पूंजी पर ब्याज

उत्पादन कंपनी को इन विनियमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट अनुसार ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार की अनुमति होगी।

40.3. मूल्यह्रास

उत्पादन कंपनी को इस विनियम के विनियम 26 में विनिर्दिष्ट अनुसार स्थिर संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास वसूलने की अनुमति होगी।

40.4. कार्यशील पूँजी पर ब्याज

उत्पादक कंपनी को इन विनियमों के विनियम 27 में विनिर्दिष्ट कार्यशील पूँजी आवश्यकता के अनुमानित स्तर पर ब्याज की अनुमति होगी।

40.5. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

i. मानव संसाधन (एचआर) व्यय

क) उत्पादन कंपनी के एचआर व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) कर्मचारी लागत;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभाव;

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला।

ख) आयोग, सभी मौजूदा उत्पादन केंद्रों के लिए नियंत्रण अवधि हेतु मानव संसाधन व्यय के प्रत्येक घटक के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगा।

ग) मानव संसाधन व्यय में कर्मचारी लागत, वेतन संशोधन बकाया का प्रभाव, आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमले से संबंधित सभी व्यय, पेंशन निधि अंशदान, और मानव संसाधन से संबंधित गैर–आवर्ती प्रकृति के अन्य व्यय शामिल हैं।

घ) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मानव संसाधन व्यय, पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान, वेतन संशोधन बकाया के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को छोड़कर वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्यीकृत औसत के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, जो आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के खातों में उपलब्ध है, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन है।

ङ.) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई(आई डब्ल्यू)) में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके किया जाएगा।

च) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का औसत, फिर वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य को परियोजित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

छ) अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मानव संसाधन व्यय (पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान और वेतन संशोधन के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय, यदि कोई हो, को छोड़कर) का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

ज) ट्रू–अप के समय, मानव संसाधन व्यय को वास्तविक माना जाएगा और लाभ/हानि तंत्र के अध्यधीन नहीं होगा:

परंतु यह कि ट्रू–अप के दौरान, वेतन संशोधन (बकाया सहित) और पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान के प्रभाव पर वास्तविक नकदी बहिर्वाह को खातों के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जाँच और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारक के अध्यधीन होगा।

झ) सीपीआई (आईडब्ल्यू) (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा।

ii. रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय

40.5.ii.1. ताप विद्युत उत्पादन केंद्रः

क) उत्पादन कंपनी के रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i) प्रशासनिक एवं सामान्य (ए एंड जी) व्यय;

ii) मरम्मत एवं रखरखाव (आर एंड एम) व्यय।

ख) नियंत्रण अवधि के लिए वर्ष–वार मानक एम एंड जी व्यय, 5.25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ, निम्नानुसार हैं:

(रु.लाख / मेगावाट)

वर्ष	200 / 210 / 250 मेगावाट श्रृंखला	300 / 330 / 350 मेगावाट श्रृंखला	500 मेगावाट श्रृंखला	600 मेगावाट श्रृंखला	800 मेगावाट और उससे अधिक
वित वर्ष 2026–27	23.13	19.24	15.36	14.57	13.11
वित वर्ष 2027–28	24.35	20.25	16.17	15.34	13.80
वित वर्ष 2028–29	25.62	21.32	17.02	16.15	14.53
वित वर्ष 2029–30	26.97	22.44	17.91	16.99	15.29

ग) ट्रू–अप के समय, वार्षिक आधार पर डब्ल्यूपीआई के लिए 40 प्रतिशत भार और सीपीआई के लिए 60 प्रतिशत भार के आधार पर वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए ए एंड जी व्यय तथा आर एंड एम व्यय पर विचार किया जाएगा।

घ) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण संचालन एवं रखरखाव व्यय, वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर स्वीकृत पूंजीगत व्यय (आईडीसी और आईईडीसी को छोड़कर) का 2 प्रतिशत होगा, जिसे नियंत्रण अवधि के दौरान 5.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि ऊपर बताए अनुसार ट्रू–अप किया जाए।

ङ) कानून में किसी परिवर्तन / अनुपालन या सांविधिक प्राधिकरण के किसी निर्देश के कारण होने वाले अतिरिक्त एम एंड जी व्यय, जिसमें राख उपयोग पर व्यय (अतिरिक्त पूंजीकरण में शामिल नहीं) शामिल है, किंतु उस तक सीमित नहीं है, टैरिफ आदेश में अनुमत एम एंड जी व्यय के अतिरिक्त होंगे।

च) सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2011–12 श्रृंखला} के अनुसार होंगे।

छ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा।

ज) जल प्रभार, वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर टैरिफ में शामिल किए जाएँगे।

40.5,ii,2. विद्यमान जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए :

क) उत्पादन कंपनी के रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) प्रशासनिक एवं सामान्य (ए एंड जी) व्यय;

(ii) मरम्मत एवं रखरखाव (आर एंड एम) व्यय।

ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए, एम एंड जी व्यय के प्रत्येक घटक, अर्थात् आर एंड एम व्यय और ए एंड जी व्यय, के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगा।

ग) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय, आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के लेखों में उपलब्ध क्रमशः वास्तविक ए एंड जी व्यय (जल शुल्क को छोड़कर) और आर एंड एम व्यय के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाले जाएँगे, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन होंगेः

परंतु यह कि, जिन संयंत्रों ने आधार वर्ष से पहले 5 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, उनके लिए परिचालन एवं रखरखाव व्यय उसी प्रकार अनुमत होंगे जैसे नए जल विद्युत संयंत्रों के लिए लागू होते हैंः

परंतु यह और कि, पिछले पाँच (5) वर्षों के लिए सामान्यीकृत औसत का निर्धारण करते समय गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा।

घ) ए एंड एम व्यय और आर एंड एम व्यय के सामान्यीकरण का अनुमान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके लगाया जाएगा।

ड.) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य के औसत का उपयोग वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा।

च) इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

छ) ट्रू–अप के समय, ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय पर उस अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा:

परंतु यह कि, जल प्रभार, प्रतिपूर्ति के आधार पर टैरिफ में शामिल (पास–थ्रू) होगा।

ज) कानून में किसी भी बदलाव या किसी वैधानिक प्राधिकरण के निर्देश के कारण होने वाले अतिरिक्त एम एंड जी व्यय को टैरिफ आदेश में अनुमत एम एंड जी व्यय के अतिरिक्त शामिल (पास–थ्रू) किया जाएगा।

iii. नए ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए:

एचआर व्यय और एम एंड जी व्यय सहित स्वीकार्य ओ एंड एम व्यय, सीईआरसी (टैरिफ की निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट मानक ओ एंड एम व्यय के 90 प्रतिशत के बराबर होंगे:

परंतु यह कि, कार्यशील पूंजी गणना या किसी अन्य विचार के प्रयोजन के लिए, जैसा भी मामला हो, एचआर व्यय और एम एंड जी व्यय का अनुपात 40:60 माना जाएगा:

परंतु यह और कि, वित्त वर्ष 2029–30 के लिए मानदंड, जो सीईआरसी (टैरिफ की निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट नहीं है, उक्त विनियमों के वित्त वर्ष 2028–29 के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड पर 5.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि कारक द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

iv. नए जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए :

क) संचालन के पहले वर्ष के लिए ओ एंड एम व्यय, आर एंड आर कार्यों की लागत को छोड़कर, मूल परियोजना लागत का 1.25 प्रतिशत होगा।

ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ओ एंड एम व्यय, संचालन के पहले वर्ष के लिए ऊपर निर्धारित आधार वर्ष व्यय को विनियम 40.5.ii.2 में दिए गए वृद्धि कारक पर बढ़ाकर निर्धारित किया जाएगा।

v. 15 लाख रुपये तक के मूल्य के रखरखाव पुर्जों को मानक एम एंड जी व्यय के अंतर्गत माना जाएगा।

vi. 15 लाख रुपये से अधिक के रखरखाव पुर्जों की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाएगी जब उन्हें ट्रूइंग–अप करने के लिए उचित औचित्य हो और यह

प्रमाणित किया गया हो कि उनका दावा अतिरिक्त पूंजीकरण या भंडार और पुर्जों की खपत और नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में नहीं किया गया है:

परंतु यह कि, रखरखाव पुर्जों की प्रतिपूर्ति केवल मानक एम एंड जी समाप्त होने के बाद ही दी जाएगी:

परंतु यह और कि, प्रतिपूर्ति, विशेष भत्ता प्राप्त करने वाले संयंत्रों या सीओडी से न्यूनतम दस वर्ष पूरे नहीं करने वाले संयंत्रों के मामले में लागू नहीं होगी।

40.6. कानून में परिवर्तन के कारण आंशिक रूप से किए गए पूंजीगत व्यय की वसूली:

यदि उत्पादन कंपनी द्वारा आयोग से सम्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है, और यदि कानून में परिवर्तन के कारण पूरा होने से पहले पूंजीगत व्यय को छोड़ दिए जाने के कारण ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति चालू नहीं की गई है, तो उत्पादन कंपनी को इस तरह के पूंजीगत व्यय को अपने कुल राजस्व आवश्यकता के हिस्से के रूप में इस तरह से और ऐसी अवधि में वसूल करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

41. गैर–टैरिफ आय

41.1. उत्पादन कंपनी के व्यवसाय से संबंधित स्रोतों से प्राप्त कोई भी आय, जिसमें परिसंपत्तियों का निपटान, निवेश से आय, किराया, स्क्रैप/परिसंपत्तियों का निपटान मूल्य, उनके मूल्यह्रास मूल्य और बिक्री/डीकमीशनिंग/डिसमेंटलिंग आदि की लागत को समायोजित करने के बाद, परिसंपत्तियों के उपयोग से प्राप्त किराये की आय, जिसमें विज्ञापनों के विरुद्ध प्राप्तियां, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, राख/अस्वीकृत कोयले की बिक्री से आय, जिप्सम या अन्य उप–उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न आय और कोई अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं, किन्तु ऊर्जा की बिक्री से आय के अलावा, उत्पादन कंपनी की गैर–टैरिफ आय का संस्थापित करेगी।

41.2. आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादन व्यवसाय से संबंधित गैर–टैरिफ आय की राशि को उत्पादन केंद्र की वार्षिक स्थिर लागत निर्धारित करने के लिए घटाया जाएगा:

परंतु यह कि, उत्पादन कंपनी, गैर–टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण आयोग को ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये:

परंतु यह और कि, उत्पादन कंपनी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक घटक–वार गैर–टैरिफ आय का पूरा विवरण अपनी ट्रू–अप याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह भी कि, एकीकृत खदान के लिए गैर–टैरिफ आय पर इन विनियमों के अध्याय–5 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

42. तापीय उत्पादन केंद्र के संचालन के मानदंड

42.1. नियत प्रभारों की वसूली के लिए मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ):–

क) एचटीपीएस को छोडकर सभी ताप विद्युत उत्पादन केंद्र – 85 प्रतिशत

ख) हसदेव ताप विद्युत केंद्र कोरबा (एचटीपीएस) के लिए, एनएपीएएफ निम्नानुसार होगाः

वित्त वर्ष	2026–27	2027–28	2028–29	2029–30
एचटीपीएस	76.5 प्रतिशत	76.5 प्रतिशत	76.5 प्रतिशत	76.5 प्रतिशत

परंतु यह कि लाभों के बँटवारे के उद्देश्य से, सीएसपीजीसीएल द्वारा एचटीपीएस के लिए 80 प्रतिशत से कम एनएपीएएफ के लिए कोई भी लाभ रोके रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

42.2. प्रोत्साहन के लिए मानक वार्षिक प्लांट लोड फैक्टर (एनएपीएलएफ):–

क) एचटीपीएस को छोड़कर सभी ताप विद्युत उत्पादन केंद्र – 85 प्रतिशत

ख) हसदेव ताप विद्युत केंद्र कोरबा (एचटीपीएस) के लिए – 80 प्रतिशत

42.3. सकल स्टेशन ताप दर :

क. विद्यमान ताप विद्युत उत्पादन केंद्र

(क) मौजूदा कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन केंद्र, एचटीपीसी के अलावाः

200 / 210 / 250 मेगावाट सेट	300 मेगावाट / 500 मेगावाट सेट (सब–क्रिटिकल)
2415 किलो कैलोरी / किलोवाट घंटा	2375 किलो कैलोरी / किलोवाट घंटा

(ख) हसदेव ताप विद्युत केंद्र (4 X 210 मेगावाट) के लिए, सकल स्टेशन ताप दर 2650 किलो कैलोरी / किलोवाट घंटा होगी।

नोट 1 :

300 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाली इकाइयों के संबंध में, जहाँ बॉयलर फीड पंप विद्युत चालित हैं, सकल स्टेशन ताप दर ऊपर विनिर्दिष्ट सकल स्टेशन ताप दर से 40 किलो कैलोरी / किलोवाट घंटा कम होगी।

नोट 2:

200/210/250/300 मेगावाट सेट और 500 मेगावाट और उससे अधिक सेट के संयोजन वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए, मानक सकल स्टेशन ताप दर संयोजनों की भारित औसत सकल स्टेशन ताप दर होगी।

ख. दिनांक 01.04.2026 को या उसके बाद सीओडी प्राप्त करने वाले नए कोयला–आधारित ताप विद्युत उत्पादन केंद्र और कोई भी मौजूदा उत्पादन केंद्र, जिसके संचालन के मानदंडों को टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

200–300 मेगावाट सेट के लिए: 1.05 x डिजाइन ताप दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)

500 मेगावाट और उससे अधिक सेट के लिए: 1.045 x डिजाइन ताप दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)

जहाँ किसी इकाई की डिजाइन ताप दर से अभिप्रेत है आपूर्तिकर्ता द्वारा 100 प्रतिशत एमसीआर, शून्य प्रतिशत मेक–अप, डिजाइन कोयला और डिजाइन शीतलन जल तापमान/बैक प्रेशर की शर्तों पर गारंटीकृत इकाई ताप दर:

परंतु यह कि, डिजाइन ताप दर, इकाइयों के दबाव और तापमान रेटिंग के आधार पर निम्नलिखित अधिकतम डिजाइन इकाई ताप दरों से अधिक नहीं होगी:

दबाव रेटिंग (कि.ग्रा/वर्ग से.मी.)	150	170	170	247	247	260	270	270
एसएचटी/आरएचटी (ओसी)	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593	593/593	593/593	600/600
बीएफपी का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित
अधिकतम टरबाइन चक्र ताप दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)	1955	1950	1935	1900	1850	1814	1810	1800
न्यूनतम बॉयलर दक्षता								
सब–बिटुमिनस भारतीय कोयला	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.865	0.865
बिटुमिनस आयातित कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.895	0.895	0.895
अधिकतम डिजाइन इकाई ताप दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)								
सब–बिटुमिनस भारतीय कोयला	2273	2267	2250	2209	2151	2109	2092	2081
बिटुमिनस आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2079	2027	2022	2011

परंतु यह और कि, यदि डिजाइन टर्बाइन चक्र ताप दर और बॉयलर दक्षता, इन मानों से बेहतर हैं, तो डिजाइन इकाई ताप दर की गणना के लिए भी इसे ही ध्यान में रखा जाएगाः

परंतु यह भी कि, यदि किसी इकाई के दबाव और तापमान पैरामीटर उपरोक्त रेटिंग से भिन्न हों, तो निकटतम वर्ग की अधिकतम डिजाइन इकाई ताप दर ली जाएगीः

परंतु यह भी कि, जहाँ इकाई ताप दर की गारंटी नहीं दी गई है, किन्तु टरबाइन चक्र ताप दर और बॉयलर दक्षता की गारंटी एक ही आपूर्तिकर्ता या विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अलग–अलग दी गई है, वहाँ इकाई डिजाइन ताप दर की गणना, गारंटीकृत टरबाइन चक्र ताप दर और बॉयलर दक्षता का उपयोग करके की जाएगीः

परंतु यह भी कि, जहाँ बॉयलर दक्षता, उप–बिटुमिनस भारतीय कोयले के लिए 0. 86 और बिटुमिनस आयातित कोयले के लिए 0.89 से कम है, वहाँ स्टेशन ताप दर की गणना के लिए इसे उप–बिटुमिनस भारतीय कोयले और बिटुमिनस आयातित कोयले के लिए क्रमशः 0.86 और 0.89 माना जाएगा।

नोटः उन इकाइयों के संबंध में, जहाँ बॉयलर फीड पंप विद्युत चालित हैं, अधिकतम डिजाइन इकाई ताप दर टरबाइन चालित बॉयलर फीड पंप के साथ ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम डिजाइन इकाई ताप दर से 40 किलोकैलोरी/किलोवाट घंटा कम होगी।

42.4. द्वितीयक ईंधन तेल खपत :

कोयला आधारित उत्पादन केंद्र, एचटीपीएस को छोड़कर : 0.50 मिली/किलोवाट घंटा

एचटीपीएस के लिएः 0.80 मिली/किलोवाट घंटा

दीवार (सामने/पीछे/किनारे) से चलने वाले बॉयलर वाले कोयला आधारित उत्पादन केंद्रों के लिएः 1.00 मिली/किलोवाट घंटा

42.5. सहायक ऊर्जा खपतः

(क) कोयला आधारित उत्पादन केंद्र, एचटीपीएस को छोड़कर :

स.क्र.	उत्पादन स्टेषन	प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर सहित या कूलिंग टावर रहित
(i)	200/250 मेगावाट श्रृंखला	8.50 प्रतिशत
(ii)	300/500 मेगावाट और उससे अधिक	
	भाप चालित बॉयलर फीड पंप	5.25 प्रतिशत
	विद्युत चालित बॉयलर फीड पंप	8.00 प्रतिशत

परंतु यह कि, प्रेरित ड्राफ्ट कूलिंग टावर वाले तापीय उत्पादन केंद्रों और जहाँ बॉल और ट्यूब प्रकार की कोयला मिल का उपयोग किया जाता है, के लिए मानदंडों में क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगीः

परंतु यह और कि, शुष्क शीतलन प्रणाली वाले संयंत्रों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक ऊर्जा खपत की अनुमति होगी :

शुष्क शीतलन प्रणाली का प्रकार	**(सकल उत्पादन का प्रतिशत)**
यांत्रिक ड्राफ्ट पंखों वाले प्रत्यक्ष शीतलन वायु–शीतित संघनित्र	1.0 प्रतिशत
दबाव पुनर्प्राप्ति टरबाइन और प्राकृतिक ड्राफ्ट टावर वाले जेट संघनित्रों का उपयोग करने वाली अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली	0.5 प्रतिशत

(ख) एचटीपीएस के लिएः 9.70 प्रतिशत ।

(ग) ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों की उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली (एयूएक्स$_{\text{ईएन}}$) के लिए सहायक ऊर्जा खपत के मानदंडः

प्रौद्योगिकी का नाम	**एयूएक्स$_{\text{ईएन}}$ (सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में)**
(1) सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिएः	
क) आर्द्र चूना पत्थर आधारित एफजीडी प्रणाली (गैस से गैस हीटर के बिना)	1.0 प्रतिशत
ख) लाइम स्प्रे ड्रायर या अर्ध–शुष्क एफजीडी प्रणाली	1.0 प्रतिशत
ग) शुष्क सॉर्बेंट इंजेक्शन प्रणाली (सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करके)	शून्य
घ) सीएफबीसी विद्युत संयंत्र के लिए (भट्ठी इंजेक्शन)	शून्य
ङ) समुद्री जल आधारित एफजीडी प्रणाली (गैस से गैस हीटर के बिना)	1.0 प्रतिशत
(2) नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिएः	

क) चयनात्मक गैर–उत्प्रेरक न्यूनीकरण प्रणाली	शून्य
ख) चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण प्रणाली	0.2 प्रतिशत

परंतु यह कि, जहाँ प्रौद्योगिकी, ''गैस से गैस'' हीटर के साथ स्थापित की गई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट एयूएक्स$_{ईएन}$ में सकल उत्पादन का 0.2 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी ।

42.6. ट्रांजिट एवं हैंडलिंग हानियाँ :

क) नियंत्रण अवधि के लिए डीएसपीएम को छोडकर कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए ट्रांजिट एवं हैंडलिंग हानियाँ, माह के दौरान कोयला आपूर्ति कंपनी द्वारा प्रेषित स्वदेशी कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में नीचे दी गई अनुसार होंगी :

(i) पिट हेड उत्पादन स्टेशनः 0.20 प्रतिशत;

(ii) गैर–पिट हेड उत्पादन स्टेषनः 0.80 प्रतिशत :

परंतु यह कि डीएसपीएम के लिए ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियाँ 0.20 प्रतिशत तक सीमित हों:

परंतु यह और कि, उपरोक्त मानदंड, घरेलू कोयले और/या धुले हुए कोयले पर लागू होंगे, और आयातित कोयले के मामले में, मानक ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियाँ 0.20 प्रतिशत होंगी:

परंतु यह भी कि, पिट–हेड स्टेशनों के मामले में, यदि कोयला पिट–हेड खदानों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जिसे रेल के माध्यम से उत्पादन केंद्र तक पहुँचाया जाता है, तो गैर–पिट हेड स्टेशनों पर लागू ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियाँ लागू होंगी:

परंतु यह भी कि, उत्पादन केंद्र तक कोयले के गैर–पिट हेड बहु–मॉडल परिवहन (एकाधिक ट्रांस–शिपमेंट वाले परिवहन के दो या अधिक साधनों का उपयोग करके) के लिए मानक ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियाँ 1.00 प्रतिशत होंगी:

परंतु यह भी कि, डिलीवरी के आधार पर कोयले की खरीद के लिए, कोई ट्रांजिट और हैंडलिंग हानि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) एकीकृत खानों के मामले में, ट्रांजिट और हैंडलिंग हानि का निर्णय मामला–दर–मामला आधार पर, विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन किया जाएगा।

42.7. राज्य के डिस्कॉम को कुल शुद्ध बिजली की आपूर्ति करने वाले, और जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसे उत्पादकों को एसएलडीसी द्वारा निर्देश देने से पीछे हटने की स्थिति में, स्टेशन ताप दर और

सहायक ऊर्जा खपत, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट मानक संयंत्र उपलब्धता कारक के निम्न लोडिंग के कारण अतिरिक्त माध्यमिक ईंधन तेल की खपत की समीक्षा, विनियम 42.8 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

42.8. स्टेशन ताप दर और सहायक ऊर्जा खपत के लिए मुआवजे की गणना, कोयला या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों की ऊर्जा प्रभार दर के संदर्भ में की जाएगी।

(1) इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों से उपर सकल स्टेशन ताप दर (एसएचआर) में गिरावट को निम्नानुसार माना जाएगा :–

स.क्र.	यूनिट की स्थापित क्षमता का % के रूप में यूनिट लोडिंग	एसएचआर में वृद्धि (उप– क्रिटिकल इकाइयों के लिए) %	एसएचआर में वृद्धि (सुपर क्रिटिकल इकाइयों के लिए) %
1.	85 –100	शून्य	शून्य
2.	80 – <85	2.1	1.8
3.	75 – <80	3.0	2.5
4.	70 – <75	4.0	3.3
5.	65 – <70	5.1	4.1
6.	60 – <65	6.1	4.9
7.	55 – <60	7.6	6.0
8.	50 – <55	9.2	7.1
9.	45 – <50	11.3	8.3
10.	40 – <45	13.8	9.9

(2) इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों से उपर सहायक ऊर्जा खपत (एईसी) में गिरावट को निम्नानुसार माना जाएगा:–

स.क्र.	स्थापित क्षमता का % के रूप में यूनिट लोडिंग	स्वीकार्य एईसी में गिरावट %
1.	85 –100	शून्य
2.	80 – <85	0.5
3.	70 – <80	1.1
4.	60 – <70	1.8
5.	50 – <60	2.5
6.	40 – <50	3.2

(3) यूनिट शटडाउन के तहत उत्पादन स्टेशन के लिए एक वर्ष में सात (7) स्टार्ट/स्टॉप से अधिक माध्यमिक ईंधन तेल की खपत के लिए अतिरिक्त मुआवजा अनुज्ञेय होगा। मुआवजे के प्रयोजन के लिए, प्रति स्टार्टअप द्वितीयक ईंधन तेल की खपत को निम्नलिखित मानदंडों या वास्तविक, जो भी कम हो, के आधार पर माना जाएगा:–

इकाई आकार (मेगावाट)	प्रति स्टार्टअप माध्यमिक ईंधन तेल की खपत (केएल)		
	हॉट	वार्म	कूल
200/210/250 मेगावाट	20	40	60
500 मेगावाट	30	60	100
660 मेगावाट	45	75	130
800 मेगावाट	60	80	150

(4) 55 प्रतिशत यूनिट लोडिंग से नीचे चलने वाली इकाइयों के लिए 0.2 मिली/किलोवाट की अतिरिक्त विशिष्ट माध्यमिक ईंधन तेल खपत प्रदान की जाएगी और सुपरक्रिटिकल या अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल इकाइयों के लिए, शुरुआती या स्थिरीकरण मुद्दों के कारण, वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) से 3 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट–अप तेल की 10 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा प्रदान की जाएगी।

(5) पार्ट लोड ऑपरेशन और जनरेटिंग स्टेशन की इकाइयों के मल्टीपल स्टार्ट और स्टॉप के कारण ताप दर, सहायक खपत और माध्यमिक ईंधन तेल की खपत में गिरावट के लिए मुआवजे की गणना करने के लिए तंत्र को निर्धारित करने की प्रक्रिया, आयोग के अनुमोदन से पृथक से जारी की जाएगी।

42.9. अभिकर्मक की खपत के मानदंडः

(1) सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक की मानक खपत निम्नानुसार होगीः

(क) गीले चूना पत्थर आधारित फ्लू गैस डी–सल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली के लिएः विशिष्ट चूना पत्थर की खपत (ग्राम/किलोवाट घंटा) निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाली जाएगीः

(के x एसएचआर x एस/सीव्हीपीएफ) x (85/एलपी)

जहाँ,

एस = प्रतिशत में सल्फर की मात्रा,

एलपी = प्रतिशत में चूना पत्थर की शुद्धता,

एसएचआर = मानक सकल स्टेशन ताप दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंटा में;

सीव्हीपीएफ = कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए विनियम 44.6 के अनुसार, प्राप्त कोयले का भारित औसत सकल ताप मान,

परंतु यह कि, के (k) का मान, 100/200 mg/Nm^3 के उत्सर्जन मानक के एसओ2 के साथ अनुपालन करने वाली इकाइयों के लिए (35.2 x डिजाइन एसओ2 निष्कासन दक्षता / 96 प्रतिशत) के बराबर होगा या 600 mg/Nm^3 के उत्सर्जन मानक का अनुपालन करने वाली इकाइयों के लिए (26.8 x डिजाइन एसओ2 निष्कासन दक्षता / 73 प्रतिशत) के बराबर होगाः

परंतु यह और कि, चूना पत्थर की शुद्धता 85 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(ख) लाइम स्प्रे ड्रायर या सेमी–ड्राई फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली के लिए : विशिष्ट चूने की खपत, चूने (एलपी) की न्यूनतम शुद्धता के आधार पर 90 प्रतिशत या उससे अधिक पर सूत्र (6 x 90 एलपी) ग्राम / किलोवाट घंटा लागू करके निकाली जाएगी;

(ग) शुष्क सोरबेंट इंजेक्शन प्रणाली (सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करके) के लिएः सोडियम बाइकार्बोनेट की विशिष्ट खपत 100 प्रतिशत शुद्धता पर 12 ग्राम / किलोवाट घंटा होगी;

(घ) सीएफबीसी प्रौद्योगिकी (भट्ठी इंजेक्शन) आधारित उत्पादन केंद्र के लिएः सीएफबीसी आधारित उत्पादन केंद्र (भट्ठी इंजेक्शन) के लिए विशिष्ट चूना पत्थर की खपत की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाएगीः

(62.9 x एस x एसएचआर / सीव्हीपीएफ) x (85 / एलपी),

जहाँ

एस = प्रतिशत में सल्फर की मात्रा,

एलपी = प्रतिशत में चूना पत्थर की शुद्धता,

एसएचआर = मानक सकल स्टेशन ताप दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंटा में,

सीव्हीपीएफ = विनियमन 45.6 के अनुसार कोयला आधारित तापीय उत्पादन केंद्रों के लिए प्राप्त कोयले का भारित औसत सकल कैलोरी मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में;

(ड.) समुद्री जल आधारित फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली के लिए: समुद्री जल आधारित फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली में प्रयुक्त अभिकर्मक शून्य होगा।

(2) नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक की मानक खपत निम्नानुसार होगी:

(क) चयनात्मक गैर–उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एसएनसीआर) प्रणाली के लिए: एसएनसीआर प्रणाली की विशिष्ट यूरिया खपत 100 प्रतिशत शुद्धता वाले यूरिया पर 1.2 ग्राम/किलोवाट घंटा होगी;

(ख) चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (एससीआर) प्रणाली के लिए: एससीआर प्रणाली की विशिष्ट अमोनिया खपत 100 प्रतिशत शुद्धता वाले अमोनिया पर 0.6 ग्राम/किलोवाट घंटा होगी।

43. जल विद्युत उत्पादन स्टेशन के संचालन के मानदंड

43.1. टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन हेतु, सकल उत्पादन को संयंत्र के लिए अनुमोदित डिजाइन ऊर्जा के बराबर माना जाएगा।

43.2. टैरिफ निर्धारण के प्रयोजनार्थ, आयोग द्वारा विशेष परिस्थितियों, जैसे असामान्य गाद समस्या या अन्य परिचालन स्थितियों, और ज्ञात संयंत्र सीमाओं के अंतर्गत डिजाइन ऊर्जा की तुलना में सकल उत्पादन के संबंध में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।

43.3. किसी नई जल विद्युत परियोजना के मामले में, डेवलपर के पास सीईआरसी (टैरिफ के निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर एनएपीएएफ के निर्धारण के लिए आयोग से पहले ही संपर्क करने का विकल्प होगा।

43.4. सहायक ऊर्जा खपत (एयूएक्स)

स्टेशन का प्रकार	**स्थापित क्षमता 200 मेगावाट से अधिक**	**स्थापित क्षमता 200 मेगावाट तक**
सतही		
घूर्णन ऊर्जन	0.7 प्रतिशत	0.7 प्रतिशत
स्थैतिक	1.0 प्रतिशत	1.2 प्रतिशत
भूमिगत		
घूर्णन ऊर्जन	0.9 प्रतिशत	0.9 प्रतिशत
स्थैतिक	1.2 प्रतिशत	1.3 प्रतिशत

44. ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान

44.1. ताप विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थिर लागत की गणना, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वार्षिक आधार पर की जाएगी और क्षमता प्रभार के अंतर्गत मासिक आधार पर वसूली जाएगी। किसी उत्पादन केंद्र के लिए देय कुल क्षमता प्रभार,

उसके लाभार्थियों द्वारा उत्पादन केंद्र की क्षमता में उनके संबंधित प्रतिशत शेयर/आबंटन के अनुसार साझा किया जाएगा।

44.2. एक कैलेंडर माह के लिए ताप विद्युत उत्पादन केंद्र को देय क्षमता प्रभार की गणना निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार की जाएगी :

सीसी1 = (एएफसी/12) x (पीएएफ1/एनएपीएएफ); (एएफसी/12) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन

सीसी2 = { (एएफसी/6) x (पीएएफ2/एनएपीएएफ); (एएफसी/6) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –सीसी1

सीसी3 = { (एएफसी/4) x (पीएएफ3/एनएपीएएफ); (एएफसी/6) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2)

सीसी4 = { (एएफसी/3) x (पीएएफ4/एनएपीएएफ); (एएफसी/3) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3)

सीसी5 = { (एएफसी x 5/12) x (पीएएफ5/एनएपीएएफ); (एएफसी x 5/12) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4)

सीसी6 = { (एएफसी/2) x (पीएएफ6/एनएपीएएफ); (एएफसी/2) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5)

सीसी7 = { (एएफसी x 7/12) x (पीएएफ7/एनएपीएएफ); (एएफसी x 7/12) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6)

सीसी8 = { (एएफसी x 2/3) x (पीएएफ8/एनएपीएएफ); (एएफसी x 2/3) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7)

सीसी9 = { (एएफसी x 3/4) x (पीएएफ9/एनएपीएएफ); (एएफसी x 3/4) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8)

सीसी10 = { (एएफसी x 5/6) x (पीएएफ10/एनएपीएएफ); (एएफसी x 5/6) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9)

सीसी11 = { (एएफसी x 11 / 12) x (पीएएफ11 / एनएपीएएफ); (एएफसी x 11 / 12) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन } –(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9+ सीसी10)

सीसी12 = { (एएफसी) x (पीएएफवाय / एनएपीएएफ); (एएफसी) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन }–(सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 + सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9+ सीसी10 + सीसी11) :

परंतु यह कि, नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बंद पड़े उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई के मामले में, उत्पादन कंपनी को एएफसी का एक हिस्सा वसूलने की अनुमति होगी, जिसमें केवल संचालन एवं रखरखाव व्यय और ऋण पर ब्याज शामिल होगा।

जहाँ,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, रुपये में,

एनएपीएएफ = मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में,

$\text{पीएएफ}_{\text{एम}}$ = माह के अंत तक प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में,

पीएएफवाई = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, प्रतिशत में,

सीसी1, सीसी2, सीसी3, सीसी4, सीसी5, सीसी6, सीसी7, सीसी8, सीसी9, सीसी10, सीसी11 और सीसी12 क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें महीने के क्षमता प्रभार हैं।

44.3. पीएएफएम और पीएएफवाई की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\text{पीएएफएम या पीएएफवाई} = 10000 \times \sum_{\text{आई} = 1}^{\text{एन}} \text{डीसी}_{\text{आई}} \{ \text{एन} \times \text{आईसी} \times (100 - \text{एयूएक्सए}_{\text{न}} - \text{एयूएक्स}_{\text{ईएन}}) \} \%$$

जहाँ,

$\text{एयूएक्सए}_{\text{न}}$ |= सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मानक सहायक ऊर्जा खपत,

$\text{एयूएक्स}_{\text{ईएन}}$ = सकल ऊर्जा उत्पादन के प्रतिशत के रूप में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए मानक सहायक ऊर्जा खपत, जहाँ भी लागू हो,

डीसी = अवधि के iवें दिन, अर्थात् माह या वर्ष, जैसा भी मामला हो, के लिए नीचे दिए गए खंड के अध्यधीन, औसत घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावाट में), जैसा कि दिन समाप्त होने के बाद एसएलडीसी द्वारा प्रमाणित किया जाता है,

आईसी = उत्पादन केंद्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में),

एन = अवधि के दौरान दिनों की संख्या, अर्थात् माह या वर्ष, जैसा भी मामला हो।

नोटः

डीसीआई एवं आईसी में वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत घोषित नहीं की गई उत्पादन इकाइयों की क्षमता शामिल नहीं होगी। संबंधित अवधि के दौरान आईसी में परिवर्तन होने की स्थिति में, इसका औसत मान लिया जाएगा।

44.4. किसी ताप विद्युत उत्पादन केंद्र में ईंधन की कमी होने की स्थिति में, राज्य के वितरण लाइसेंसधारी को कुल विद्युत आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनी, ऑफ–पीक घंटों के दौरान ईंधन की बचत करके पीक–लोड घंटों के दौरान अधिक मेगावाट आपूर्ति का प्रस्ताव कर सकती हैः

परंतु यह कि एसएलडीसी, लाभार्थियों के परामर्श से, उत्पादन केंद्र के लिए अपने मेगावाट और ऊर्जा क्षमता का इष्टतम उपयोग करने हेतु एक व्यावहारिक डे–अहेड कार्यक्रम निर्धारित कर सकता हैः

परंतु यह और कि, ऐसी स्थिति में डीसीआई को उस दिन के लिए एसएलडीसी द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम पीक–ऑवर एक्स–पावर प्लांट मेगावाट कार्यक्रम के बराबर माना जाएगा।

44.5. उत्पादन केंद्र या उसकी इकाई को विनियम 42.2 में विनिर्दिष्ट मानक वार्षिक प्लांट लोड फैक्टर (एनएपीएलएफ) के अनुरूप एक्स–बस ऊर्जा से अधिक अनुसूचित उत्पादन के अनुरूप एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 75 पैसे/किलोवाट घंटा की एक समान दर पर अतिरिक्त प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

44.6. ऊर्जा प्रभार में ईंधन लागत (प्राथमिक ईंधन के साथ–साथ द्वितीयक ईंधन) शामिल होगी, और प्रत्येक लाभार्थी द्वारा कैलेंडर माह के दौरान ऐसे लाभार्थी को आपूर्ति की जाने वाली कुल ऊर्जा के लिए, उस माह की ऊर्जा शुल्क दर पर, एक्स–पावर प्लांट के आधार पर देय होगी। एक माह के लिए उत्पादन कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होगाः

(ऊर्जा शुल्क दर रु./कि.वा.घ. में) x {माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) कि.वा.घ. में}

एक्स–पावर प्लांट के आधार पर प्रति कि.वा.घ. रुपये में ऊर्जा शुल्क दर (ईसीआर) कोयला–आधारित स्टेशनों के लिए निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार तीन दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगीः

ईसीआर = [{(जीएचआर–एसएफसी x सीव्हीएसएफ) x एलपीपीफ/सीव्हीएसएफ}+ एसएफसी x एलपीएसएफआई] x 100/ (100–एयूएक्स)

जहाँ,

एयूएक्स = मानक सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में।

सीवीपीएफ

(क) उत्पादन केंद्र पर प्राप्त प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर में, जैसा भी विवेकपूर्ण जाँच के बाद लागू हो :

परतु यह कि जहाँ 'प्राप्त' के आधार पर नमूने लेने की व्यवस्था न हो, वहाँ प्राप्त कोयले के जीसीवी की गणना 'बिल के अनुसार' कोयले के जीसीवी से की जा सकती है।

कुल नमी के समायोजन की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगीः

$$\frac{\text{जीसीवी} \times (1-\text{टीएम})}{(1-\text{आईएम})}$$

जहाँ, जीसीवी = कोयले का सकल कैलोरी मान,

टीएम = कुल नमी,

आईएम = अंतर्निहित नमी;

(ख) कोयला आधारित स्टेशनों के लिए प्राप्त कोयले का भारित औसत सकल कैलोरी मान, प्रति किलोग्राम किलो कैलोरी में, उत्पादन स्टेशन पर भंडारण के दौरान होने वाले परिवर्तन के कारण 85 किलो कैलोरी/किग्रा कम;

(ग) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ईंधन के सम्मिश्रण के मामले में, प्राथमिक ईंधन का भारित औसत सकल कैलोरी मान, सम्मिश्रण अनुपात के अनुपात में निकाला जाएगाः

सीव्हीएसएफ = द्वितीयक ईंधन का ऊष्मीय मान, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में,

ईसीआर = ऊर्जा प्रभार दर, रुपये प्रति किलोवाट घंटा में,

जीएचआर = मानक सकल स्टेशन ताप दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंटा में,

एलपीपीएफ = प्राथमिक ईंधन का भारित औसत लैण्डेड मूल्य, माह के दौरान, रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर में, जैसा भी लागू होः

परंतु यह कि, विभिन्न स्रोतों से ईंधन के सम्मिश्रण के मामले में, प्राथमिक ईंधन की भारित औसत लैण्डेड लागत, सम्मिश्रण अनुपात को ध्यान में रखकर निकाली जाएगी।

एसएफसी = मानक विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट घंटा में,

एलपीएसएफ = द्वितीयक ईंधन का भारित औसत लैण्डेड मूल्य, रुपये/मिली में, जिसे प्रारंभ में ध्यान में रखा गया है।

44.7. द्वितीयक ईंधन लागत, परिवर्तनीय लागत का हिस्सा होने के बावजूद, परिवर्तनीय लागत समायोजन (व्हीसीए) सूत्र का हिस्सा नहीं होगी :

परंतु यह कि द्वितीयक ईंधन तेल लागत के कारण होने वाले प्रभाव का ट्रू–अप के समय समाधान किया जाएगा।

44.8. द्वितीयक ईंधन तेल पर उत्पादन कंपनी द्वारा वहन की गई लैण्डेड लागत, पिछले तीन महीनों के वास्तविक भारित औसत मूल्य के आधार पर ली जाएगी और पिछले तीन महीनों के लिए लैण्डेड लागत के अभाव में, वर्ष के प्रारंभ से पहले उत्पादन स्टेशन के लिए नवीनतम खरीद मूल्य के आधार पर ली जाएगी।

44.9. उत्पादन कंपनी को, आयोग के पूर्व अनुमोदन से, घरेलू कोयले के कुशल उपयोग के लिए हस्तांतरित कोयले के उपयोग हेतु भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार, विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले और अन्य संसाधनों के उपयोग में लचीलापन रखने की अनुमति होगी।

44.10. महीने के लिए ईंधन की लैण्डेड लागत में ईंधन की कीमत या इनपुट मूल्य, जहाँ भी लागू हो, ईंधन के ग्रेड और गुणवत्ता के अनुरूप वाशरी शुल्क, रॉयल्टी, कर और ड्यूटी, कन्वेयर/रेल/सड़क या किसी अन्य माध्यम से परिवहन लागत शामिल होगी, और कोयले के मामले में, विनियम 42.6 में विनिर्दिष्ट मानक ट्रांजिट और हैंडलिंग घाटे पर विचार करने के बाद इसका आकलन किया जाएगाः

परंतु यह कि, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक ईंधन के मामले में, ऐसी बोली के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर को मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर समायोजन के बाद ईंधन की लैण्डेड लागत माना जाएगाः

परंतु यह और कि, कोयला–आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन के मामले में, प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मान, विवेकपूर्ण जाँच के बाद प्रतिष्ठित तृतीय–पक्ष एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, तृतीय–पक्ष परीक्षण के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, लाभार्थियों द्वारा की जाएगी।

44.11. ईंधन और अन्य व्ययों में मासिक परिवर्तन, इन विनियमों के विनियम 92 में वर्णित प्रणाली के अनुसार वसूलनीय होगा।

44.12. उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभार, सहायक ऊर्जा खपत और अभिकर्मक खपत की लागत के कारण अंतर ऊर्जा प्रभारों को, कवर करेगा, और प्रत्येक लाभार्थी द्वारा कैलेंडर माह के दौरान ऐसे लाभार्थी को आपूर्ति की जाने वाली अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिए, एक्स–विद्युत संयंत्र आधार पर, उस माह की अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर पर देय होगा।

परंतु यह कि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण ऐसा पूरक ऊर्जा प्रभार लाभार्थियों को दिया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के साथ पत्राचार से यथा प्रमाणित अनुसार, उत्पादन कंपनी द्वारा उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के अधीन होगा।

44.13. उत्पादन कंपनी को देय कुल अनुपूरक ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होगा :

अनुपूरक ऊर्जा शुल्क = (रुपये/किलोवाट घंटा में अनुपूरक ऊर्जा शुल्क दर) x {किलोवाट घंटा में मासिक अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस)}

कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए अनुपूरक ईसीआरः

अनुपूरक ईसीआर = (ईसीआर) + [(एसआरसी x एलपीआर/10) / (100–(एयूएक्स$_{\text{एन}}$ + एयूएक्स$_{\text{ईएन}}$)), जहाँ,

(ईसीआर) = (एयूएक्सएन + एयूएक्सएन) के समतुल्य उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के साथ संशोधित सहायक ऊर्जा खपत वाले ईसीआर और इन विनियमों में निर्दिष्ट मानक सहायक ऊर्जा खपत वाले ईसीआर के बीच का अंतर,

एसआरसी =संशोधित उत्सर्जन मानकों के कारण विशिष्ट अभिकर्मक खपत (ग्राम/किलोवाट घंटा में),

एलपीआर = उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए अभिकर्मक का भारित औसत लैण्डेड मूल्य (रुपये/किलोग्राम में)।

45. जल विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान

जल विद्युत उत्पादन केंद्र से बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ में, संयुक्त क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार शामिल होंगे, जो सीईआरसी (टैरिफ के निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2024 में विनिर्दिष्ट तरीके से प्राप्त किए जाएँगेः

परंतु यह कि राज्य के स्वामित्व वाले जल विद्युत संयंत्र के लिए टैरिफ, एकल–भाग टैरिफ होगाः

परंतु यह भी कि, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों को 'अनिवार्य रूप से चलने वाले' बिजली केंद्र के रूप में माना जाएगा।

46. सीडीएम लाभों का बँटवारा

स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के अंतर्गत अनुमोदित उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट की आय, निम्नलिखित तरीके से साझा की जाएगी, अर्थात :—

(क) सीडीएम के कारण सकल आय का 100 प्रतिशत, उत्पादन केंद्र या पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद पहले वर्ष में परियोजना डेवलपर द्वारा रखा जाएगा;

(ख) दूसरे वर्ष के लिए, लाभार्थियों का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा, जिसे प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा, जब तक कि यह 50 प्रतिशत तक न पहुंच जाए, तत्पश्चात प्राप्त राशि को उत्पादन कंपनी या पारेषण प्रणाली, जैसा भी मामला हो, और लाभार्थियों द्वारा समान अनुपात में साझा किया जाएगा।

47. विचलन प्रभार

उत्पादक केंद्रों के लिए वास्तविक शुद्ध अंतःक्षेपण और अनुसूचित शुद्ध अंतःक्षेपण के बीच अंतर, और लाभार्थियों के लिए वास्तविक शुद्ध निकासी और अनुसूचित शुद्ध निकासी के बीच अंतर को, उनके संबंधित विचलन के रूप में माना जाएगा और ऐसे विचलनों के लिए प्रभार सीएसईआरसी (अंतर–राज्यीय उपलब्धता आधारित टैरिफ और विचलन निपटान तंत्र) विनियम, 2016 के अनुसार तय किए जाएँगेः

परंतु यह कि, इन विनियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, आयोग, समय–समय पर यथा संशोधित सीईआरसी (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2014 के तहत अधिसूचित मानदंडों को ऐसी अवधि के लिए अपनाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिष्चित किया जाये।

परंतु यह और कि, राज्य के स्वामित्व वाले वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनी पर लागू विचलन प्रभार के कारण लाभ और हानि के बंटवारे की अनुमति, इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार ट्रू–अप के समय दी जाएगीः

परंतु यह भी कि, प्रत्येक उत्पादन केंद्र और लाभार्थी के वास्तविक शुद्ध विचलन को उसकी परिधि पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी /एसटीयू /वितरण लाइसेंसधारी द्वारा संस्थापित किए गये विशेष ऊर्जा मीटरों (एसईएम) के माध्यम से मापा जाएगा और एसएलडीसी द्वारा प्रत्येक 15 मिनट के समय–ब्लॉक के लिए मेगावाट घंटे में गणना की जायेगी।

अध्याय 5
एकीकृत खदान (खान) से कोयला और लिग्नाइट के इनपुट मूल्य का निर्धारण

48. ऊर्जा प्रभार हेतु कोयला और लिग्नाइट का इनपुट मूल्य

48.1. जहाँ उत्पादन कंपनी के पास उसे आवंटित एकीकृत खदान(खानों) से कोयला या लिग्नाइट की आपूर्ति की व्यवस्था है, जिसका उपयोग उसके एक या एक से अधिक उत्पादन केंद्रों में अंतिम उपयोग के रूप में, आंशिक या पूर्ण रूप से किया जाएगा, वहाँ उत्पादन केंद्र के टैरिफ का ऊर्जा प्रभार घटक, इन विनियमों के अनुसार निर्धारित ऐसी एकीकृत खदानों से कोयला या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के आधार पर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित किया जाएगा।

48.2. एकीकृत खदान(खानों) के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के पश्चात, जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत कोयले का इनपुट मूल्य निर्धारित नहीं कर लिया जाता, तब तक उत्पादन कंपनी एकीकृत खदान(खानों) से प्राप्त कोयले के ग्रेड के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य या निवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, को उत्पादन केंद्र के लिए कोयले के इनपुट मूल्य के रूप में अपनाएगीः

परंतु यह कि, इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित कोयले के इनपुट मूल्य और ऐसे निर्धारण से पूर्व अपनाए गए कोयले के इनपुट मूल्य के बीच के अंतर को, बिल की गई कोयले की मात्रा के लिए, विनियम 48.4 के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

48.3. एकीकृत खदानों के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के पश्चात, जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत लिग्नाइट का इनपुट मूल्य निर्धारित नहीं कर लिया जाता, तब तक उत्पादन केंद्र के लिए लिग्नाइट का इनपुट मूल्य, आयोग द्वारा लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के लिए निर्धारित अंतिम उपलब्ध एकत्रित लिग्नाइट मूल्य या निवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित करेगाः

परंतु यह कि, इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित लिग्नाइट के इनपुट मूल्य और ऐसे निर्धारण से पूर्व निर्धारित लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के बीच के अंतर को, बिल की गई लिग्नाइट की मात्रा के लिए, विनियम 48.4 के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

48.4. इस विनियमन के विनियम 48.2 के अंतर्गत इनपुट मूल्य की अधिक या कम वसूली के मामले में, उत्पादन कंपनी, यथास्थिति, अतिरिक्त राशि वापस करेगी या कमी वाली राशि की वसूली, उक्त वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की गणना हेतु अनुमत दर के बराबर साधारण ब्याज सहित, आयोग द्वारा निर्धारित किश्तों में करेगीः

परंतु यह कि ऐसा ब्याज आदेश जारी होने की तिथि तक देय होगा और किश्तों की अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा या अधिरोपित नहीं जाएगाः

परंतु यह और कि, यदि इन विनियमों के विनियम 5.10 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार इनपुट मूल्य के निर्धारण हेतु याचिका दायर करने में विलंब होती है, तो विलंब की अवधि के अनुरूप वहन लागत की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

49. एकीकृत खदान के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पूर्व कोयला या लिग्नाइट की आपूर्ति

वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पूर्व एकीकृत खदान(खानों) से कोयला या लिग्नाइट की आपूर्ति हेतु इनपुट मूल्य, निवेश अनुमोदन में उपलब्ध अनुमानित मूल्य या विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति किए गए कोयले के संगत ग्रेड के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित मूल्य, जो भी कम हो, होगा।

परंतु यह कि, एकीकृत खदान(खानों) के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पूर्व कोयला या लिग्नाइट की आपूर्ति से अर्जित कोई भी राजस्व, उक्त एकीकृत खदान(खानों) की पूंजीगत लागत को समायोजित करने में लागू किया जाएगा।

50. वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2029–30 तक की नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन केंद्र(केन्द्रों) की एकीकृत खदान(खानों) से कोयले का इनपुट मूल्य निम्नलिखित के लिए वार्षिक रूप से ट्रू–अप किया जाएगा:

क) आयोग द्वारा अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय;

ख) अप्रत्याशित घटना और कानून में परिवर्तन के कारण किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय;

ग) जीवन और संपत्ति के लिए खतरे को कम करने के लिए किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय;

घ) इन विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार संचालन एवं रखरखाव व्यय :

परंतु यह कि ट्रूइंग–अप करने के बाद, यदि पहले से वसूल की गई इनपुट मूल्य, इन विनियमों के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित इनपुट मूल्य से अधिक या कम हो जाती है, तो अतिरिक्त या कमी की राशि, जैसा भी मामला हो, उत्पादन कंपनी द्वारा उक्त वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए अनुमत दर के बराबर साधारण ब्याज के साथ, आयोग द्वारा तय की जा सकने वाली किश्तों में वापस की जाएगी या वसूल की जाएगी:

परंतु यह और कि, उत्पादन कंपनी, अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर लाभार्थियों से ऐसी अतिरिक्त राशि वापस करेगी या कमी की राशि वसूल करेगी।

51. कोयला या लिग्नाइट का इनपुट मूल्य

51.1. एकीकृत खदान(खानों) से कोयला या लिग्नाइट का इनपुट मूल्य, निम्नलिखित घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगाः

I) रन ऑफ माइन (आर ओ एम) लागत; और

II) अतिरिक्त प्रभारः

क. क्रशिंग शुल्क;

ख. खदान के भीतर एकीकृत खदान से संबद्ध वाशरी छोर या कोयला हैंडलिंग प्लांट तक परिवहन शुल्क, जैसा भी मामला हो;

ग. खदान छोर पर हैंडलिंग शुल्क;

घ. धुलाई शुल्क; और

ड.. वाशरी छोर या कोयला हैंडलिंग प्लांट से आगे, जैसा भी मामला हो, और लोडिंग पॉइंट तक परिवहन शुल्कः

परंतु यह कि, ऐसे मामलों में जहाँ परिवहन दो चरणों में होता है, अर्थात खदान से भंडारण यार्ड तक और भंडारण यार्ड से प्लांट तक, परिवहन शुल्क दोनों चरणों के लिए संचयी होगाः

पंरतु यह और कि, एकीकृत खदान(खदानों) के मामले में, खनन गतिविधियों के दायरे और प्रकृति के आधार पर अतिरिक्त शुल्कों के एक या अधिक घटक लागू हो सकते हैंः

परंतु यह भी कि, लिग्नाइट की इनपुट कीमत की गणना, प्रौद्योगिकी जैसे बकेट एक्सकेवेटर–कन्वेयर या बेल्ट–स्प्रेडर या इसके संयोजन और हैंडलिंग शुल्क, यदि कोई हो, के आधार पर रन ऑफ माइन (आरओएम) लागत के आधार पर की जाएगी।

51.2. वैधानिक प्रभार, जैसा भी लागू हो, विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन, वास्तविक रूप में अनुमत होंगे।

52. रन ऑफ माइन (आरओएम) लागत

52.1. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी के माध्यम से आवंटित एकीकृत खदानों के मामले में कोयले की रन–ऑफ–माइन लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः

आरओएम लागत = (कोयले का उद्धृत मूल्य) + (निश्चित आरक्षित मूल्य)

जहाँ,

(i) कोयले का उद्धृत मूल्य संबंधित कोयला ब्लॉक या खदान के संबंध में कोयले का अंतिम मूल्य प्रस्ताव है, साथ ही कोयला खान विकास एवं उत्पादन समझौते में प्रावधान के अनुसार, यदि कोई बाद में वृद्धि हो, भी शामिल हैः

परंतु यह कि, नीलामी के दौरान उत्पादन कंपनी द्वारा उद्धृत अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को रन–ऑफ–माइन लागत में शामिल नहीं किया जाएगा;

(ii) निश्चित आरक्षित मूल्य, प्रति टन निर्धारित आरक्षित मूल्य है, साथ ही कोयला खान विकास एवं उत्पादन समझौते में प्रावधान के अनुसार, यदि कोई बाद में वृद्धि हो, भी शामिल है ; और

(iii) विनियम 54 के अंतर्गत पूंजीगत लागत और विनियम 55 के अंतर्गत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, नीलामी के माध्यम से आवंटित एकीकृत खदानों के संबंध में आरओएम लागत के प्रयोजन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

52.2. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आवंटन मार्ग से आवंटित एकीकृत खदान के मामले में कोयले की रन–ऑफ–माइन लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः

आरओएम लागत = [(वार्षिक निष्कर्षण लागत/एटीक्यू या वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) + खनन प्रभार] + (निर्धारित आरक्षित मूल्य);

जहाँ,

(i) वार्षिक निष्कर्षण लागत, इन विनियमों के विनियम 56 के अनुसार गणना की गई कोयले के निष्कर्षण की लागत है;

(ii) खनन शुल्क, उत्पादन कंपनी द्वारा खनन के लिए नियोजित खदान विकासकर्ता और संचालक को प्रति टन कोयले के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क है, जहाँ भी लागू हो; और

(iii) निर्धारित आरक्षित मूल्य, कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते में प्रावधान के अनुसार प्रति टन निर्धारित आरक्षित मूल्य है, साथ ही बाद में होने वाली वृद्धि, यदि कोई हो, भी शामिल है।

52.3. लिग्नाइट के लिए एकीकृत खदान के मामले में लिग्नाइट की रन–ऑफ–माइन लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः

आरओएम लागत = [(वार्षिक निष्कर्षण लागत/एटीक्यू या वास्तविक उत्पादन, जो भी अधिक हो) + खनन प्रभार];

जहाँ,

(i) वार्षिक निष्कर्षण लागत, इन विनियमों के विनियम 56 के अनुसार गणना की गई लिग्नाइट के निष्कर्षण की लागत है;

(ii) खनन शुल्क, उत्पादन कंपनी द्वारा खनन के लिए नियोजित खदान विकासकर्ता और संचालक को प्रति टन लिग्नाइट का भुगतान किया जाने वाला शुल्क है, जहाँ भी लागू हो।

52.4. उत्पादन कंपनी, वार्षिक आधार पर कोयले या लिग्नाइट के निष्कर्षण के लिए खनन योजना का पालन करेगी और कोयला नियंत्रक या सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि, खनन योजना से विचलन पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब ऐसे विचलन को कोयला नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया गया हो या संशोधित खनन योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

52.5. कोयला और लिग्नाइट की रन–ऑफ–माइन लागत रुपये प्रति टन के हिसाब से निकाली जाएगी।

53. अतिरिक्त शुल्क

53.1. जहाँ क्रशिंग या परिवहन या हैंडलिंग या धुलाई का कार्य, उत्पादन कंपनी द्वारा माइन डेवलपर और ऑपरेटर या माइन डेवलपर और ऑपरेटर के अलावा किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त किए बिना किया जाता है, वहाँ अतिरिक्त प्रभार निम्नानुसार निकाले जाएँगे:

(i) क्रशिंग प्रभार = वार्षिक क्रशिंग लागत / मात्रा;

(ii) परिवहन प्रभार = वार्षिक परिवहन लागत / मात्रा:

परंतु यह कि, खदान से एकीकृत खदान(खानों) से संबद्ध वाशरी छोर या कोयला हैंडलिंग संयंत्र तक और एकीकृत खदान(खानों) से संबद्ध वाशरी छोर या कोयला हैंडलिंग संयंत्र से आगे और लोडिंग बिंदु तक, जैसा भी मामला हो, अलग–अलग परिवहन शुल्क, जैसा भी लागू हो, विचार किया जाएगा:

परंतु यह और कि, उन मामलों में जहाँ परिवहन दो चरणों में होता है, अर्थात खदान से भंडारण यार्ड तक और भंडारण यार्ड से संयंत्र तक, परिवहन शुल्क दोनों चरणों के लिए संचयी होगा:

परंतु यह भी कि, ऐसे मामलों में, प्रति टन परिवहन लागत की गणना, दोनों चरणों के लिए अलग–अलग की जाएगी और फिर संचयी प्रभाव पर विचार किया जाएगा।

(iii) हैंडलिंग शुल्क = वार्षिक हैंडलिंग लागत / मात्रा; और

(iv) धुलाई शुल्क = वार्षिक धुलाई लागत / मात्रा:

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी, लागत–लाभ विश्लेषण, वास्तव में प्राप्त कैलोरी मान में सुधार के संदर्भ में कोयले की धुलाई में हुई लागत का औचित्य प्रस्तुत करेगी।

जहाँ,

(क) वार्षिक क्रशिंग लागत, वार्षिक परिवहन लागत, वार्षिक हैंडलिंग लागत और वार्षिक धुलाई लागत निम्नलिखित घटकों के आधार पर निकाली जाएगी, जिसके लिए उत्पादन कंपनी पूंजीगत लागत अलग से प्रस्तुत करेगी:

i) मूल्यह्रास;

ii) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

iii) ऋण पर ब्याज;

iv) इक्विटी पर प्रतिफल;

v) संचालन एवं रखरखाव व्यय, खनन शुल्क को छोड़कर;

क. मानव संसाधन व्यय

ख. एम एवं जी व्यय;

vi) वैधानिक शुल्क, यदि लागू हो।

(ख) मात्रा, वर्ष के दौरान लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित, क्रषिंग या परिवहन किए गए या हैंडल किए गए या वाषिंग किये गए कोयले या लिग्नाइट की टन मात्रा होगी।

53.2. जहाँ क्रशिंग, परिवहन, हैंडलिंग या वाषिंग, उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खान विकासकर्ता और संचालक के कार्यक्षेत्र में आती है, वहाँ कोई अतिरिक्त शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी वसूली खान विकासकर्ता और संचालक के खनन प्रभार के माध्यम से की जाएगी।

53.3. जहाँ क्रशिंग, परिवहन, हैंडलिंग या वाषिंग, उत्पादन कंपनी द्वारा खान विकासकर्ता और संचालक के अलावा किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करके की जाती है, ऐसी एजेंसियों के वार्षिक शुल्क को संचालन एवं रखरखाव व्यय का हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते कि ये शुल्क पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए गए हों।

53.4. जहाँ क्रशिंग शुल्क, परिवहन शुल्क, हैंडलिंग शुल्क और वाषिंग शुल्क पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का सहारा लिए बिना पारस्परिक रूप से सहमति हो गई हो, वहाँ आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड या समान कोयला खदानों के शुल्कों या किसी अन्य संदर्भ शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, इन्हें स्वीकार किया जाएगा।

53.5. क्रशिंग शुल्क, परिवहन शुल्क, हैंडलिंग शुल्क और वाषिंग शुल्क, रुपये प्रति टन के हिसाब से निकाले जाएँगे।

54. पूंजीगत लागत

54.1. वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक एकीकृत खदानों के विकास के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आईडीसी और आईईडीसी सहित किए गए पूंजीगत व्यय को, पूंजीगत लागत निकालने के लिए विवेकपूर्ण जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

54.2. खनन कार्यों के लिए आवश्यक क्रशिंग, परिवहन, हैंडलिंग, वाषिंग और अन्य खनन गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे पर किए गए पूंजीगत व्यय की गणना, इन विनियमों के अनुसार अलग से की जाएगीः

परंतु यह कि, जहां क्रशिंग, परिवहन, हैंडलिंग या वाषिंग का कार्य, उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाता है, इन घटकों के बुनियादी ढांचे पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाएगाः

परंतु यह और कि, जहां क्रशिंग, परिवहन, हैंडलिंग या वाषिंग के किसी भी घटक के साथ या उसके बिना खदान विकास और संचालन, उत्पादन कंपनी द्वारा खान विकासकर्ता और संचालक या खान विकासकर्ता और संचालक के अलावा किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करके किया जाता है, खान विकासकर्ता और संचालक या ऐसी एजेंसी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय को उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजीकृत नहीं किया जाएगा और इनपुट मूल्य के निर्धारण के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

54.3. पूंजीगत व्यय का निर्धारण खनन योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, खदान बंद करने की योजना, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट और आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य विवरणों पर विचार करके किया जाएगा, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

54.4. एकीकृत खदानों के मामले में, जिन्होंने 1.4.2026 से पहले वाणिज्यिक संचालन की तिथि घोषित की है, सीएसईआरसी एमवाईटी विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार 31.3.2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुमत पूंजीगत व्यय, इनपुट मूल्य की गणना का आधार होगा।

55. अतिरिक्त पूंजीगत व्यय

55.1. एकीकृत खदानों के संबंध में, वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद और अधिकतम निर्धारित क्षमता प्राप्त करने की तिथि तक किए गए या किए जाने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय को आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकता है और नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष में खनन योजना में निर्दिष्ट वर्ष की वार्षिक लक्ष्य मात्रा या उस वर्ष में वास्तविक निष्कर्षण, जो भी अधिक हो, के अनुरूप अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में निम्नलिखित आधारों पर पूंजीकृत किया जाएगाः

(क) खनन योजना के अनुसार गतिविधियों पर किया गया व्यय;

(ख) निष्पादन के लिए स्थगित कार्यों पर व्यय और वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पहले निष्पादित कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त अप्राप्त देनदारियाँ;

(ग) किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के निर्देशों या आदेशों का पालन करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों पर व्यय;

(घ) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री या मध्यस्थता के निर्णय के अनुपालन से उत्पन्न देनदारियाँ;

(ङ) खनन योजना के अनुसार भूमि की खरीद और विकास पर व्यय;

(च) अतिरिक्त भारी अर्थ मूविंग मशीनरी की खरीद पर व्यय, उनके उपयोगी जीवन के पूरा होने पर प्रतिस्थापन हेतु; और

(छ) कानून में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण देयताएँ;

परंतु यह कि, किसी भी परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन के मामले में, अतिरिक्त पूंजीकरण की गणना, सकल स्थिर परिसंपत्तियों और डी–पूंजीकरण के कारण प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के संचयी मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद की जाएगी:

परंतु यह और कि, उत्पादन कंपनी, भारी खनन उपकरण जैसे कि भारी अर्थ मूविंग मशीनरी की खरीद और प्रतिस्थापन के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी और उसे लाभार्थी/लाभार्थियों के साथ साझा करेगी और उसे अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगी।

55.2. एकीकृत खदानों के संबंध में, पीक रेटेड क्षमता प्राप्त करने की तिथि के बाद किए गए या किए जाने उपगत व्यय, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकता है, और खनन योजना में निर्दिष्ट संबंधित वर्षों की वार्षिक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप, निम्नलिखित आधारों पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा:

(क) खनन योजना के अनुसार गतिविधियों पर किया गया व्यय, यदि कोई हो;

(ख) किसी वैधानिक प्राधिकरण के निर्देशों या आदेश का पालन करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के लिए व्यय;

(ग) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री या मध्यस्थता के निर्णय के अनुपालन से उत्पन्न देयताएँ;

(घ) खनन योजना के अनुसार भूमि की खरीद और विकास के लिए व्यय; और

(ड.) कानून में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण देयताएँ:

परंतु यह कि किसी भी परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन के मामले में, अतिरिक्त पूंजीकरण की गणना, सकल स्थिर परिसंपत्तियों, संचयी मूल्यह्रास और डी–पूंजीकरण के कारण प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों के ऋण की संचयी पुनर्भगतान को समायोजित करने के बाद की जाएगी।

55.3. इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मदों पर व्यय को, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय नहीं माना जाएगाः

क) व्यय, जो किया गया है, लेकिन पूंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि परिसंपत्तियों को सेवा (प्रगतिशील पूंजीगत कार्य) में नहीं लगाया गया है ;

ख) खदान बंद करने का व्यय;

ग) खनन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए कार्यों पर व्यय, जब तक कि इन विनियमों के विनियम 55.1 के उप–खंड (छ) या विनियम 55.2 के उप–खंड (ड.) के अंतर्गत शामिल न हों;

घ) उपयोगी जीवन पूरा हो जाने पर या प्रौद्योगिकी के अप्रचलित हो जाने के कारण परिसंपत्तियों के अप्रचलित हो जाने के कारण प्रतिस्थापन पर व्यय, यदि ऐसी परिसंपत्तियों की मूल लागत को सकल स्थिर परिसंपत्तियों से डी–पूंजीकृत नहीं किया गया हो।

55.4. उपरोक्त गणनाओं के कारण एकीकृत खदानों में कोई अतिरिक्त पूंजीकरण करने वाली उत्पादन कंपनी, लाभार्थीयों को सूचित करने के बाद, ऐसे व्यय के लिए अंतर्निहित मान्यताओं, अनुमानों और औचित्य के साथ, ऐसे व्यय के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु याचिका दायर कर सकती है।

56. वार्षिक निष्कर्षण लागत

56.1. एकीकृत खदानों की वार्षिक निष्कर्षण लागत में निम्नलिखित घटक शामिल होंगेः

(1) मूल्यह्रास;

(2) ऋण पर ब्याज;

(3) इक्विटी पर प्रतिफल;

(4) संचालन एवं रखरखाव व्यय, खनन शुल्क को छोड़करः

क. मानव संसाधन व्यय;

ख. प्रबंधन एवं सामान्य व्यय;

(5) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(6) खदान बंद करने का व्यय, यदि खनन शुल्क में शामिल नहीं है ; और

(7) वैधानिक शुल्क, यदि लागू हो।

57. पूंजी संरचना, इक्विटी पर प्रतिफल और ऋण पर ब्याज

57.1. एकीकृत खदान(नों) के लिए, वाणिज्यिक संचालन की तिथि और अधिकतम निर्धारित क्षमता प्राप्त करने की तिथि को ऋण–इक्विटी अनुपात पर इन विनियमों के विनियम 17 में निर्दिष्ट तरीके से विचार किया जाएगा।

57.2. एकीकृत खदान(नों) के लिए, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए ऋण–इक्विटी अनुपात पर इन विनियमों के विनियम 57.1 में निर्दिष्ट तरीके से विचार किया जाएगा।

57.3. इक्विटी पर प्रतिफल की गणना इन विनियमों के विनियम 24 में निर्दिष्ट तरीके से 14 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी।

57.4. ऋण पर ब्याज, जिसमें मानक ऋण भी शामिल है, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर पर विचार करके निकाला जाएगा।

58. मूल्यह्रास

58.1. एकीकृत खदान(नों) के संबंध में मूल्यह्रास की गणना वाणिज्यिक संचालन की तिथि से सीधी रेखा पद्धति लागू करके की जाएगी।

58.2. मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकृत परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत होगीः

परंतु यह कि,

i) अनुदान से खरीदी गई फ्रीहोल्ड भूमि या परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियाँ नहीं माना जाएगा और परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास योग्य मूल्य की गणना करते समय उनकी लागत को पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा;

ii) जहाँ फ्रीहोल्ड भूमि का आवंटन सशर्त है और उसे वापस करना आवश्यक है, ऐसी भूमि की लागत मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार का हिस्सा होगी, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन होगी; और

iii) लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन लीज अवधि या एकीकृत खदान(खदानों) के शेष जीवनकाल, जो भी कम हो, पर किया जाएगा।

58.3. किसी परिसंपत्ति का निस्तारण मूल्य, परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत माना जाएगा :

परंतु यह कि निस्तारण मूल्य निम्न होगाः

i) आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के लिए शून्य;

ii) खनन/सतही अधिकारों, संबद्ध वैधानिक भुगतानों और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्यों से संबंधित अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शून्य;

iii) भूमि के लिए शून्य या उत्पादन कंपनी द्वारा राज्य सरकार के साथ सहमति के अनुसार; और

iv) विशिष्ट खनन उपकरणों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार।

58.4. एकीकृत खदानों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना वार्षिक रूप से मूल्यह्रास दरों को लागू करके या इन विनियमों के परिशिष्ट–III में विनिर्दिष्ट अपेक्षित उपयोगी जीवन के आधार पर की जाएगीः

परंतु यह कि, विशिष्ट खनन उपकरणों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास दर के अनुसार किया जाएगा।

59. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

59.1. कोयला या लिग्नाइट की एकीकृत खदानों के संबंध में मानक ओ एंड एम व्यय, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित ओ एंड एम व्यय के आधार पर अनुमत होंगे, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन होंगेः

परंतु यह कि, इस खंड के अंतर्गत अनुमत ओ एंड एम व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर वार्षिक रूप से ट्रू–अप किए जाएँगे।

59.2. 31 मार्च 2026 को या उससे पहले चालू की गई कोयला या लिग्नाइट की एकीकृत खदानों के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि के लिए मानक प्रचालन एवं रख–रखाव व्यय, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आयोग द्वारा अनुमत प्रचालन एवं रख–रखाव व्यय के आधार पर अनुमत किए जाएँगे और प्रति वर्ष 5.25 प्रतिशत की दर से बढ़ाए जाएँगे।

59.3. जहाँ एकीकृत खदानों का विकास और संचालन उत्पादन कंपनी द्वारा खदान विकासकर्ता और संचालक को नियुक्त करके किया जाता है, ऐसे खदान विकासकर्ता और संचालक का खनन प्रभार विनियम 60.1 के अंतर्गत प्रचालन एवं रख–रखाव व्यय में शामिल नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि, यदि कानून में किसी परिवर्तन के कारण उत्पादन कंपनी पर कोई अतिरिक्त देयता उत्पन्न होती है, जो खदान विकासकर्ता के लिए पास–थ्रू नहीं है, तो उसे उत्पादन कंपनी को अतिरिक्त प्रचालन एवं रख–रखाव प्रभार के रूप में पास–थ्रू किया जाएगा।

59.4. जहाँ उत्पादन कंपनी द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, क्रशिंग या परिवहन या हैंडलिंग या वाषिंग या इनके किसी संयोजन के लिए खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अलावा किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त किया जाता है, वहाँ ऐसी एजेंसी के वार्षिक शुल्क को विनियम 60.1 के अंतर्गत संचालन एवं रखरखाव व्यय के भाग के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच की जाए।

60. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

60.1. कोयले की एकीकृत खदान(खानों) की कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप उत्पादन के 7 दिनों के लिए कोयला स्टॉक की इनपुट लागत; साथ ही

(ii) विस्फोटक, स्नेहक और ईंधन सहित भंडार और पुर्जों की खपत संचालन एवं रखरखाव व्यय के 15 प्रतिशत की दर से, जिसमें खदान डेवलपर और ऑपरेटर का खनन शुल्क और उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अलावा अन्य एजेंसी का वार्षिक शुल्क शामिल नहीं है; साथ ही

(iii) 15 दिनों के लिए संचालन एवं रखरखाव व्यय, जिसमें खदान डेवलपर और ऑपरेटर का खनन शुल्क और उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अलावा अन्य एजेंसी का वार्षिक शुल्क शामिल नहीं है।

60.2. लिग्नाइट की एकीकृत खदानों की कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) संबंधित वर्ष के वार्षिक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप उत्पादन के 7 दिनों के लिए लिग्नाइट स्टॉक की इनपुट लागत; साथ ही

(ii) विस्फोटक, स्नेहक और ईंधन सहित भंडार और पुर्जों की खपत, संचालन एवं रखरखाव व्यय के 20 प्रतिशत की दर से, जिसमें खदान डेवलपर और ऑपरेटर का खनन शुल्क और उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अलावा अन्य एजेंसी के वार्षिक शुल्क शामिल नहीं हैं; साथ ही

(iii) 15 दिनों के लिए संचालन एवं रखरखाव व्यय, जिसमें खदान डेवलपर और ऑपरेटर का खनन शुल्क और उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर के अलावा अन्य एजेंसी के वार्षिक शुल्क शामिल नहीं हैं।

60.3. कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज दर इन विनियमों के विनियम 27.4 के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

परंतु यह कि, इन विनियमों के विनियम 27.4 के अनुसार ट्रू–अप किया जाएगा।

61. खदान बंद करने का व्यय

61.1. जहाँ खदान बंद करने का कार्य उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाता है, वहाँ खनन योजना के अनुसार एस्क्रो खाते में जमा राशि, उक्त जमा राशि पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, खदान बंद करने के व्यय के रूप में स्वीकार की जाएगी:

परंतु यह कि,

क) एकीकृत खदान(खदानों) के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पहले खनन योजना के अनुसार एस्क्रो खाते में जमा राशि को अलग से दर्शाया जाएगा और एकीकृत खदान(खदानों) के उपयोगी जीवनकाल में उधार दर से जुड़ी वार्षिकी के रूप में वसूल किया जाएगा;

ख) खनन योजना के अनुसार एस्क्रो खाते में जमा राशि या खदान बंद करने पर किए गए किसी भी व्यय को इनपुट मूल्य की गणना के लिए पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा;

ग) जहां खदान बंद करने पर किया गया व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2029–30 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान एस्क्रो खाते से प्राप्त प्रतिपूर्ति से कम या अधिक हो, तो इस कमी या अधिकता को समायोजन के लिए आगामी वर्षों में आगे ले जाया जाएगा।

61.2. खदान बंद करने की राशि खनन योजना के अनुसार एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और नियंत्रण अवधि के किसी भी वर्ष के दौरान खदान बंद करने पर किए गए व्यय पर ध्यान दिए बिना इनपुट मूल्य के भाग के रूप में वसूल की जाएगी।

61.3. जहाँ खदान बंद करना उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान डेवलपर और ऑपरेटर के दायरे में आता है और खदान बंद करने का खर्च खदान डेवलपर और ऑपरेटर के खनन प्रभार का हिस्सा है, वहाँ खदान बंद करने का खर्च खनन प्रभार से वहन किया जाएगा और उत्पादन कंपनी को अलग से कोई खदान बंद करने का खर्च देय नहीं होगा:

बशर्ते कि,

कं) खदान डेवलपर और ऑपरेटर या उत्पादन कंपनी द्वारा एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि और खदान बंद करने पर किए गए व्यय के विरुद्ध एस्क्रो खाते से प्राप्त किसी भी राशि को इनपुट मूल्य की गणना के लिए नहीं माना जाएगा; और

ख) इन विनियमों के विनियम 23 में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर और एस्क्रो खाते में जमा की गई राशि और एक वर्ष में एस्क्रो खाते से प्राप्त ब्याज के बीच के अंतर को, संबंधित वर्ष के कोयले या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य में, खदान बंद करने के खर्च के हिस्से के रूप में, मामला–दर–मामला आधार पर समायोजित किया जाएगा।

62.4. जहाँ खदान बंद करना, एकीकृत खदान(खानों) के उपयोगी जीवन के केवल एक भाग के लिए, उत्पादन कंपनी द्वारा नियोजित खदान विकासकर्ता और संचालक के अधिकार क्षेत्र में आता है, और उत्पादन कंपनी शेष उपयोगी जीवन के लिए खदान बंद करने का कार्य करती है, वहाँ उत्पादन कंपनी द्वारा की गई अवधि के दौरान खदान बंद करने की प्रक्रिया विनियम 61.1 के अनुसार होगी और खदान विकासकर्ता और संचालक द्वारा की गई अवधि के दौरान खदान बंद करने की प्रक्रिया विनियम 61.3 के अनुसार होगीः

परंतु यह कि, एकीकृत खदान(खानों) के उपयोगी जीवन के अंत में खदान बंद करने की प्रक्रिया का निर्णय आयोग द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर किया जाएगा।

61.5. कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी के माध्यम से आवंटित एकीकृत खदान(खानों) के मामले में, इस विनियम के अनुसार निर्धारित खदान बंद करने का व्यय लागू नहीं होगा।

62. इनपुट मूल्य का निर्धारण

62.1. कोयले या लिग्नाइट का इनपुट मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः

इनपुट मूल्य = [आरओएम लागत + अतिरिक्त शुल्क]

62.2. अति–भार हटाने (ओवरबर्डन रिमूवल) में कमी, जीसीवी समायोजन और गैर–टैरिफ आय, यदि कोई हो, के कारण समायोजन से उत्पन्न क्रेडिट को इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से अलग से निपटाया जाएगा।

62.3. विवेकपूर्ण जाँच के अधीन, लागू होने वाले वैधानिक शुल्क की अनुमति दी जाएगी।

63. इनपुट शुल्क की वसूली

63.1. कोयले या लिग्नाइट के इनपुट शुल्क निम्नानुसार वसूल किए जाएँगेः

इनपुट शुल्क = [इनपुट मूल्य x आपूर्ति किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा] + लागू होने वाले वैधानिक शुल्क ।

63.2. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी के माध्यम से आवंटित एकीकृत खदानों के मामले में, उत्पादन कंपनी, एकीकृत खदानों के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से प्रत्येक माह के लिए कोयले के इनपुट मूल्य और कोल इंडिया

लिमिटेड के अनुरूप ग्रेड के कोयले के लिए अधिसूचित मूल्य के आधार पर तुलनात्मक ऊर्जा प्रभार दर की गणना करेगी और उसे लाभार्थी(यों) के साथ साझा करेगी।

परंतु यह कि,

क) यदि कोयले या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, किसी माह में कोयले के अनुरूप ग्रेड के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर के 20 प्रतिशत से अधिक हो, तो उत्पादन कंपनी को लाभार्थी(यों) की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी;

ख) जहाँ लाभार्थियों की ऐसी सहमति उपलब्ध नहीं है, वहाँ ऐसी एकीकृत खदानों से कोयले का इनपुट मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि एकीकृत खदानों से कोयले के इनपुट मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, किसी माह में कोयले के अनुरूप ग्रेड के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अधिसूचित मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर के 20 प्रतिशत से अधिक न हो;

ग) कोयले के इनपुट मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, विद्युत क्रय अनुबंध की संपूर्ण अवधि के दौरान, विद्यमान विद्युत क्रय अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राप्त की गई ऊर्जा प्रभार दर से अधिक न हो।

64. अति–भार हटाने (ओवरबर्डन रिमूवल) में कमी के कारण समायोजन (ओबी समायोजन)

64.1. उत्पादन कंपनी खनन योजना में निर्दिष्ट अनुसार ओवरबर्डन हटाएगी।

64.2. किसी वर्ष के दौरान ओवरबर्डन हटाने में कमी होने की स्थिति में, उत्पादन कंपनी को अगले तीन वर्षों के दौरान ओवरबर्डन हटाने की अधिकता, यदि कोई हो, के विरुद्ध ऐसी कमी को समायोजित करने की अनुमति होगी।

64.3. किसी वर्ष के दौरान ओवरबर्डन हटाने की अधिकता के मामले में, उत्पादन कंपनी को अगले तीन वर्षों के दौरान कमी, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन के लिए ऐसी अधिकता को आगे ले जाने की अनुमति होगी।

64.4. जहाँ किसी वर्ष ओवरबर्डन हटाने में हुई कमी की पूर्ति उत्पादन कंपनी द्वारा विनियम 64.2 के अनुसार नहीं की जाती है, वहाँ उस वर्ष के लिए ओवरबर्डन हटाने में हुई कमी के कारण समायोजन (ओबी समायोजन) निम्नानुसार किया जाएगा:

ओबी समायोजन = [वर्ष के दौरान ओवरबर्डन हटाने में हुई कमी के लिए समायोजन कारक] x [वर्ष के दौरान खनन शुल्क + वर्ष के दौरान संचालन एवं रखरखाव व्यय]

जहाँ,

i) वर्ष के दौरान ओवरबर्डन हटाने में हुई कमी के लिए समायोजन कारक की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(वर्ष के दौरान निकाले गए कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा x खनन योजना के अनुसार वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात) – (वर्ष के दौरान हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा/खनन योजना के अनुसार वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात)/(वार्षिक लक्ष्य मात्रा);

ii) वार्षिक स्ट्रिपिंग अनुपात, खनन योजना में निर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट की एक इकाई के लिए हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की मात्रा का अनुपात है;

iii) खनन शुल्क, कोयला या लिग्नाइट के प्रति टन के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा खनन के लिए नियुक्त खान विकासकर्ता और संचालक को भुगतान किया जाने वाला शुल्क है, जहाँ भी लागू हो;

iv) खनन शुल्क और संचालन एवं रखरखाव व्यय वार्षिक लक्ष्य मात्रा के अनुरूप प्रति टन रुपए के हिसाब से होंगे।

64.5. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी मार्ग से आवंटित एकीकृत खदान(खानों) के मामले में ओवरबर्डन निष्कासन में कमी के कारण समायोजन के संबंध में इस विनियमन के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

65. *कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत निलामी के माध्यम से आबंटित खदानों के लिये* जीसीवी में कमी के कारण समायोजन (जीसीवी समायोजन) :

65.1. यदि किसी वर्ष में एकीकृत खदान(खानों) से निकाले गए कोयले का भारित औसत जीसीवी ऐसी खदान(खानों) के लिए कोयले के घोषित जीसीवी से अधिक है, तो किसी भी जीसीवी समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

65.2. यदि किसी वर्ष में एकीकृत खदान(खानों) से निकाले गए कोयले का भारित औसत जीसीवी ऐसी खदान(खानों) के कोयले के घोषित जीसीवी से कम है, तो उस वर्ष में जीसीवी समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा:

जीसीवी समायोजन = (कोयले का उद्धृत मूल्य + निश्चित आरक्षित मूल्य) X [(कोयले का घोषित जीसीवी – वर्ष में निकाले गए कोयले का भारित औसत जीसीवी)/(कोयले का घोषित जीसीवी)]

जहाँ,

i) वार्षिक निष्कर्षण लागत, इन विनियमों के विनियम 56 के अनुसार गणना की गई कोयले के निष्कर्षण की लागत है;

ii) खनन शुल्क, जहाँ भी लागू हो, उत्पादन कंपनी द्वारा खनन के लिए नियुक्त खदान विकासकर्ता और संचालक को प्रति टन कोयले के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क है; और

iii) कोयले का घोषित जीसीवी, खनन योजना के अनुसार या कोयला नियंत्रक या सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित औसत जीसीवी होगा।

66. गैर–टैरिफ आय के कारण समायोजन (एनटीआई समायोजन)

66.1. किसी भी वर्ष के लिए गैर–टैरिफ आय (एनटीआई समायोजन) के कारण समायोजन, जैसे कि कोयले की एकीकृत खदान के मामले में वाशरी के अपशिष्टों की बिक्री से आय और कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति या कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत अनुमत कोयले की व्यापारिक बिक्री से लाभ, यदि कोई हो, निम्नानुसार गणना की जाएगीः

एनटीआई समायोजन = (वर्ष के दौरान अर्जित सभी गैर–टैरिफ आय) / (वर्ष के दौरान निकाले गए कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा)

66.2. इस विनियमन के अनुसार गणना की गई गैर–टैरिफ आय के कारण समायोजन, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी मार्ग के माध्यम से आवंटित एकीकृत खदानों के मामले में लागू नहीं होगा।

67. क्रेडिट समायोजन नोट (टीप)

(1) ओबी समायोजन, जीसीवी समायोजन और एनटीआई समायोजन के कारण उत्पन्न क्रेडिट का निपटान किसी भी वर्ष के लिए क्रेडिट समायोजन नोट के माध्यम से किया जाएगा।

(2) क्रेडिट समायोजन नोट निर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ता उत्पादन स्टेशनों के पक्ष में ओबी समायोजन, जीसीवी समायोजन या एनटीआई समायोजन, जैसा भी मामला हो, के आधार पर उस वर्ष के लिए निम्नानुसार जारी किया जाएगा'

(i) वर्ष के लिए ओबी समायोजन x उस वर्ष आपूर्ति किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा;

(ii) वर्ष के लिए जीसीवी समायोजन x उस वर्ष आपूर्ति किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा; और

(iii) वर्ष में एनटीआई समायोजन x उस वर्ष आपूर्ति किए गए कोयले या लिग्नाइट की मात्रा।

(3) क्रेडिट समायोजन नोट में राशि क्रेडिट समायोजन नोट जारी होने की तारीख के बाद आपूर्ति किए गए कोयले या लिग्नाइट के प्रभारों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।

(4) एकीकृत खान (खानें) ऐसे समायोजन का वार्षिक समाधान विवरण तैयार करेंगी और उसे सभी अंतिम उपयोगकर्ता संयंत्रों को प्रस्तुत करेंगी तथा उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेंगी

68. गुणवत्ता मापन

एकीकृत खदान(खानों) से आपूर्ति किए गए कोयले या लिग्नाइ की गुणवत्ता, यदि उत्पादन कंपनी और खदान विकासकर्ता एवं संचालक द्वारा सहमति दी जाए, तो लोडिंग पॉइंट या प्राप्ति संयंत्र स्थल पर, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों और प्रक्रिया के अनुसार तृतीय पक्ष द्वारा नमूनाकरण के माध्यम से मापी जाएगी और कोयले की गुणवत्ता के ऐसे मापन के अभिलेख लाभार्थियों को माँगने पर उपलब्ध कराए जाएँगे।

69. विशेष प्रावधान

इन विनियमों के अध्याय 3 और 4 के प्रावधान एकीकृत खदान(खानों) के मामले में लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि इस अध्याय 5 में विशेष रूप से प्रावधानित या संदर्भित सीमा तक हो:

परंतु यह कि, एकीकृत खदान(खानों) से कोयले या लिग्नाइट के इनपुट मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक वित्तीय मानदंड, यदि इस अध्याय में विशेष रूप से प्रावधानित या संदर्भित नहीं हैं, तो इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कोयला या लिग्नाइट आधारित उत्पादन स्टेशनों पर लागू माने जाएँगे।

अध्याय–6
पारेषण

70. टैरिफ के घटक

70.1. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित गैर–टैरिफ आय और अन्य व्यवसाय से आय की राशि को घटाकर, नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण लाइसेंसधारी/एसटीयू की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली के लिए प्रावधान करेगा।

70.2. पारेषण लाइसेंसधारी के वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण, आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 2 के अनुसार पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा।

71. पूंजी निवेश योजना

71.1. पारेषण लाइसेंसधारी इन विनियमों के अध्याय 2 में निर्दिष्ट तरीके से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

71.2. 500 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक लागत वाली और नीचे दी गई अन्य शर्तों को पूरा करने वाली सभी नई अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से विकसित किया जाएगा और पारेषण टैरिफ को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों (और इसके संशोधनों) के अनुसार, विवेकपूर्ण जांच के बाद विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत आयोग द्वारा अपनाया जाएगाः

परंतु यह कि किसी भी अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम परियोजना सहित संपूर्ण अंतर–राज्यीय स्वतंत्र पारेषण प्रणाली को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परियोजना के विकास हेतु बोलियां आमंत्रित करने के लिये एकल परियोजना के रूप में डिजाइन किया जाएगा।

71.3. यदि एसटीयू, किसी विशिष्ट कारणों जैसे कि परियोजना का रणनीतिक महत्व या महत्वपूर्ण प्रकृति का होना या परियोजना के कारण स्वामित्व या इंटरफेस संबंधी मुद्दे उत्पन्न होने के कारण 'लागत प्लस' दृष्टिकोण के माध्यम से सीमा से ऊपर किसी अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली को विकसित करने का आषय रखता है, तो एसटीयू को इसके लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

72. अंतर–राज्यीय पारेषण नेटवर्क के लिए वार्षिक प्रभारों की गणना

72.1. पारेषण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, अर्थातः

(1) इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई);

(2) ब्याज और वित्त शुल्क;

(3) मूल्यह्रास;

(4) संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय;

क. मानव संसाधन व्यय

(i) कर्मचारी व्यय;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभाव;

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला;

ख. रखरखाव और सामान्य व्यय;

(5) पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान;

(6) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

घटाएँ :

(1) गैर–टैरिफ आय;

(2) अन्य व्यवसाय से आय, इन विनियमों के विनियम 73 में निर्दिष्ट सीमा तक।

नोटः

1. वैधानिक कर, उपकर और ड्यूटी, वास्तविक अनुसार प्रतिपूर्ति के आधार पर वसूल किए जाएँगे।
2. सब–स्टेशन में सहायक ऊर्जा खपत के लिए शुल्क ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी/एसटीयू द्वारा वहन किया जाएगा और वास्तविक अनुसार प्रतिपूर्ति के आधार पर वसूल किया जाएगा।
3. पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान समान मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जा सकता है।
4. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, पारेषण लाइसेंसधारी पर लागू होंगेः

परंतु यह कि, अधिनियम की धारा 62 या 63 के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण के बाद बनाए गए किसी कानून में संशोधन या निरसन से उत्पन्न कानून में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, पारेषण लाइसेंसधारी, प्रभावित पक्ष होने के नाते, विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागतों की समय पर वसूली) नियम, 2021, समय–समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत प्रभावित राशि (स्थिर/आवर्ती राशि) की वसूली हेतु

प्रारूपों और प्रक्रियाओं के एकमुश्त अनुमोदन के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगाः

परंतु यह और कि बाद की वसूली नियमों के अनुसार होगी।

72.2. इक्विटी पर प्रतिफल

पारेषण लाइसेंसधारी को इन विनियमों के विनियम 24 में निर्दिष्ट अनुसार प्रतिफल की अनुमति दी जाएगी।

72.3. ऋण पूंजी पर ब्याज

इन विनियमों के विनियम 25 में निर्दिष्ट अनुसार, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त शुल्क की अनुमति होगी।

72.4. मूल्यह्रास

इन विनियमों के विनियम 26 में निर्दिष्ट अनुसार, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को अचल संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास वसूलने की अनुमति होगी।

72.5. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

i. मानव संसाधन (एचआर) व्यय :

(क) मानव संसाधन व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) कर्मचारी लागत;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभाव;

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर तैनात मानव संसाधन;

(ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए मानव संसाधन व्यय के प्रत्येक घटक के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में कर्मचारी लागत, वेतन संशोधन बकाया का प्रभाव, आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमले से संबंधित सभी व्यय, पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान, और मानव संसाधन से संबंधित गैर–आवर्ती प्रकृ ति का कोई अन्य व्यय शामिल है।

(घ) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मानव संसाधन व्यय, पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान, वेतन संशोधन बकाया के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को छोड़कर वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्यीकृत औसत के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, जो आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पांच (5) वर्षों के खातों में उपलब्ध है, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन है।

(ङ) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई (आईडब्ल्यू)) में पिछले पांच वर्षों की औसत वृद्धि को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके किया जाएगा।

(च) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का औसत, फिर वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य को प्रोजेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मानव संसाधन व्यय (पेंशन निधि अंशदान और वेतन संशोधन के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी अन्य व्यय, यदि कोई हो, को छोड़कर) का अनुमान लगाने के लिए अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

(छ) ट्रू–अप के समय, मानव संसाधन व्यय को वास्तविक माना जाएगा और उसे लाभ/हानि तंत्र के अध्यधीन नहीं रखा जाएगा।

(ज) ट्रू–अप के दौरान, वेतन संशोधन (बकाया सहित) और पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान के प्रभाव पर वास्तविक नकदी बहिर्वाह को लेखाओं के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जाँच और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारक के अधीन होगा।

(झ) सीपीआई (आईडब्ल्यू) (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा।

ii. रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय :

(क) रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय में शामिल होंगेः

(i) प्रशासनिक और सामान्य (ए एंड जी) व्यय;

(ii) मरम्मत एवं रखरखाव (आर एंड एम) व्यय;

(ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए एम एंड जी व्ययों, अर्थात् ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्ययों के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगा।

(ग) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ए एंड जी व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय, यदि कोई हो, को छोड़कर), आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के लेखों में उपलब्ध वास्तविक ए एंड जी व्ययों (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय, यदि कोई हो, को छोड़कर) के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाले जाएँगे, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन होगाः

परंतु यह कि, पिछले पाँच (5) वर्षों के सामान्यीकृत औसत का निर्धारण करते समय गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) ए एंड जी व्ययों का सामान्यीकरण, मुद्रास्फीति में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि/कमी को लागू करके किया जाएगा, जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर डब्ल्यूपीआई के 40 प्रतिशत भार और सीपीआई के 60 प्रतिशत भार के आधार पर माना जाएगा।

(ङ) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य के औसत का उपयोग, वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा।

(च) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए एंड जी व्ययों का अनुमान लगाने के लिए अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

(छ) नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए आर एंड एम व्यय की गणना आरंभिक सकल स्थिर संपत्तियों के प्रतिशत (टैरिफ आदेश में तय मानदंड के अनुसार) के रूप में की जाएगी।

(ज) नियंत्रण अवधि के बाद के वर्षों के लिए आर एंड एम व्ययों का पता लगाने के लिए, पहले वर्ष के अनुमानित आर एंड एम व्ययों पर अनुमानित डब्ल्यूपीआई दर लागू की जाएगी।

(झ) सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2011–12 श्रृंखला} के अनुसार होंगे ।

(ञ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा ।

(ट) ट्रू–अप के समय, उस अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए ए एवं जी व्यय और आर एवं एम व्यय पर विचार किया जाएगा।

iii. अतिरिक्त पूंजी निवेश या कानून में किसी परिवर्तन या किसी वैधानिक प्राधिकरण के किसी निर्देश के कारण होने वाले किसी भी अतिरिक्त ओ एवं एम व्यय को आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बाद टैरिफ आदेश में अनुमत ओ एवं एम व्यय के अतिरिक्त पास–थ्रू किया जाएगा।

72.6. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

इन विनियमों के विनियम 27 में विनिर्दिष्ट मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर, पारेषण लाइसेंसधारी को ब्याज की अनुमति होगी।

72.7. गैर–टैरिफ आय

i. पारेषण लाइसेंसधारी के व्यवसाय से संबंधित कोई भी आय, जो स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें परिसंपत्तियों के निपटान, निवेश से आय, किराया, स्क्रैप/परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास मूल्य को समायोजित करने के बाद स्क्रैप/परिसंपत्तियों का निपटान मूल्य, परिसंपत्तियों के उपयोग से प्राप्त किराये की आय, जिसमें विज्ञापनों से प्राप्तियां, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज और कोई अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं, गैर–टैरिफ आय मानी जाएगी।

ii. आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण व्यवसाय से संबंधित गैर–टैरिफ आय की राशि, पारेषण लाइसेंसधारी के वार्षिक पारेषण शुल्क निर्धारित करते समय समग्र राजस्व आवश्यकता से घटा दी जाएगी:

परंतु यह कि, पारेषण लाइसेंसधारी, समग्र राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर–टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि, पारेषण लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक घटक–वार गैर–टैरिफ आय का पूरा विवरण अपनी ट्रू–अप याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

73. अन्य व्यवसाय से आय

जहाँ पारेषण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है, वहाँ पारेषण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों के उपयोग से अर्जित आय को लाइसेंसधारी और लाभार्थी के बीच निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाएगा:

क) पारेषण शुल्क निर्धारित करते समय ऐसे अन्य व्यवसाय से आय के दो–तिहाई के बराबर राशि लाइसेंसधारी की समग्र राजस्व आवश्यकता से घटा दी जाएगी;

ख) ऐसे अन्य व्यवसाय से होने वाली आय के एक–तिहाई के बराबर राशि, लाइसेंसधारी द्वारा दक्षता में सुधार हेतु अनुसंधान एवं विकास पर व्यय को पूरा करने हेतु रखी जाएगी।

74. अंतर–राज्यीय पारेषण नेटवर्क हेतु प्रभारों का बंटवारा

पारेषण प्रणाली की स्थिर लागत की गणना, इन विनियमों में निहित मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी, आवश्यकतानुसार समेकित की जाएगी, और लागू मुक्त

पहुँच विनियमों में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार लाभार्थियों से मासिक आधार पर पारेषण शुल्क के रूप में वसूल की जाएगी।

75. पारेषण प्रणाली हानि

75.1. पारेषण लाइसेंसधारी की पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानि, जैसा कि राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्धारित और आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के उनके उपयोग के अनुपात में वहन की जाएगीः

परंतु यह कि पारेषण उप–स्टेशन की सहायक प्रणाली द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा और उप–स्टेशन के भीतर स्टेशन ट्रांसफार्मर की हानि को पारेषण हानि नहीं माना जाएगा।

75.2. पारेषण हानि स्तरों की गणना, सीटीयू से पारेषण प्रणाली में अंतःक्षेपित शुद्ध ऊर्जा और विभिन्न इंटरफेस बिंदुओं पर पारेषण प्रणाली (एक्स) में अंतःक्षेपित अन्य सभी ऊर्जा के योग तथा सभी ईएचवी उप–स्टेशनों के 33 केवी आउटगोइंग फीडर पर वितरण लाइसेंसधारक(कों) और पारेषण प्रणाली (वाय) से जुड़े खुदरा और/या ओपन एक्सेस उपभोक्ता(ओं) को प्रेषित ऊर्जा के योग के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी।

75.3. पारेषण हानियों को पारेषण प्रणाली में अंतःक्षेपित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार व्यक्त किया जाएगाः

$$\text{पारेषण हानि } (\%) = \frac{(\text{एक्स} - \text{वाय}) \times 100}{\text{एक्स}}$$

76. मुक्त अभिगम ग्राहक हेतु ऊर्जा हानि

किसी भी मुक्त अभिगम ग्राहक(कों) द्वारा पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए, ऊर्जा हानि की वसूली, टैरिफ आदेश में नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण हानि के समतुल्य दर पर अनुमत होगी।

अध्याय–7
वितरण व्हीलिंग व्यवसाय

77. प्रयोज्यता

इस अध्याय में निहित विनियम, वितरण लाइसेंसधारी के वितरण तारों के उपयोग हेतु देय टैरिफ के निर्धारण पर लागू होंगे।

78. वितरण व्हीलिंग व्यवसाय हेतु समग्र राजस्व आवश्यकता के घटक

वितरण लाइसेंसधारी के वितरण व्हीलिंग व्यवसाय हेतु व्हीलिंग शुल्क, इन विनियमों के विनियम 84 में दिए गए अनुसार, एआरआर की वसूली के लिए प्रावधान करेगा, और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

(1) इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई);

(2) ब्याज और वित्त शुल्क;

(3) मूल्यह्रास;

(4) संचालन एवं रखरखाव व्यय :

(क) मानव संसाधन व्यय :

(i) कर्मचारी व्ययय

(ii) वेतन संशोधन का प्रभावय

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला;

(ख) रखरखाव एवं सामान्य व्यय;

(5) पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि अंशदान;

(6) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

घटाएँ :

(1) गैर–टैरिफ आय;

(2) अन्य व्यवसाय से आय, इन विनियमों के विनियम 84 में निर्दिष्ट सीमा तक।

नोट :

1. वैधानिक कर, उपकर और ड्यूटी वास्तविक अनुसार प्रतिपूर्ति के आधार पर वसूल किए जाएँगे।

2. लाइसेंसधारी के सब–स्टेशन में सहायक ऊर्जा खपत के शुल्क को एआरआर की गणना के प्रयोजनार्थ व्यय माना जाएगा।

3. पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान, समान मासिक किश्तों में वसूल किया जा सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जा सकता है:

परंतु यह कि, वितरण लाइसेंसधारी के व्हीलिंग प्रभार, इन विनियमों के अध्याय 2 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु प्रस्तुत याचिका के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएँगे:

परंतु यह और कि, वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता से वसूली के प्रयोजनार्थ व्हीलिंग प्रभार, रुपए/किलोवाट घंटा के रूप में, या आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किसी भी मूल्यवर्ग में निर्धारित किए जा सकेंगे।

79. आवंटन मैट्रिक्स

79.1. वितरण लाइसेंसधारी अपने खातों को व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय में विभाजित करेगा।

79.2. वितरण लाइसेंसधारी के व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा वितरण तार व्यवसाय के पृथक खातों के आधार पर किया जाएगा:

परंतु यह कि, जहाँ वितरण लाइसेंसधारी वितरण व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए अलग–अलग खाते प्रस्तुत करने में सक्षम न हो, आयोग वितरण व्हीलिंग व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच वितरण लाइसेंसधारी के व्ययों के आवंटन के लिए निम्नलिखित आवंटन मैट्रिक्स पर विचार करेगा:

विवरण	वितरण व्हीलिंग व्यवसाय (प्रतिशत)	खुदरा आपूर्ति व्यवसाय (प्रतिशत)
बिजली क्रय व्यय	–	100
अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क	–	100
अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क	–	100
ओ एवं आर व्यय : एचआर व्यय	 65	 35
एम एवं जी व्यय (i) आर एवं एम व्यय (ii) ए एवं एम व्यय	 90 90	 10 10
मूल्यह्रास	90	10
दीर्घकालिक ऋण पूँजी पर ब्याज	90	10
कार्यशील पूँजी पर ब्याज	10	90

पेंशन और ग्रेच्युटी अंषदान फंड	65	35
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	10	90
इक्विटी पर प्रतिफल	90	10
आयकर	90	10

80. पूंजी निवेश योजना

वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के अध्याय 2 में निर्दिष्ट तरीके से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

81. पूंजीगत लागत

पूंजीगत लागत पर इन विनियमों के अध्याय 3 में दिए गए प्रावधान के अनुसार विचार किया जाएगा।

82. समग्र राजस्व आवश्यकता की गणना

82.1. इक्विटी पर प्रतिफल

वितरण लाइसेंसधारी को वितरण व्हीलिंग व्यवसाय के लिए एक आरओई की अनुमति होगी, जैसा कि इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट है।

82.2. ऋण पूंजी पर ब्याज

ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार की जाएगी।

82.3. मूल्यह्रास

वितरण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना इन विनियमों के विनियम 26 में निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

82.4. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय :

i. मानव संसाधन (एचआर) व्यय :

(क) मानव संसाधन व्यय में शामिल होंगे:

(i) कर्मचारी लागतय

(ii) वेतन संशोधन का प्रभावय

(पपप) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला;

(ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए मानव संसाधन व्यय के प्रत्येक घटक के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में कर्मचारी लागत, वेतन संशोधन बकाया का प्रभाव, आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमले से संबंधित सभी व्यय, पेंशन निधि अंशदान, और मानव संसाधन से संबंधित गैर–आवर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय शामिल है।

(घ) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मानव संसाधन व्यय, पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान, वेतन संशोधन बकाया के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को छोड़कर वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्यीकृत औसत के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, जो आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के खातों में उपलब्ध है, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अध्यधीन है।

(ङ) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई (आईडब्ल्यू)) में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके किया जाएगा।

(च) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का औसत, फिर वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

(छ) अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मानव संसाधन व्यय (पेंशन निधि अंशदान और वेतन संशोधन के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी अन्य व्यय, यदि कोई हो, को छोड़कर) का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

(ज) ट्रू–अप के समय, मानव संसाधन व्यय को वास्तविक माना जाएगा और उसे लाभ/हानि तंत्र के अधीन नहीं रखा जाएगा।

(झ) ट्रू–अप के दौरान, वेतन संशोधन (बकाया सहित) और पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान के प्रभाव पर वास्तविक नकदी बहिर्वाह को खातों के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जाँच और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारक के अधीन होगा।

(ञ) सीपीआई (आईडब्ल्यू) (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा।

ii. रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय :

(क) रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) प्रशासनिक एवं सामान्य (ए एंड जी) व्यय;

(ii) मरम्मत एवं रखरखाव (आर एंड एम) व्यय ;

(ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए एम एंड जी व्यय के प्रत्येक घटक, अर्थात् ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय, के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगा।

(ग) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ए एंड जी व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) (ए एंड जी) और आर एंड एम व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) (आर एंड एम), क्रमशः वास्तविक ए एंड जी व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) और आर एंड एम व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाले जाएँगे, जो आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के लेखों में उपलब्ध हैं, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन हैं:

परंतु यह कि, पिछले पाँच (5) वर्षों के लिए सामान्यीकृत औसत का निर्धारण करते समय गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी अन्य व्यय को भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) आर एंड एम व्यय का सामान्यीकरण सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि/कमी को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके किया जाएगा।

(ङ.) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य के औसत का उपयोग वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने हेतु किया जाएगा।

(च) ए एंड जी व्यय का सामान्यीकरण मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्षों की औसत वृद्धि/कमी को लागू करके किया जाएगा, जिसे वर्ष–दर–वर्ष आधार पर डब्ल्यूपीआई के 40 प्रतिशत भार और सीपीआई के 60 प्रतिशत भार के आधार पर माना जाएगा।

(छ) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य के औसत का उपयोग वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने हेतु किया जाएगा।

(ज) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय का अनुमान लगाने के लिए अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

(झ) सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार {आधार वषरू 2011–12 श्रृंखला} के अनुसार होंगे।

(ञ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा।

(ट) ट्रू–अप के समय, उस अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मानक ए एवं जी व्यय और आर एवं एम व्यय पर विचार किया जाएगा।

iii. अतिरिक्त पूंजी निवेश या कानून में किसी परिवर्तन या किसी वैधानिक प्राधिकरण के किसी निर्देश के कारण होने वाले अतिरिक्त ओ एवं एम व्यय, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बाद, टैरिफ आदेश में अनुमत ओ एवं एम शुल्कों अलावा, पास–थ्रू होंगे।

iv. स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए TOTEX मॉडल के तहत होने वाले व्यय को ओ एवं एम व्ययों के तहत अलग से मंजूरी दी जाएगी, जो ट्रूइंग–अप के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ट्रूइंग–अप के अध्यधीन होगाः

परंतु यह कि TOTEX के तहत मंजूर और वास्तविक व्यय के बीच कोई भी अंतर, दक्षता लाभ और हानि को साझा करने के अध्यधीन नहीं होंगे।

82.5. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज इन विनियमों के विनियम 27 के अनुसार अनुमत होगा।

82.6. गैर–टैरिफ आय

i. वितरण लाइसेंसधारी के व्यवसाय से संबंधित अन्य स्रोतों से अर्जित कोई भी आय, जिसमें परिसंपत्तियों का निपटान, निवेश से आय, किराया, स्क्रैप/परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास मूल्य को समायोजित करने के बाद निपटान मूल्य, परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए किराये की आय, जिसमें विज्ञापनों के विरुद्ध प्राप्तियां, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज, खुली पहुंच शुल्क, समानांतर संचालन शुल्क दंड और कोई अन्य विविध प्राप्तियां शामिल हैं, लेकिन ऊर्जा की बिक्री से आय के अलावा, गैर–टैरिफ आय होगी।

ii. वितरण लाइसेंसधारी के वितरण तार व्यवसाय के व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण करते समय, आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण व्हीलिंग व्यवसाय से संबंधित गैर–टैरिफ आय की राशि को समग्र राजस्व आवश्यकता से घटाया जाएगाः

परंतु यह कि, वितरण लाइसेंसधारी, समग्र राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु अपने आवेदन के साथ, गैर–टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगाः

परंतु यह और कि, वितरण लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक घटक–वार गैर–टैरिफ आय का पूरा विवरण, अपनी ट्रू–अप याचिका के साथ, आयोग को प्रस्तुत करेगा।

83. अन्य व्यवसाय से आय

जहाँ वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय (विद्युत व्यापार को छोड़कर) में संलग्न है, वितरण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों के उपयोग से अर्जित आय को लाइसेंसधारी और लाभार्थी के बीच निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाएगाः

क) वितरण लाइसेंसधारी के वितरण तार व्यवसाय के व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण करते समय, ऐसे अन्य व्यवसाय से आय के दो–तिहाई के बराबर राशि, समग्र राजस्व आवश्यकता से घटाई जाएगी।

ख) ऐसे अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय के एक–तिहाई के बराबर राशि लाइसेंसधारी द्वारा दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास पर व्यय को पूरा करने के लिए रखी जाएगी।

84. व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण

84.1. आयोग, अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत पारित अपने आदेश में वितरण लाइसेंसधारी के व्हीलिंग व्यवसाय के लिए व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण करेगा।

84.2. इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, खुली पहुंच ग्राहकों पर लागू व्हीलिंग शुल्क की गणना और अनुप्रयोग संबंधित वोल्टेज स्तर(स्तरों) पर किया जाएगाः

परंतु यह कि खुली पहुंच ग्राहकों (उसी वितरण लाइसेंसधारी से बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले खुदरा उपभोक्ताओं को छोड़कर) द्वारा देय व्हीलिंग शुल्क लागू खुली पहुंच विनियमों के अनुसार शासित होंगेः

परंतु यह और कि, ऐसे खुली पहुंच ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क का उपयोग अध्याय 8 में विनियमों के अनुसार खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की कुल राजस्व आवश्यकता को कम करने के लिए किया जाएगा।

85. व्हीलिंग हानियाँ

वितरण तार व्यवसाय को संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित वितरण प्रणाली के संचालन से उत्पन्न व्हीलिंग हानियों के अनुमोदित लक्ष्य स्तर की वस्तु के रूप में वसूली करने की अनुमति होगी।

अध्याय 8
खुदरा आपूर्ति व्यवसाय

86. प्रयोज्यता

इस अध्याय के विनियम वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण पर लागू होंगे।

87. टैरिफ के घटक

87.1. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए वार्षिक राजस्व (एआरआर) में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(1) बिजली खरीद लागत;

(2) ट्रांसमिशन और एसएलडीसी शुल्क;

(3) ओ एवं एम व्यय :

क) एचआर व्यय :

(i) कर्मचारी व्यय;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभाव;

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला;

(ख) एम एवं जी व्यय;

(4) पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट अंशदान फंड;

(5) मूल्यह्रास;

(6) ब्याज और वित्त शुल्क;

(7) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(8) इक्विटी पर प्रतिफल;

(9) डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान;

घटाएँ:

(10) गैर–टैरिफ आय;

(11) अन्य व्यवसाय से आय, इन विनियमों के विनियम 95 में निर्दिष्ट सीमा तक;

(12) ओपन एक्सेस/व्हीलिंग शुल्क के कारण राजस्व;

(13) अधिशेष विद्युत की बिक्री से राजस्व (खुदरा उपभोक्ताओं को छोड़कर):

परंतु यह कि, क्रॉस–सब्सिडी अधिभार के कारण राजस्व प्राप्ति पर केवल लेखाओं के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर ट्रू–अप करने के समय ही विचार किया जाएगा।

87.2. वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 79 के अनुसार, यथास्थिति, पृथक्कृत लेखाओं या आवंटन मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा।

88. पूंजी निवेश योजना

वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के अध्याय 2 में निर्दिष्ट तरीके से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

89. पूँजीगत लागत

इन विनियमों के अध्याय 3 में दिए गए प्रावधान के अनुसार पूँजीगत लागत की अनुमति होगी।

90. बिक्री पूर्वानुमान

90.1. लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रतिबंधित माँग (मेगावाट में) और अप्रतिबंधित माँग (मेगावाट में) तथा कुल विद्युत बिक्री (एमयू में) का पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि श्रेणीवार विद्युत बिक्री के पूर्वानुमान सामान्यतः चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) और/या किसी अन्य विवेकपूर्ण पद्धति के आधार पर प्रक्षेपित किए जाएँगे।

90.2. बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणियों के लिए बिक्री पूर्वानुमान, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन होगा।

90.3. आयोग, ऊर्जा मांग में वृद्धि, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, पिछले वर्षों के हानि प्रक्षेप पथ और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमानों की जाँच करेगा, जिसे आयोग अनुमानित बिक्री के अनुमोदन हेतु उपयुक्त समझे, ताकि एआरआर और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना की जा सके।

91. कुल राजस्व आवश्यकता की गणना

91.1. इक्विटी पर प्रतिफल

वितरण लाइसेंसधारी को इन विनियमों के विनियम 24 में निर्दिष्ट अनुसार आरओई की अनुमति होगी।

91.2. ऋण पूंजी पर ब्याज

ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार की जाएगी।

91.3. मूल्यह्रास

वितरण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना इन विनियमों के विनियम 26 में निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

91.4. विद्युत क्रय लागत

i. वितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत क्रय लागत वसूलने की अनुमति होगी।
ii. खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा का आकलन करने के उद्देश्य से, अनुमोदित खुदरा बिक्री को अनुमोदित हानि प्रक्षेप पथ के अनुसार अंतर–राज्यीय पारेषण हानियों और वितरण हानियों के मानक स्तर के अनुसार सकलीकृत किया जाएगा।
iii. ट्रू–अप के समय, विचलन शुल्क, यदि कोई हो, को बिजली खरीद लागत निकालने के लिए ध्यान में रखा जाएगा, और अधिशेष बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अलग से हिसाब में लिया जाएगा।
iv. मासिक ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) इन विनियमों के विनियम 92 में वर्णित तंत्र के अनुसार वसूलनीय होगा।

91.5. पारेषण प्रभार और एसएलडीसी प्रभार

वितरण लाइसेंसधारी को अनुमोदित स्तर पर निम्नलिखित व्यय वसूलने की भी अनुमति होगीः

(क) अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभार ;

(ख) अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभार ;

(ग) मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के लिए प्रभार;

(घ) अन्य वितरण लाइसेंसधारी(यों) की वितरण प्रणाली के उपयोग के लिए व्हीलिंग शुल्क, यदि कोई हो; और

(ड.) आरएलडीसी और एसएलडीसी को देय शुल्क और प्रभार, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

91.6. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

i. मानव संसाधन (एचआर) व्यय

खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए मानव संसाधन व्यय उसी प्रकार अनुमत होंगे जैसा कि वितरण तार व्यवसाय के लिए इन विनियमों के विनियम 82.4.i में विनिर्दिष्ट है।

ii. रखरखाव और सामान्य (एम एंड जी) व्यय

खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए रखरखाव और सामान्य (एम एंड जी) व्यय उसी प्रकार अनुमत होंगे जैसा कि वितरण तार व्यवसाय के लिए इन विनियमों के विनियम 82.4,ii में विनिर्दिष्ट है।

iii स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के लिए TOTEX मॉडल के तहत होने वाले व्यय को ओ एवं एम व्ययों के तहत अलग से मंजूरी दी जाएगी, जो ट्रूइंग—अप के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ट्रूइंग—अप के अध्यधीन होगाः

परंतु यह कि TOTEX के तहत मंजूर और वास्तविक व्यय के बीच कोई भी अंतर, दक्षता लाभ और हानि को साझा करने के अध्यधीन नहीं होंगे।

91.7. कार्यशील पूँजी पर ब्याज

कार्यशील पूँजी पर ब्याज इन विनियमों के विनियम 27 के अनुसार दिया जाएगा।

91.8. बट्टे खाते में डाले गए डूबत ऋण

आयोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, पिछले वर्षों में डूबत ऋणों को बट्टे खाते में डालने की प्रवृत्ति के आधार पर, विवेकपूर्ण जाँच के अधीन, समग्र राजस्व आवश्यकता में पास—थ्रू के रूप में डूबत ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दे सकता हैः

परंतु यह कि, आयोग वर्ष के दौरान छूटे हुए विलंबित भुगतान अधिभार (यदि कोई हो) को छोड़कर, डूबत ऋणों को वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डालने के आधार पर, विवेकपूर्ण जाँच के अधीन, एआरआर में बट्टे खाते में डाले गए डूबत ऋणों का ट्रू—अप करेगाः

परंतु यह और कि, यदि किसी विशेष डूबत ऋण को बट्टे खाते में डालने के बाद, ऐसे डूबत ऋणों से राजस्व प्राप्त होता है, तो उसे उस वर्ष में गैर—टैरिफ आय के अंतर्गत अनियंत्रित मद के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसमें ऐसा राजस्व प्राप्त होता है।

92. ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

92.1. टैरिफ आदेश में अनुमोदित nवें महीने के ऊर्जा प्रभार की तुलना में nवें महीने के वास्तविक ऊर्जा प्रभार में परिवर्तन (कोयले के लैंडेड मूल्य और प्राथमिक ईंधन के सकल कैलोरी मान में भिन्नता के कारण, जो कि किसी प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा विवेकपूर्ण जाँच आदि के बाद जारी प्रमाण पत्र/परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर होता है) की राशि का निर्धारण राज्य के भीतर स्थित और राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत आपूर्ति करने वाले उत्पादन केंद्रों द्वारा मासिक आधार पर

किया जाएगा और इसकी वसूली (n+2)वें महीने के लिए जारी किए गए नियमित मासिक बिलों के माध्यम से ईंधन और अन्य व्यय के रूप में की जाएगी।

उदाहरण – वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनी, जून माह में आपूर्ति की गई विद्युत के लिए जुलाई माह के नियमित मासिक बिल में अप्रैल माह के लिए एफसीए को एक लाइन मद के रूप में जोड़ेगीः

परंतु यह कि, ऐसे उत्पादन केंद्र, जो राज्य के वितरण लाइसेंसधारियों को अपना संपूर्ण विद्युत उत्पादन आपूर्ति नहीं करते हैं, ईंधन मूल्य में परिवर्तन के कारण ऊर्जा प्रभार दर में परिवर्तन की वार्षिक रूप से ट्रू–अप की जाएगी।

92.2. एफसीए की गणना, उत्पादन कंपनी द्वारा अपने प्रत्येक ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रत्येक माह के लिए अलग–अलग निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगीः

एफसीए रुपये में = महीने के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस) x मासिक ऊर्जा शुल्क दर (ईसीआर) में अंतर,

जहाँ,

मासिक ईसीआर में अंतर = ईसीआर (एम) – ईसीआर (टी)

जहाँ,

ईसीआर (टी) : टैरिफ आदेश में किसी विशेष संयंत्र के लिए स्वीकृत ईसीआर,

ईसीआर (एम) = नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार किसी विशेष संयंत्र के लिए उस विशेष महीने के लिए परिगणित ईसीआरः

ईसीआर (एम) = {(जीएचआर–एसएफसी x सीवीएसएफ) x एलपीपीएफ / सीवीपीएफ} x 100 / (100–एयूएक्स)

जहाँ,

एयूएक्स = मानक सहायक ऊर्जा खपत प्रतिशत में,

सीवीपीएफ = प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में प्राप्त,

सीवीएसएफ = द्वितीयक ईंधन का कैलोरी मान, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में,

जीएचआर = टैरिफ आदेश में अनुमत मानक सकल स्टेशन ताप दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट घंटा में

एलपीपीएफ = प्राथमिक ईंधन का वास्तविक भारित औसत मूल्य, रुपये प्रति किलोग्राम में,

एसएफसी = मानक विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट घंटा में।

92.3. उत्पादन कंपनी, मानक जीएसएचआर, मानक सहायक खपत, मानक विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, प्राप्त कोयले के भारित औसत जीसीवी और टैरिफ आदेश में दर्शाए गए द्वितीयक ईंधन तेल और प्राथमिक ईंधन (एलपीपीएफ) के वास्तविक लैण्डेड मूल्य के आधार पर ईसीआर की गणना करेगी:

परंतु यह कि, यदि ट्रू–अप करने के समय उत्पादन कंपनी द्वारा कोई अतिरिक्त दावा किया जाता है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज कारणों से समर्थित होना होगा और विवेकपूर्ण जाँच के अधीन होगा:

परंतु यह और कि, उत्पादन कंपनी के लिए अनियंत्रित कारणों से, जिसमें किसी महीने के लिए सभी प्रमाणित परीक्षण रिपोर्टों की अनुपलब्धता शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है, उत्पादन कंपनी उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर उस महीने के लिए अनंतिम ईंधन और अन्य व्यय शुल्क जारी करेगी, और अंतिम बिल तैयार किया जाएगा और अंतर राशि का दावा उस महीने के अगले महीने में किया जाएगा, जिसमें ऐसी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

92.4. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के आंशिक या पूर्ण उपयोग की स्थिति में, जैसा कि उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों द्वारा उनके विद्युत क्रय समझौते में सहमति व्यक्त की गई हो या जैसा कि ईसीआर के निर्धारण हेतु संबंधित टैरिफ आदेश में विचार किया गया हो, ईंधन की कमी या मिश्रण के माध्यम से किफायती संचालन के अनुकूलन के कारण, उत्पादन स्टेशन को ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग की अनुमति होगी:

परंतु यह कि, जहाँ ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर ईंधन के भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर आयोग द्वारा अनुमोदित आधार ऊर्जा प्रभार दर के 20 प्रतिशत से अधिक हो, उस स्थिति में, लाभार्थी के साथ पूर्व परामर्श और आयोग के अनुमोदन के बाद ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग पर विचार किया जाएगा।

92.5. ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति लागत के संदर्भ में ईंधन लागत, विद्युत क्रय लागत और पारेषण शुल्क में परिवर्तन के कारण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की लागत में वृद्धि:

परंतु यह कि, किसी विशेष माह के विद्युत विक्रय बिल के साथ किसी उत्पादन कंपनी/स्टेशन से प्राप्त एफसीए बिल को केवल उस माह के लिए वितरण कंपनी की विद्युत क्रय लागत माना जाएगा।

उदाहरण के लिए – यदि कोई वितरण कंपनी किसी उत्पादन कंपनी से दीर्घकालिक आधार पर विद्युत क्रय कर रही है और उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा विस्तृत प्रक्रिया

के आधार पर 'अप्रैल' माह के ऊर्जा बिल के साथ पूर्व अवधि के लिए एफसीए का दावा करती है, तो एफपीपीएएस की गणना के प्रयोजनार्थ, वितरण कंपनी, ऐसे एफसीए को केवल 'अप्रैल' माह की विद्युत क्रय लागत के भाग के रूप में मानेगी।

92.6. एफपीपीएएस की गणना और बिलिंग स्वचालित रूप से, नियामक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरे बिना, इन विनियमों में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार मासिक आधार पर की जाएगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक आधार पर ट्रू–अप किए जाने के अधीन है:

परंतु यह कि स्वचालित पास–थ्रू को इन विनियमों के अनुसार मासिक बिलिंग के लिए समायोजित किया जाएगा।

परंतु यह और कि वितरण लाइसेंसधारी, एफपीपीएएस के विरूद्ध किए गए व्यय तथा मासिक आधार पर बिल किए गए संबंधित राजस्व को, अलग–अलग खाता शीर्षों के अंतर्गत संधारित करेगा।

92.7. एफपीपीएएस की गणना और शुल्क वितरण लाइसेंसधारी द्वारा (n+2)वें महीने में, ईंधन और बिजली खरीद की लागत में वास्तविक परिवर्तन और nवें महीने के दौरान खरीदी गई बिजली के लिए ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर किया जाएगा और उपभोक्ताओं से उनके nवें महीने के ऊर्जा शुल्क पर वसूल किया जाएगा।

उदाहरण के लिए – किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान आपूर्ति की गई बिजली के टैरिफ में परिवर्तन के कारण एफपीपीएएस की गणना और बिलिंग, उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में अप्रैल माह के ऊर्जा प्रभार के लिए की जाएगी:

परंतु यह कि, यदि वितरण लाइसेंसधारी किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति को छोड़कर, इस समय–सीमा के भीतर एफपीपीएएस की गणना और शुल्क लगाने में विफल रहता है, तो एफपीपीएएस के कारण लागत की वसूली का उसका अधिकार जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे मामलों में, ट्रू–अप के दौरान निर्धारित एफपीपीएएस की वसूली का अधिकार भी जब्त कर लिया जाएगा।

92.8. वितरण लाइसेंसधारी, उपभोक्ताओं को किसी भी टैरिफ झटके से बचाने के लिए एफपीपीएएस या उसके किसी भाग को आगामी माह में आगे ले जाने का निर्णय ले सकता है, लेकिन एफपीपीएएस को आगे ले जाने की अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और ऐसा आगे ले जाना केवल तभी लागू होगा, जब किसी बिलिंग माह के लिए कुल एफपीपीएएस, जिसमें पिछले माह की तुलना में एफपीपीएएस को आगे ले जाना शामिल है, अनुमोदित टैरिफ के परिवर्तनीय घटक के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

92.9. कैरी फॉरवर्ड की वसूली एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पहले, जो भी पहले हो, की जाएगी और एफपीपीएएस के माध्यम से वसूली गई राशि को सबसे पहले एफपीपीएएस के सबसे पुराने कैरी फॉरवर्ड हिस्से में और उसके बाद अगले महीने में शामिल किया जाएगा।

92.10. एफपीपीएएस को आगे ले जाने के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि लागत–आधारित उधार दर (1–वर्ष) प्लस 150 आधार अंकों की दर से वहन लागत तब तक अनुमत होगी, जब तक कि टैरिफ के माध्यम से उसकी वसूली नहीं हो जाती और यह वहन लागत विचाराधीन वर्ष में ट्रू–अप की जाएगी।

92.11. एफपीपीएएस की मात्रा के आधार पर, स्वचालित पास–थ्रू को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि,

(i) यदि एफपीपीएएस ≤ 5 प्रतिशत है, तो गणना किए गए एफपीपीएएस की 100 प्रतिशत वसूली योग्य लागत, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा सूत्र का उपयोग करके स्वचालित रूप से अधिरोपित की जाएगी।

(ii) यदि एफपीपीएएस 5 प्रतिशत से अधिक है, तो उपरोक्त 93.11 (i) के अनुसार 5 प्रतिशत एफपीपीएएस स्वचालित रूप से वसूल किए जा सकेंगे, तथा शेष एफपीपीएएस का 90 प्रतिशत सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूल किया जा सकेगा, तथा अंतर दावा, ट्रू–अप के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात वसूल किया जा सकेगा।

92.12. वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एफपीपीएएस के पास–थ्रू के कारण वसूल किए गए राजस्व को एआरआर के ट्रू–अप के साथ ट्रू–अप किया जाएगा।

92.13. एफपीपीएएस के विरुद्ध वर्ष के लिए अधिक/कम वसूली के मामले में, उसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ट्रू–अप के समय उसकी वहन लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

92.14. वितरण लाइसेंसधारी, एआरआर के ट्रू–अप के दौरान, निर्धारित प्रारूपों में, किए गए व्यय और वसूले गए ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार के बीच अंतर का विवरण, और आयोग द्वारा अपेक्षित विस्तृत गणनाएँ और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

92.15. ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार तंत्र और उसकी वसूली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, वितरण लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी बिलिंग प्रणाली को इस बात को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाए और एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिलिंग और मीटरिंग विक्रेता चाहे कोई भी हो, अंतर–संचालनीयता या उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली हो।

92.16. लाइसेंसधारी, ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणना, और ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार की वसूली सहित सभी विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और एक समर्पित वेब पते के माध्यम से उन्हें संग्रहीत करेगा।

92.17. ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार की गणनाः

सूत्र :

nवें माह के लिए मासिक एफपीपीएएस (%) = (ए–बी)*सी + (डी–ई)

———————————————————

{जेड* (1– वितरण हानियाँ, %/100 में)} * एबीआर

जहाँ,

(N+2)वाँ माह उस माह को संदर्भित करता है जिसमें ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (n)वें महीने में आपूर्ति की गई बिजली के टैरिफ में बदलाव के कारण है।

ए, (n)वें महीने में सभी स्रोतों से खरीदी गई कुल इकाइयाँ (कि.वा.घ. में) हैं, जिनमें दीर्घकालिक, मध्यमकालिक और अल्पकालिक बिजली खरीद शामिल हैं (वितरण लाइसेंसधारियों को जारी किए गए बिलों से ली जाएँगी)।

बी, (n)वें महीने में सभी स्रोतों से बिजली की थोक बिक्री (अंतर–राज्यीय बिक्री) है (कि.वा.घ. में) (प्रत्येक माह की 10 तारीख तक एसएलडीसी द्वारा जारी किए जाने वाले अनंतिम खातों से ली जाएँगी और एसएलडीसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएँगी)।

सी, वृद्धिशील औसत बिजली खरीद लागत है = (n)वें महीने में सभी स्रोतों से वास्तव में भुगतान किए गए जल शुल्क, वैधानिक कर, शुल्क और उपकर सहित वास्तविक औसत बिजली खरीद लागत (पीपीसी) (रु./कि.वा.घ.) (गणना की गई) – सभी स्रोतों से अनुमानित औसत बिजली खरीद लागत (पीपीसी) (रु./कि.वा.घ.) (टैरिफ आदेश से)।

डी = वास्तविक अंतर–राज्यीय और अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क (n)वें महीने, (ट्रांसको द्वारा डिस्कॉम को दिए गए बिलों से) (रु. में),

ई = (n)वें महीने के लिए आधार पारेषण शुल्क (स्वीकृत पारेषण शुल्क/12) (रु. में),

जेड = [{(n)वें महीने में राज्य के बाहर सभी स्रोतों से खरीदी गई वास्तविक बिजली (किलोवाट घंटे में) x (1 – अंतर–राज्यीय पारेषण हानियाँ %/100 में) + राज्य के भीतर सभी स्रोतों से खरीदी गई बिजली (किलोवाट घंटे में) –बी} x (1 –अंतर–राज्यीय हानियाँ % में)]/100 (किलोवाट घंटे में),

एबीआर = वर्ष के लिए औसत बिलिंग दर (टैरिफ आदेश से रु./किलोवाट घंटे में ली जाएगी),

वितरण हानियाँ (% में) = लक्षित वितरण हानियाँ (टैरिफ आदेश से),

अंतर–राज्यीय पारेषण हानियाँ (% में) (टैरिफ आदेश के अनुसार),

अंतर–राज्यीय पारेषण हानियाँ (% में) (टैरिफ आदेश के अनुसार)।

92.18 विद्युत क्रय लागत में विचलन, निपटान तंत्र के कारण लगने वाले सभी शुल्क शामिल नहीं होंगे।

92.19. अन्य शुल्क, जिनमें सहायक सेवाएँ और सुरक्षा–बाधित आर्थिक प्रेषण शामिल हैं, एफपीपीएएस में शामिल नहीं किए जाएँगे और आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रू–अप के माध्यम से समायोजित किए जाएँगे।

93. गैर–टैरिफ आय

93.1. वितरण लाइसेंसधारी के व्यवसाय से संबंधित कोई भी आय, जो स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें परिसंपत्तियों का निपटान, निवेश से आय, किराया, स्क्रैप/परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास मूल्य को समायोजित करने के बाद स्क्रैप/परिसंपत्तियों का निपटान मूल्य, परिसंपत्तियों के उपयोग से किराये की आय, जिसमें विज्ञापनों से प्राप्तियाँ, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम राशि पर ब्याज, समानांतर संचालन शुल्क, और ऊर्जा की बिक्री से आय के अलावा कोई अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, गैर–टैरिफ आय मानी जाएगी।

93.2. वितरण लाइसेंसधारी को समग्र राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ गैर–टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण आयोग को प्रस्तुत करना होगाः

परंतु यह कि वितरण लाइसेंसधारी को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक घटक–वार गैर–टैरिफ आय का पूरा विवरण अपनी ट्रू–अप याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करना होगा।

94. ऊर्जा बैंकिंग

ऊर्जा बैंकिंग के लिए शुल्क संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित अनुसार अनुमत होंगे।

95. अन्य व्यवसाय से आय

जहाँ वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसमें बिजली के व्यापार से होने वाली आय शामिल नहीं है, ऐसे व्यवसाय से वितरण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों के उपयोग से अर्जित आय को वितरण लाइसेंसधारी और लाभार्थियों के बीच नीचे दिए गए विवरण के अनुसार साझा किया जाएगाः

क) ऐसे अन्य व्यवसाय से होने वाली आय के दो–तिहाई के बराबर राशि खुदरा आपूर्ति टैरिफ के लिए कुल राजस्व आवश्यकता से काट ली जाएगी;

ख) ऐसे अन्य व्यवसाय से होने वाली आय के एक–तिहाई के बराबर राशि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा रखी जाएगी।

96. क्रॉस–सब्सिडी सरचार्ज के कारण प्राप्तियाँ

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कनेक्टिविटी एवं अंतर–राज्यीय मुक्त पहुँच) विनियम, 2011, जो भी लागू हो और समय–समय पर यथा संशोधित हो, के अनुसार आयोग, द्वारा अनुमोदित क्रॉस–सब्सिडी सरचार्ज के रूप में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त राशि, ऐसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खुदरा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की गणना करते समय, ट्रूइंग–अप के समय, कुल राजस्व आवश्यकता से घटा दी जाएगी।

97. वितरण प्रणाली के लिए ऊर्जा हानियाँ

97.1. 33 केवी और उससे कम वोल्टेज स्तर के लिए ऊर्जा हानि की गणना, समय–समय पर यथा संशोधित राज्य ग्रिड संहिता 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

97.2. 33 केवी वोल्टेज स्तर पर अंतःक्षेपित ऊर्जा और 33 केवी और उससे कम वोल्टेज स्तर पर, उसके सभी उपभोक्ताओं (खुदरा और खुली पहुँच) को बेची गई ऊर्जा के योग के बीच का अंतर, 33 केवी और उससे कम प्रणाली के लिए ऊर्जा हानि होगी:

परंतु यह कि, इसे ट्रू–अप करने के समय लाभ/हानि के लिए विचार किया जाएगा, जिसे औसत बिजली खरीद लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के बीच निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाएगा:

i) लाभ का दो–तिहाई उपभोक्ताओं को टैरिफ में दिया जाएगा और शेष वितरण लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाएगा।

ii) दो–तिहाई हानि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी और शेष उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाएगी।

97.3. बेची गई ऊर्जा, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के आधार पर, मूल्यांकित मीटर्ड बिक्री और अनमीटर्ड बिक्री, यदि कोई हो, का योग होगी।

97.4. वितरण लाइसेंसधारी के लिए ऊर्जा हानि प्रक्षेप पथ, टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार होगा।

98. खुदरा आपूर्ति शुल्क का निर्धारण

98.1. आयोग उपभोक्ताओं को उनके लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि या आपूर्ति की आवश्यकता वाले समय के दौरान बिजली की कुल खपत या

किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और आपूर्ति की आवश्यकता के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है।

98.2. लागत–प्रतिबिंबित खुदरा आपूर्ति शुल्क विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए निर्धारित किया जाएगा, और इसमें पिछले वर्षों के अप्राप्य राजस्व अंतराल को उस सीमा तक शामिल किया जाएगा, जिसकी वसूली प्रस्तावित है।

98.3. आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति की लागत के संबंध में उपभोक्ता श्रेणियों के बीच क्रॉस–सब्सिडी को धीरे–धीरे कम करने का प्रयास करेगा।

98.4. विभिन्न श्रेणियों के लिए लागत–प्रतिबिंबित शुल्क का निर्धारण करते समय, प्राप्त अनुदान और उपभोक्ता अंशदान को संबंधित वोल्टेज स्तरों के विरुद्ध माना जाएगा, जिसके लिए ऐसी धनराशि प्राप्त हुई है।

98.5. विभिन्न श्रेणियों के लिए लागत प्रतिबिंबित टैरिफ का निर्धारण करते समय, आयोग, विभिन्न स्रोतों से खरीदी गई बिजली को विभिन्न श्रेणियों और/या वोल्टेजों में भी आवंटित कर सकता है।

अध्याय–9
एसएलडीसी व्यवसाय

99. वार्षिक प्रभार

99.1. एसएलडीसी के वार्षिक प्रभार, प्रणाली संचालन शुल्क और बाजार संचालन शुल्क के रूप में वसूले जाएँगे।

99.2. वार्षिक एसएलडीसी शुल्क केवल उन अंतर–राज्यीय संस्थाओं से वसूले जाएँगे, जो एसएलडीसी की दीर्घकालिक और मध्यमकालिक की सेवाएँ प्राप्त कर रही हैं, सिवाय एकल उत्पादकों, अल्पकालिक मुक्त पहुँच वाले ग्राहकों, थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के।

100. पूँजी निवेश योजना

एसएलडीसी इन विनियमों के अध्याय 2 में निर्दिष्ट तरीके से एक पूँजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

101. टैरिफ के घटक

101.1. वार्षिक एसएलडीसी प्रभार में निम्नलिखित घटक शामिल होंगेः–

1) इक्विटी पर प्रतिफल;

2) ऋण पूँजी पर ब्याज;

3) मूल्यह्रास;

4) ओ एवं एम व्यय;

क) मानव संसाधन व्यय :

(i) कर्मचारी व्यय;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभाव;

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला;

ख) एम एव जी व्यय;

5) पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट अंशदान फंड ;

6) कार्यशील पूंजी पर ब्याज।

नोटः

पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट अंशदान फंड, समान मासिक किश्तों में वसूल किया जा सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जा सकता है।

101.2. इक्विटी पर प्रतिफल

एसएलडीसी को इन विनियमों के विनियम 24 में निर्दिष्ट आरओई की अनुमति होगी।

101.3. ऋण पूंजी पर ब्याज

एसएलडीसी को इन विनियमों के विनियम 25 में निर्दिष्ट ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त शुल्क की अनुमति होगी।

101.4. मूल्यह्रास

एसएलडीसी को इन विनियमों के विनियम 26 में निर्दिष्ट अचल संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास वसूलने की अनुमति होगी।

101.5. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

i. मानव संसाधन (एचआर) व्यय

(क) मानव संसाधन व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) कर्मचारी लागत;

(ii) वेतन संशोधन का प्रभावय

(iii) आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमला;

(ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए मानव संसाधन व्यय के प्रत्येक घटक के लिए एक अलग प्रक्षेप–पथ निर्धारित करेगा।

(ग) मानव संसाधन व्यय में कर्मचारी लागत, वेतन संशोधन बकाया का प्रभाव, आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त अमले से संबंधित सभी व्यय, पेंशन निधि अंशदान, और मानव संसाधन से संबंधित गैर–आवर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय शामिल है।

(घ) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मानव संसाधन व्यय, पेंशन और ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड अंशदान, वेतन संशोधन बकाया के प्रभाव और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को छोड़कर वास्तविक मानव संसाधन व्यय के सामान्यीकृत औसत के आधार पर प्राप्त किया जाएगा, जो आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के खातों में उपलब्ध है, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन है।

(ङ) मानव संसाधन व्यय का सामान्यीकरण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई (आईडब्ल्यू)) में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके किया जाएगा।

(च) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य का औसत, फिर वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

(छ) अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मानव संसाधन व्यय (पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट अंशदान फंड के प्रभाव, वेतन संशोधन और गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी अन्य व्यय, यदि कोई हो, को छोड़कर) का अनुमान लगाने हेतु उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

(ज) ट्रू–अप के समय, मानव संसाधन व्यय को वास्तविक माना जाएगा और उसे लाभ/हानि तंत्र के अधीन नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि ट्रू–अप के दौरान, वेतन संशोधन (बकाया सहित) और पेंशन एवं ग्रेच्युटी ट्रस्ट अंशदान फंड के प्रभाव पर वास्तविक नकदी बहिर्वाह को लेखाओं के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जाँच और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारक के अधीन होगा।

(झ) सीपीआई (आईडब्ल्यू) (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा ।

ii. रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय

(क) रखरखाव एवं सामान्य (एम एंड जी) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) प्रशासनिक एवं सामान्य (ए एंड जी) व्यय;

(ii) मरम्मत एवं रखरखाव (आर एंड एम) व्यय।

(ख) आयोग, नियंत्रण अवधि के लिए एम एंड जी व्यय के प्रत्येक घटक, अर्थात् ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय, के लिए एक अलग प्रक्षेप पथ निर्धारित करेगाः

परंतु यह कि, अतिरिक्त पूंजी निवेश या कानून में किसी परिवर्तन या किसी वैधानिक प्राधिकरण के किसी निर्देश के कारण होने वाले अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के बाद, टैरिफ आदेश में अनुमत ओ एंड एम व्यय के अतिरिक्त होंगे।

(ग) आधार वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ए एंड जी व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) (ए एंड जी) और आर एंड एम व्यय

(आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) (आर एंड एम), क्रमशः वास्तविक ए एंड जी व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) और आर एंड एम व्यय (आउटसोर्सिंग जनशक्ति पर व्यय को छोड़कर) के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाले जाएँगे, जो आधार वर्ष वित्त वर्ष 2025–26 से ठीक पहले के पिछले पाँच (5) वर्षों के लेखों में उपलब्ध हैं, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन हैं:

परंतु यह कि, पिछले पाँच (5) वर्षों के लिए सामान्यीकृत औसत का निर्धारण करते समय गैर–आवर्ती प्रकृति के किसी भी अन्य व्यय को बाहर रखा जाएगा।

(घ) आर एंड एम व्यय का सामान्यीकरण सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में पिछले पाँच वर्षों की औसत वृद्धि / कमी को वर्ष–दर–वर्ष आधार पर लागू करके किया जाएगा।

(ङ.) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य के औसत का उपयोग वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा।

(च) ए एंड जी व्यय का सामान्यीकरण मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्षों की औसत वृद्धि / कमी को लागू करके किया जाएगा, जिसे वर्ष–दर–वर्ष क्रमशः डब्ल्यूपीआई के 40 प्रतिशत भार और सीपीआई के 60 प्रतिशत भार के आधार पर माना जाएगा।

(छ) वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 के लिए सामान्यीकृत शुद्ध वर्तमान मूल्य के औसत का उपयोग वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधार वर्ष मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा।

(ज) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ए एंड जी व्यय और आर एंड एम व्यय का अनुमान लगाने के लिए अनुमानित आधार वर्ष मूल्य को उपरोक्त मुद्रास्फीति दर से बढ़ाया जाएगा।

(झ) सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार {आधार वर्षः 2011–12 श्रृंखला} के अनुसार होंगे।

(ञ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) श्रम ब्यूरो, भारत सरकार {आधार वर्ष : 2016=100} के अनुसार होगा।

(ट) ट्रू–अप के समय, उस अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए आर एवं जी व्यय और आर एवं एम व्यय पर विचार किया जाएगा।

101.6. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

एसएलडीसी को इन विनियमों के विनियम 27 में निर्दिष्ट मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज की अनुमति होगी।

102. शुल्क और प्रभारों का अधिरोपण

102.1. संग्रहण

क) एसएलडीसी इन विनियमों के तहत निर्धारित शुल्क और प्रभारों का संग्रहण करेगा।

ख) एसएलडीसी, इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों से पंजीकरण शुल्क अधिरोपित करेगा और वसूल करेगाः

परंतु यह कि, उन कंपनियों से पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया जाएगा और वसूला जाएगा, जिन पर विनियम 2 के अनुसार ये विनियम लागू नहीं होते हैं।

ग) एसएलडीसी को किसी अन्य विनियम में निर्दिष्ट अनुसार उत्पादन कंपनियों, लाइसेंसधारियों और पावर एक्सचेंजों से शुल्क और प्रभार लगाने और वसूलने की अनुमति होगी।

102.2. प्रणाली संचालन कार्य और बाजार संचालन कार्य के लिए वार्षिक शुल्क के घटकों का आवंटन और विभाजनः

क) राज्य प्रणाली संचालन कार्य के लिए वार्षिक शुल्क, वार्षिक शुल्क का 80 प्रतिशत होगा।

ख) अंतर–राज्यीय बाजार संचालन कार्य के लिए वार्षिक शुल्क, वार्षिक शुल्क का शेष 20 प्रतिशत होगा।

ग) प्रणाली संचालन शुल्क और बाजार संचालन शुल्क के लिए वार्षिक शुल्क के आवंटन के अनुपात की समय–समय पर आयोग द्वारा समीक्षा और निर्णय लिया जा सकता है।

102.3. प्रणाली संचालन शुल्क (एसओसी) और बाजार संचालन शुल्क (एमओसी) का अधिरोपण

इन विनियमों के विनियम 102.4 और विनियम 102.5 में निर्दिष्ट प्रणाली संचालन शुल्क और बाजार संचालन शुल्क, वार्षिक शुल्कों के विभिन्न घटकों की आवंटित और/या विभाजित राशियों को जोड़कर निर्धारित किए जाएँगे।

102.4. प्रणाली संचालन शुल्क का अधिरोपण

क) प्रणाली संचालन शुल्क नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार वसूल किए जाएँगेः–

i. राज्य के भीतर पारेषण लाइसेंसधारी (राज्य विद्युत उत्पादन इकाई के अलावा) : प्रणाली संचालन शुल्क का 10 प्रतिशत;

ii. राज्य के भीतर विक्रेता (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को छोड़कर) : प्रणाली संचालन शुल्क का 45 प्रतिशत;

iii. राज्य के भीतर क्रेता (थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) : प्रणाली संचालन शुल्क का 45 प्रतिशत :

परंतु यह कि, यदि राज्य के भीतर पारेषण लाइसेंसधारी (राज्य विद्युत उत्पादन इकाई के अलावा) राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एसएलडीसी) की सेवाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो राज्य के भीतर क्रेताओं और राज्य के भीतर विक्रेताओं से प्रणाली संचालन शुल्क नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार वसूल किए जाएँगे :–

i. राज्य के भीतर विक्रेता : (नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को छोड़कर) : प्रणाली संचालन शुल्क का 50 प्रतिशत;

ii. अंतर–राज्यीय क्रेतारू (थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) : प्रणाली संचालन शुल्क का 50 प्रतिशत।

ख) प्रणाली संचालन शुल्क, अंतर–राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों (एसटीयू को छोड़कर) पर, बिलिंग माह से पहले वाले महीने के अंतिम दिन उनके स्वामित्व वाली लाइनों के सर्किट किलोमीटर के आधार पर लगाया जाएगा।

ग) राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु अंतर–राज्यीय विक्रेताओं से प्रणाली संचालन शुल्क उनकी अनुबंधित क्षमता के अनुपात में वसूला जाएगा।

घ) राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु अंतर–राज्यीय क्रेताओं से प्रणाली संचालन शुल्क उनकी अनुबंधित क्षमता के अनुपात में वसूला जाएगा।

नोट : उपरोक्त प्रावधान, नवीकरणीय ऊर्जा–आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, ये शुल्क अन्य अंतर–राज्यीय क्रेताओं और अंतर–राज्यीय विक्रेताओं पर भी अल्पकालिक ओपन एक्सेस रूट के माध्यम से खरीदी गई या बेची गई बिजली की मात्रा के लिए लागू नहीं होंगे।

102.5. बाजार संचालन शुल्क का अधिरोपण

बाजार संचालन शुल्क, सभी राज्य–अंतर्गत विक्रेताओं और राज्य–अंतर्गत क्रेताओं से समान रूप से वसूला जाएगा, चाहे उनकी अनुबंधित क्षमता कुछ भी हो:

परंतु यह कि, यदि राज्य–अंतर्गत विक्रेता एक उत्पादन कंपनी है, तो उसे उत्पादन केंद्रवार शुल्क का भुगतान करना होगा।

नोट : उपरोक्त प्रावधान नवीकरणीय ऊर्जा–आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, यह शुल्क केवल अल्पकालिक मुक्त पहुँच मार्ग के माध्यम से विद्युत क्रय या विक्रय करने वाले अन्य राज्य–अंतर्गत क्रेताओं और राज्य–अंतर्गत विक्रेताओं पर भी लागू नहीं होगा।

102.6. अन्य मुक्त पहुँच ग्राहकों के लिए शुल्क और प्रभार

क) अल्पकालिक मुक्त पहुँच ग्राहकों (राज्य–अंतर्गत क्रेता और राज्य–अंतर्गत विक्रेता) के लिए शुल्क और प्रभार, जो ऊपर शामिल नहीं हैं, केंद्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट शुल्क और प्रभार के अनुसार होंगे (अर्थात, अल्पकालिक अंतर–राज्यीय मुक्त पहुँच का लाभ उठाने वाली राज्य–अंतर्गत इकाई के लिए)।

ख) राज्य विद्युत वितरण निगम (एसएलडीसी) अल्पकालिक मुक्त पहुंच ग्राहकों से अर्जित राजस्व के लिए एक अलग खाता बनाए रखेगा।

ग) अल्पकालिक मुक्त पहुंच ग्राहकों से एकत्रित ऐसे शुल्कों को राज्य विद्युत वितरण निगम (एसएलडीसी) की शविविध आयश माना जाएगा।

घ) जमा राशि पर ब्याज, पंजीकरण शुल्क, आवेदन शुल्क, परिचालन शुल्क, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) प्रणाली का विकल्प चुनने वाले विद्युत उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विविध शुल्क आदि को एसएलडीसी की गैर–टैरिफ आय माना जाएगा।

102.7. पंजीकरण शुल्क का अधिरोपण

क) सभी नवीकरणीय और पारंपरिक उत्पादन कंपनियाँ और लाइसेंसधारी (इन विनियमों के विनियम 2.2 में शामिल कंपनियों को छोड़कर), और अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से जुड़ने की इच्छुक सभी आहरितकर्ता संस्थाएँ, इन विनियमों के परिशिष्ट–VII में निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन दाखिल करके समकालिकीकरण से पहले राज्य विद्युत वितरण निगम (एसएलडीसी) के साथ अपना पंजीकरण कराएँगी।

ख) सभी उत्पादक, जिनमें आरई जनरेटर और ओपन एक्सेस कस्टमर शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही लॉन्ग–टर्म ओपन एक्सेस एग्रीमेंट कर लिए हैं, लेकिन अभी तक एसएलडीसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और वेब बेस्ड शेड्यूलिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल लेने होंगे, ऐसा न करने पर, ड्रॉअल पॉइंट पर उनका ऊर्जा सेटलमेंट रोक दिया जाएगा।

ग) सभी आरई जनरेटर, डीएसएम विनियम के लागू होने पर ध्यान दिए बिना, संचालन प्रयोजन के लिए अपने अंतःक्षेपण शेड्यूल के लिए वेब बेस्ड शेड्यूलिंग करेंगे, जैसा कि डीआरई विनियम में आज्ञापक हो।

घ) सभी आरई जनरेटर, उर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स, 2022 के अनुसार ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (जीओएआर) नेशनल पोर्टल पर भी स्वयं को पंजीकृत करेंगे।

ड.) क्षमता में बदलाव होने पर एसएलडीसी में पंजीकरण का पुनरीक्षण आवष्यक है। यह एलटीओए, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट से पहले किया जाएगा।

च) पंजीकरण दस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और उसके बाद पंजीकरण का नवीनीकरण ऊपर निर्दिष्ट तरीके से और आयोग द्वारा निर्धारित शुल्कों और प्रभारों के भुगतान पर किया जाएगाः

परंतु यह कि, राज्य विद्युत वितरण निगम (एसएलडीसी) के साथ पहले से पंजीकृत सभी उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों का पंजीकरण पंजीकरण की तिथि से दस वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

नोट : स्वामित्व के हस्तांतरण/परिवर्तन को विनियमन 102.7(क) के अनुसार नए सिरे से पंजीकृत करना होगा।

छ) विद्युत उत्पादन संयंत्र (कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) के पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ 50 मेगावाट और उससे अधिक की स्थापित क्षमता के लिए 10 लाख रुपये या 50 मेगावाट से कम की स्थापित क्षमता के लिए 5 लाख रुपये का शुल्क संलग्न होगाः

परंतु यह कि, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ग्रिड से जुड़े विद्युत उत्पादन संयंत्रों को अपने विद्युत उत्पादन स्टेशनों को एसएलडीसी के साथ स्थापित क्षमता के आधार पर पंजीकरण शुल्क के भुगतान पर निम्नानुसार पंजीकृत कराना होगाः

100 किलोवाट तक की स्थापित क्षमताः	1,000 रुपये
100 किलोवाट से अधिक 500 किलोवाट तक की स्थापित क्षमताः	5,000 रुपये
500 किलोवाट से अधिक 1 मेगावाट तक की स्थापित क्षमताः	10,000 रुपये
1 मेगावाट से अधिक 20 मेगावाट तक की स्थापित क्षमताः	2,00,000 रुपये
20 मेगावाट से 50 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता :	4,00,000 रूपये
50 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमताः	5,00,000 रूपये

परंतु यह और कि, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन कंपनी को राज्य नोडल एजेंसी, अर्थात छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) द्वारा विधिवत प्रमाणित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के रूप में पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

परंतु यह भी कि, ऐसे स्टैंड अलोन उत्पादक, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के प्रयोजनार्थ या समय–समय पर आयोग द्वारा अधिदेशित किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए ऊर्जा मीटरिंग या लेखांकन हेतु एसएलडीसी की सेवाएँ लेते हैं, उन्हें भी एसएलडीसी के साथ पंजीकरण कराना होगा।

परंतु यह भी कि, ऐसे मामलों में शुल्क संयंत्र की स्थापित क्षमता पर ध्यान दिए बिना 1 लाख रुपये होगा।

परंतु यह भी कि, सभी आहरित संस्थाओं के लिए पंजीकरण शुल्क नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक उत्पादन स्टेशनों के लिए अलग–अलग निकासी क्षमता हेतु निर्दिष्ट शुल्क संरचना के अनुसार होगा।

ज) एसएलडीसी की सेवाएँ लेने के इच्छुक सभी लाइसेंसधारियों के लिए पंजीकरण शुल्क 10 लाख रुपये होगा।

झ) उत्पादन कंपनियों (कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) और लाइसेंसधारियों द्वारा पंजीकरण शुल्क के भुगतान में चूक की स्थिति में, एसएलडीसी आयोग को संदर्भ भेज सकता है।

ञ) एसएलडीसी, आवेदन की जाँच करने और आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता से संतुष्ट होने के बाद, आवेदक को अपनी स्वीकृति की विधिवत सूचना देते हुए, उसे अपने रजिस्टर में पंजीकृत करेगा।

ट) पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ठ) यदि उत्पादन केंद्र अपनी क्षमता 50 मेगावाट से कम से बढ़ाकर 50 मेगावाट या उससे अधिक करता है, तो 5 लाख रुपये की अंतर राशि देय होगी।

ड) एसएलडीसी अपनी वेबसाइट पर सभी पंजीकृत उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों की सूची बनाए रखेगा।

ड) एसएलडीसी, अंतर–राज्यीय पारेषण नेटवर्क और वितरण नेटवर्क से जुड़े और उसके द्वारा निगरानी/सेवा प्रदान किए जा रहे उत्पादन केंद्र और लाइसेंसधारियों के बारे में समेकित जानकारी हर साल अप्रैल के अंत तक आयोग को प्रस्तुत करेगा।

ण) एसएलडीसी, पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निपटारा करेगाः

परंतु यह कि प्रसंस्करण में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में, एसएलडीसी उपरोक्त समय–सीमा पूरी होने के 5 कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को इसके संबंध में वैध कारणों से अवगत कराएगाः

(त) कार्यालय/पत्राचार, पते में बदलाव, सम्पर्क में बदलाव या एबीटी मीटर डिटेल्स (उत्पादन की क्षमता को छोड़कर) आदि की वजह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पुनरीक्षण के लिए आवेदन के साथ प्रति आवेदन रू.10000 की फीस देनी होगी।

नोटः सभी उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों को एसएलडीसी में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। ये उत्पादन संयंत्र, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, राज्य ग्रिड से सीधे जुड़े लाइसेंसधारी और एकल उत्पादन संयंत्र होंगे जो आरईसी और अन्य अंतर–राज्यीय संस्थाओं के लिए एसएलडीसी की सेवाओं का लाभ उठाते हैं।

103. बिलिंग और अन्य विविध प्रावधान

103.1. बिलिंग और भुगतान

इन विनियमों के अनुसार, एसएलडीसी द्वारा मासिक आधार पर सिस्टम संचालन शुल्क और बाजार संचालन शुल्क के लिए बिल जारी किए जाएँगे, और संबंधित अंतर–राज्यीय संस्थाओं द्वारा सीधे एसएलडीसी को भुगतान किया जाएगा।

103.2. एसएलडीसी शुल्क और प्रभारों के भुगतान में लगातार चूक को आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

अध्याय–10
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ

104. प्रयोज्यता

104.1. इस भाग में विनिर्दिष्ट विनियम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए टैरिफ निर्धारण पर लागू होंगे।

104.2. आयोग, निम्नलिखित मामलों में बीईएसएस के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इस अध्याय में निहित निर्बंधनों और शर्तों द्वारा निर्देशित होगाः

क. जहाँ मौजूदा उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी विद्युत ऊर्जा भंडारण के व्यवसाय में संलग्न है;

ख. जहाँ ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकासकर्ता (ईएसएसडी) का ऐसी उपयोगिता को ऊर्जा भंडारण सेवाएँ प्रदान करने के लिए मौजूदा उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी या एमएसएलडीसी के साथ संविदात्मक समझौता हैः

ग. जहाँ वितरण लाइसेंसधारी विद्युत, वितरण लाइसेंसधारी के ऊर्जा भंडारण व्यवसाय द्वारा उसके खुदरा आपूर्ति व्यवसाय में ऑफ–पीक विद्युत को पीक विद्युत में परिवर्तित करने के रूपांतरण मूल्य का निर्धारण करने में, ऊर्जा भंडारण के व्यवसाय में संलग्न है;

घ. जहाँ ऐसा टैरिफ, इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि के बाद किए गए किसी विद्युत क्रय समझौते या व्यवस्था के अनुरूप हो; या

ङ.. जहाँ ऐसा टैरिफ, इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से पहले किए गए किसी विद्युत क्रय समझौते या व्यवस्था के अनुरूप हो, और आयोग ने ऐसे समझौते या व्यवस्था को अनुमोदित कर दिया हो, और समझौते या व्यवस्था में यह परिकल्पना की गई हो कि टैरिफ उस समय प्रचलित टैरिफ विनियमों पर आधारित होगा।

105. बीईएसएस टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका

105.1. इन विनियमों के अंतर्गत बीईएसएस के संबंध में टैरिफ, चरण–वार, इकाई–वार या संपूर्ण बीईएसएस के लिए निर्धारित किया जा सकता है;

परंतु यह कि इस अध्याय में विनिर्दिष्ट बीईएसएस के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु निर्बंधन और शर्तें, चरणों या इकाइयों या बीईएसएस पर, जैसा भी मामला हो, समान रूप से लागू होंगी।

105.2. जहाँ किसी बीईएसएस के किसी चरण या इकाई के लिए टैरिफ निर्धारित किया जा रहा हो, वहाँ ईएसएसडी, सामान्य सुविधाओं से संबंधित पूंजीगत लागत के आवंटन और सभी चरणों या इकाइयों में संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए, जैसा भी मामला हो, एक उचित आधार अपनाएगा;

परंतु यह कि ईएसएसडी ऐसी लागतों के आवंटन का आधार प्रदान करते हुए आवंटन विवरण बनाए रखेगा, जिसका वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा–परीक्षा और प्रमाणन किया जाएगा और टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका के साथ ऐसा लेखा–परीक्षित और प्रमाणित विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा।

105.3. ईएसएसडी, नई ईएसएस के लिए अनंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका, ईएसएस इकाई या चरण या समग्र रूप से प्रणाली के वाणिज्यिक संचालन की अनुमानित तिथि से कम से कम छः महीने पहले, जैसा भी मामला हो, दायर करेगा।

105.4. ईएसएसडी, वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक किए गए और अनुमानित पूंजीगत व्यय तथा किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, नई ईएसएस के लिए अनंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु एक याचिका दायर करेगा;

परंतु यह कि याचिका में, जहाँ भी लागू हो, अनुमानित पूंजीगत लागत और अतिरिक्त पूंजीगत लागत के लिए अंतर्निहित मान्यताओं का विवरण शामिल होगा।

106.5. नई परियोजनाओं के मामले में, ईएसएसडी को, विवेकपूर्ण जाँच के अधीन, अनुमानित पूंजीगत व्यय के आधार पर, वाणिज्यिक संचालन की अनुमानित तिथि से आयोग द्वारा अनंतिम टैरिफ की अनुमति दी जा सकती है।

105.6. यदि वाणिज्यिक संचालन की तिथि अनंतिम टैरिफ को मंजूरी देने वाले आदेश जारी होने की तिथि से छः महीने से अधिक विलंबित होने की संभावना है, तो ईएसएसडी, अनंतिम टैरिफ की प्रयोज्यता की वैधता के विस्तार की मांग के लिए एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें परियोजना के पूरा होने की वर्तमान स्थिति और परियोजना के पूरा होने में देरी के औचित्य का विवरण दिया गया हो, जिस पर आयोग आवश्यक विवेकपूर्ण जाँच के बाद विचार कर सकता है।

105.7. ईएसएसडी, ऊर्जा भंडारण इकाई या चरण या समग्र प्रणाली के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से छः महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर लेखापरीक्षित पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण के आधार पर ईएसएस के लिए अंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका दायर करेगाः

परंतु यह कि ईएसएस में एक से अधिक इकाइयों के मामले में, ऐसी याचिका प्रत्येक इकाई के लिए तब दायर की जाएगी जब पूरे स्टेशन के सीओडी की प्रतीक्षा किए बिना, वह इकाई सीओडी प्राप्त कर ले।

105.8. नए ईएसएस के लिए अंतिम टैरिफ निर्धारण, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर लेखापरीक्षित पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण की विवेकपूर्ण जांच के आधार पर आयोग द्वारा किया जाएगा।

105.9. जहां वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वास्तविक पूंजीगत लागत, आयोग द्वारा अनंतिम टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुमोदित पूंजीगत लागत से पांच प्रतिशत या अधिक कम है, वहां ईएसएसडी लाभार्थियों को अतिरिक्त पूंजीगत लागत के अनुरूप वसूले गए अतिरिक्त टैरिफ को, संबंधित वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रचलित आधार दर पर ब्याज सहित, 150 आधार अंकों के साथ वापस करेगा।

105.10. जहाँ वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वास्तविक पूँजीगत लागत, आयोग द्वारा अनंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु अनुमोदित पूँजीगत लागत से पाँच प्रतिशत या उससे अधिक है, वहाँ ईएसएसडी, आयोग के अनुमोदन के अधीन, लाभार्थियों से पूँजीगत लागत में ऐसी कमी के अनुरूप टैरिफ में कमी की वसूली, संबंधित वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रचलित आधार दर पर ब्याज सहित, 150 आधार अंकों के अतिरिक्त, करेगा।

105.11. बीईएसएस के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

क. बीईएसएस की पूँजीगत लागत

ख. बीईएसएस की उपलब्धता

ग. बीईएसएस की रूपांतरण दक्षता या डिजाइन राउंड ट्रिप दक्षता

घ. अन्य तकनीकी पैरामीटर जैसे डिस्चार्ज की गहराई, डिरेशन कारक, आदि.

ङ. उपयोगी जीवन के दौरान चक्रों की संख्या

च. बीईएसएस का उपयोगी जीवन, बैटरी सिस्टम का उपयोगी जीवन और सिस्टम के बैलेंस का उपयोगी जीवन अलग–अलग;

छ. संचालन और रखरखाव व्यय

ज. 24 घंटे के चक्र के दौरान चार्जिंग के घंटों और डिस्चार्जिंग के घंटों की संख्या के डिजाइन पैरामीटर

झ. बीईएसएस की चार्जिंग के लिए चार्जिंग पावर व्यवस्था

ञ. प्रति मिनट चार्ज की दर (अधिकतम / न्यूनतम) और

ट. प्रति मिनट डिस्चार्ज की दर (अधिकतम / न्यूनतम)।

106. बीईएसएस लिए परिचालन पैरामीटर

106.1. बीईएसस की राउंड–ट्रिप दक्षता, प्रत्येक मासिक परिचालन अवधि के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत होगी।

बीईएसएस की मासिक राउंड–ट्रिप दक्षता = (मासिक ऊर्जा डिस्चार्ज) x 100

(चार्जिंग के लिए मासिक ऊर्जा खपत)

106.2. बीईएसएस की मानक वार्षिक उपलब्धता 95 प्रतिशत होगी।

बीईएसएस की वार्षिक उपलब्धता = उस वर्ष के दौरान सभी समय ब्लॉकों की सिस्टम उपलब्धता का औसत, जिसमें लाभार्थी के पास बीईएसएस को चार्ज/डिस्चार्ज करने के लिए अनुसूचित शक्ति है।

एक समय ब्लॉक में उपलब्धता = वास्तविक इंजेक्शन या निकासी एम यू (ए) x 100

अनुसूचित इंजेक्शन या निकासी एमयू (बी)

जहाँ,

वर्ष में i, iवें समय–ब्लॉक (15 मिनट) को संदर्भित करता है जहाँ एमयू (बी)≠ 0;

एमयू (ए) = लाइसेंसधारी या लाभार्थी और बीईएसएस के बीच सहमत प्रेषण शेड्यूल, जिसे अंततः iवें समय ब्लॉक में चार्जिंग/डिस्चार्जिंग के लिए एमएसएलडीसी को एमयू में भेजा जाएगा;

एमयू (बी) = वितरण लाइसेंसधारी या लाभार्थी द्वारा iवें समय ब्लॉक में चार्जिंग/डिस्चार्जिंग के लिए बीईएसएस को प्रदान की गई प्रेषण अनुसूची, एमयू में;

बीईएसएस के लिए डिस्चार्ज की मानक गहराई 90 प्रतिशत होगी;

बैटरी पैक के प्रदर्शन में गिरावट को प्रति वर्ष 1 प्रतिशत माना जाएगा;

बीईएसएस के लिए औसत रैंप दर रेटेड क्षमता/मिनट का 75 प्रतिशत होगी।

107. बीईएसएस के टैरिफ के घटक

107.1. बीईएसएस के टैरिफ में दो भाग शामिल होंगे, अर्थात् क्षमता शुल्क और डिजाइन चक्र दक्षता से ऊपर चक्र दक्षता के लिए प्रोत्साहन।

107.2. वार्षिक स्थिर शुल्क में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

क. संचालन एवं रखरखाव व्यय;

ख. मूल्यह्रास;

ग. ऋण पूंजी पर ब्याज;

घ. कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

ङ. इक्विटी पूंजी पर प्रतिफल;

घटाएँः

च. गैर–टैरिफ आय।

107.3. इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना, रुपये में, विनियम 17 के अनुसार निर्धारित इक्विटी आधार पर, बीईएसएस के लिए 16.0 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

107.4. ऋण पूंजी पर ब्याज

बीईएसएस को इन विनियमों के विनियमन 25 में निर्दिष्ट अनुसार ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त शुल्क की अनुमति होगी।

107.5. मूल्यह्रास

बीईएसएस को इन विनियमों के विनियम 26 में निर्दिष्ट अचल संपत्तियों के मूल्य पर मूल्यह्रास वसूलने की अनुमति होगीः

परंतु यह कि, स्टेशन के वाणिज्यिक संचालन की प्रभावी तिथि से 15 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य, संपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर परिव्याप्त किया जाएगा;

परंतु यह और कि, बैटरी पैक का उपयोगी जीवन 12 वर्ष होगा जबकि सिस्टम का उपयोगी जीवन शेष 25 वर्ष होगा।

107.6. संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय

बीईएसएस के संबंध में मानक ओ एंड एम व्यय, वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर पूंजीगत लागत के एक प्रतिशत की दर से अनुमत होंगे, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के अधीन होगाः

परंतु यह कि, इस खंड के तहत अनुमत ओ एंड एम व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर वार्षिक रूप से ट्रू–अप किए जाएँगे, और वास्तविक और मानक ओ एंड एम व्यय के बीच अंतर को इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार साझा किया जाएगा।

107.7. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

क. बीईएसएस के लिए मानक कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित शामिल होंगेः

i. 45 दिनों के लिए मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय; साथ ही

ii. मानक संचालन एवं रखरखाव व्यय के 20 प्रतिशत की दर से रखरखाव अतिरिक्त; साथ ही

iii. 45 दिनों की वार्षिक स्थिर लागत के बराबर प्राप्य राशि।

ख. कार्यशील पूंजी पर ब्याज का अनुमान, भारतीय स्टेट बैंक की सीमांत निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर – एक वर्ष की अवधि) के बराबर दर पर लगाया जाएगा, साथ ही चालू वित्त वर्ष के 30 सितंबर को प्रचलित 200 आधार अंक भी जोडे जाएँगे।

परंतु यह कि, ट्रू–अप गणना के दौरान, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना वर्ष के दौरान औसत वास्तविक स्वीकृत ब्याज दर पर की जाएगी।

107.8. क्षमता प्रभार की गणना और भुगतान

क. 1 अप्रैल, 2026 के बाद सीओडी प्राप्त करने वाले बीईएसएस की स्थिर लागत की गणना इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वार्षिक आधार पर की जाएगी और मासिक आधार पर क्षमता शुल्क के रूप में वसूल की जाएगी।

ख. क्षमता प्रभार लाभार्थियों द्वारा बीईएसएस की विक्रय योग्य क्षमता में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में देय होगाः

$$\text{मासिक बीईएसएस उपलब्धता} = \frac{\Sigma\ \text{वास्तविक इंजेक्शन या निकासी मेगावाट घंटा (आई)(ए)}}{\Sigma\ \text{अनुसूचित इंजेक्शन या निकासी मेगावाट घंटा (आई)(बी)}} \times 100$$

जहाँ,

(i) महीने में iवें समय–ब्लॉक (15 मिनट) को संदर्भित करता है जहाँ मेगावाट घंटा (i) $(B) \neq 0$;

मेगावाट घंटा (i)(A) = लाइसेंसधारी या लाभार्थी और बीईएसएस के बीच सहमत प्रेषण सूची जिसे अंततः iवें समय ब्लॉक में चार्जिंग/डिस्चार्जिंग के लिए सीएसएलडीसी को एमयू में भेजा जाएगा;

मेगावाट घंटा (i)(B) = वितरण लाइसेंसधारी या लाभार्थी द्वारा iवें समय ब्लॉक में चार्जिंग/डिस्चार्जिंग के लिए बीईएसएस को एमयू में प्रदान की गई प्रेषण सूची;

बीईएसएस की वार्षिक उपलब्धता = वर्ष के दौरान सभी समय ब्लॉको की प्रणाली उपलब्धता का औसत, जिसमें लाभार्थी के पास बीईएसएस को चार्ज/डिस्चार्ज करने के लिए अनुसूचित बिजली है;

बीईएसएस की मानक वार्षिक उपलब्धता 95 प्रतिशत होगी।

ग. मासिक उपलब्धता कारक से जुडे बीईएसएस के लिए मासिक क्षमता प्रभार का भुगतान निम्नलिखित सूत्र के अनुसार देय होगाः

सीसी1=(एएफसी) x (1/12) x (ईएएफएम1 / एनएईएएफ)

सीसी2=(एएफसी) x (1/6) x (ईएएफएम2 / एनएईएएफ), {(एएफसी)x (1/6)} – {सीसी1} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी3=(एएफसी) x (1/4) x (ईएएफएम3 / एनएईएएफ), {(एएफसी)x (1/4)} – {सीसी1 + सीसी2} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी4=(एएफसी) x (1/3) x (ईएएफएम4 / एनएईएएफ), {(एएफसी)x (1/3)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी5=(एएफसी) x (5/12) x (ईएएफएम5 / एनएईएएफ), {(एएफसी)x (5/12)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी6=(एएफसी) x (1/2) x (ईएएफएम6/ एनएईएएफ), {(एएफसी)x (1/2)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी7=(एएफसी) x (7/12) x (ईएएफएम7/ एनएईएएफ), {(एएफसी)x (7/12)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 सीसी6} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी8=(एएफसी) x (2/3) x (ईएएफएम8/ एनएईएएफ), {(एएफसी)x (2/3)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 सीसी6 + सीसी7} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी9=(एएफसी) x (3/4) x (ईएएफएम9/ एनएईएएफ), {(एएफसी)x (3/4)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 सीसी6 + सीसी7 + सीसी8} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी10=(एएफसी) x (5/6) x (ईएएफएम10/ एनएईएएफ), {(एएफसी)x (5/6)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी11=(एएफसी) x (11/12) x (ईएएफएम11/ एनएईएएफ), {(एएफसी)x (11/12)} – {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9 + सीसी10} की अधिकतम सीमा के अधीन

सीसी12=(एएफसी) x (ईएएफएम11 / एनएईएएफ), {(एएफसी)– {सीसी1 + सीसी2 + सीसी3 + सीसी4 + सीसी5 सीसी6 + सीसी7 + सीसी8 + सीसी9 + सीसी10 + सीसी9} की अधिकतम सीमा के अधीन

जहाँ,

सीसीएन= माह के लिए क्षमता प्रभार (एन);

एएफसी= वार्षिक निश्चित लागत;

ईएएफएमएन= nवें महीने के दौरान प्राप्त मासिक बीईएसएस उपलब्धता कारक;

एनएईएएफ= मानक वार्षिक बीईएसएस उपलब्धता कारक;

परंतु यह कि, ऊपर निर्दिष्ट क्षमता शुल्क की गणना के लिए बीईएसएस की उपलब्धता को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों मोड में ध्यान में रखा जाएगा:

परंतु यह और कि, वर्ष के अंत में बीईएसएस द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन और वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर समायोजन किया जाएगा।

जहाँ,

सीसीएन= माह के लिए क्षमता प्रभार (n);

एएफसी= वार्षिक निश्चित लागत;

ईएएफएमएन = nवें महीने के दौरान प्राप्त मासिक बीईएसएस उपलब्धता कारक;

एनएईएएफ= मानक वार्षिक बीईएसएस उपलब्धता कारक;

परंतु यह कि ऊपर निर्दिष्ट क्षमता शुल्क की गणना के लिए बीईएसएस की उपलब्धता को चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग दोनों मोड में ध्यान में रखा जाएगा:

परंतु यह कि, वर्ष के अंत में बीईएसएस द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन और वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर समायोजन किया जाएगा।

घ. मानक चक्र दक्षता से अधिक चक्र दक्षता के लिए प्रोत्साहन

i. मानक चक्र दक्षता से अधिक चक्र दक्षता के लिए प्रोत्साहन राशि, प्रत्येक लाभार्थी द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा के 75 प्रतिशत से अधिक, लाभार्थी को आपूर्ति की जाने वाली कुल ऊर्जा के लिए, 20 पैसे प्रति किलोवाट घंटा की दर से, एक्स–बस आधार पर देय होगी;

परंतु यह कि यदि किसी माह में उत्पादित ऊर्जा, उस माह में उपभोग की गई ऊर्जा के 75 प्रतिशत से कम हो, तो लाभार्थियों द्वारा देय प्रोत्साहन राशि शून्य होगी।

ii. बीईएसएस के मामले में, बैटरियों को चार्ज करने के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा लाभार्थीयों द्वारा बीईएसएस प्रणाली के बस बार तक संचरण हानियों और वितरण हानियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित की जाएगी, और बदले में, लाभार्थी व्यस्त समय के दौरान बैटरियों को चार्ज करने में उपयोग की गई ऊर्जा के 75 प्रतिशत के बराबर ऊर्जा के हकदार होंगे और बीईएसएस व्यस्त समय के दौरान बिजली की ऐसी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

108. प्रभारों का बिलिंग और भुगतान

बीईएसएस के लिए क्षमता शुल्क और प्रोत्साहनों का बिलिंग और भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

अध्याय–11

जानकारी प्रस्तुत करना और टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना

109. टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व प्रस्तुत करना

109.1. प्रत्येक उपयोगिता कंपनी, जो आयोग द्वारा धारा 62 के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण का विकल्प चुनती है, को निर्धारित प्रारूप में टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व की जानकारी विधिवत प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।

109.2. यदि लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, शुल्कों के लिए टैरिफ में संशोधन के माध्यम से अंतर या अंतर के किसी भाग को पूरा करने का आषय रखती है, तो उसे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू श्रेणीवार टैरिफ और शुल्कों में संशोधन का अनुरोध करते हुए आयोग के समक्ष उचित याचिका दायर करनी होगी।

109.3. पूर्व अवधि के लेखापरीक्षित आँकडे उपलब्ध न होने की स्थिति में, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी अनंतिम लेखों के अनुसार आँकडे प्रस्तुत कर सकते हैं:

परंतु यह कि, ऐसी स्थिति में, वह व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ उचित वार्षिक सुधारों को शामिल करने के बाद, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग/वित्तीय लेखा प्रणाली (ऐसी प्रणाली की उपलब्धता के अधीन) के सत्यापित और मान्य आँकडों का उपयोग करेगा।

110. सूचना का प्रदर्शन और आँकडों का सत्यापन

110.1. आवेदन शुल्क

प्रचलित सीएसईआरसी (शुल्क और प्रभार) विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या एसएलडीसी को इन विनियमों के अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करते समय आयोग को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

110.2. सूचना का प्रदर्शन

उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों या एसएलडीसी से प्रारूप में प्राप्त सूचना आयोग/उत्पादक/लाइसेंसधारी/एसएलडीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

अध्याय 12
विविध प्रावधान

111. संचालन के लिए अधिकतम मानदंड

इन विनियमों में निर्दिष्ट संचालन मानदंड, अधिकतम मानदंड हैं और ये उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, और लाभार्थियों तथा दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को संचालन के बेहतर मानदंडों को अपनानेध्उनका पालन करने से नहीं रोकेंगे।

112. आवेदन शुल्क, प्रकाशन व्यय, लाइसेंस शुल्क और अन्य वैधानिक व्यय

आवेदन दाखिल करने का शुल्क, टैरिफ अनुमोदन हेतु नोटिस के प्रकाशन पर होने वाला व्यय, लाइसेंस शुल्क और लोकपाल कार्यालय पर होने वाले व्यय सहित अन्य वैधानिक व्यय, उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी/राज्य विद्युत वितरण कंपनी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा वास्तविक रूप से, लेखा एवं सामान्य व्यय के माध्यम से, लाभ–हानि के किसी भी बंटवारे के बिना, अलग से वसूल किए जा सकेंगे:

परतु यह कि किसी विशेष वर्ष के व्यय और राजस्व के ट्रू–अप हेतु याचिका के साथ सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए जायेंगे।

113. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को अपनी इच्छा से या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पर शिथिल कर सकता है।

114. बचत

114.1. इन विनियमों में कोई भी बात, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, पर्याप्त आंकडों के अभाव में, आवश्यक संशोधन/समीक्षा करने और आदेश देने की आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा बाधित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

114.2. इन विनियमों में कोई भी बात, आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन समझता है।

115. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, आदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों या आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य विनियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, और जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

आयोग के आदेश द्वारा

हस्ता./-
(सूर्य प्रकाश शुक्ला)
सचिव.

परिशिष्ट–I

मूल्यह्रास सूची

स. क.	परिसंपत्ति विवरण	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
क.	**पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि**	0.00 प्रतिशत
ख.	**पट्टे पर भूमि**	
क.	भूमि में निवेश के लिए	3.34 प्रतिशत
ख.	स्थल की सफाई की लागत के लिए	3.34 प्रतिशत
ग.	जल विद्युत उत्पादन केंद्र के मामले में जलाशय के लिए भूमि	3.34 प्रतिशत
ग.	**नई खरीदी गई परिसंपत्तियाँ**	
क.	**उत्पादन केंद्रों में संयंत्र और मशीनरी**	
(i)	जल विद्युत	5.28 प्रतिशत
(ii)	वाष्प विद्युत एनएचआरबी और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर	5.28 प्रतिशत
(iii)	डीजल विद्युत और गैस संयंत्र	5.28 प्रतिशत
ख.	**शीतलन टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ**	5.28 प्रतिशत
ग.	**जल विद्युत उत्पादन केंद्रों का हिस्सा बनने वाले हाइड्रोलिक कार्य**	
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, प्रबलित कंक्रीट फ्लूम और साइफन	5.28 प्रतिशत
(ii)	प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइनें और सर्ज टैंक, स्टील पाइपलाइनें, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज टैंक, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक कार्य	5.28 प्रतिशत
घ.	**भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य**	

(i)	कार्यालय और शोरूम	3.34 प्रतिशत
(ii)	संयंत्र और उपकरण (थर्मल या हाइड्रो सहित)	3.34 प्रतिशत
(iii)	लकड़ी के ढाँचे जैसे अस्थायी निर्माण	100.00 प्रतिशत
(iv)	कच्ची सड़कें	100.00 प्रतिशत
(v)	कच्ची सड़क के अलावा अन्य सड़कें	3.34 प्रतिशत
(vi)	अन्य	3.34 प्रतिशत
ङ.	**ट्रांसफार्मर, कियोस्क, सब–स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)**	
(i)	100 केव्हीए और उससे अधिक रेटिंग वाले फाउंडेशन सहित ट्रांसफार्मर	5.28 प्रतिशत
(ii)	अन्य	5.28 प्रतिशत
च.	**केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर**	5.28 प्रतिशत
छ.	**लाइटनिंग अरेस्टर**	
(i)	स्टेशन प्रकार	5.28 प्रतिशत
(ii)	पोल प्रकार	5.28 प्रतिशत
(iii)	सिंक्रोनस कंडेनसर	5.28 प्रतिशत
ज.	**बैटरियाँ**	18.00 प्रतिशत
(i)	भूमिगत केबल, जिसमें जॉइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स शामिल हैं,	5.28 प्रतिशत
(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	5.28 प्रतिशत
झ.	**केबल सपोर्ट सिस्टम सहित ओवरहेड लाइनें**	
(i)	66 केव्ही से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	5.28 प्रतिशत

(ii)	13.2 केव्ही से अधिक किन्तु 66 केव्ही से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	5.28 प्रतिशत
(iii)	प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर स्टील पर लाइनें	5.28 प्रतिशत
(iv)	उपचारित लकड़ी के सपोर्ट पर लाइनें	5.28 प्रतिशत
ञ.	**मीटर**	5.28 प्रतिशत
ट.	**स्व–चालित वाहन**	**9.50 प्रतिशत**
ठ.	**एयर कंडीशनिंग प्लांट**	
(i)	स्टैटिक	5.28 प्रतिशत
(ii)	पोर्टेबल	9.50 प्रतिशत
ड.(i)	कार्यालय फर्नीचर और साज–सज्जा	6.33 प्रतिशत
(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33 प्रतिशत
(iii)	फिटिंग और उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33 प्रतिशत
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	5.28 प्रतिशत
ढ.	**किराए पर दिए गए उपकरण**	
(i)	मोटरों के अलावा	9.50 प्रतिशत
(ii)	मोटरें	6.33 प्रतिशत
ण.	**संचार उपकरण**	
(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	15.00 प्रतिशत
(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	15.00 प्रतिशत
(iii)	फाइबर ऑप्टिक/ओपीजीडब्ल्यू	6.33 प्रतिशत

त.	**सॉफ्टवेयर, यूएनएमएस, यूआरटीडीएसएम, ईएमएस, साइबर सुरक्षा प्रणाली, आरईएमसी, डब्ल्यूएएमएस, एससीएडीए प्रणाली सहित आईटी उपकरण**	15.00 प्रतिशत
थ.	कोई अन्य संपत्ति, जो ऊपरोक्त में नहीं आते।	5.28 प्रतिशत

नोट: जहाँ किसी विशेष संपत्ति का जीवन, परियोजना के उपयोगी जीवन से कम है, ऐसी विशेष संपत्ति का उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट–II

नवीन परियोजना हेत मूल्यह्रास सूची

स. क्र.	परिसंपत्ति विवरण	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
क.	**पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि**	0.00 प्रतिशत
ख.	**पट्टे पर भूमि**	
क.	भूमि में निवेश के लिए	3.34 प्रतिशत
ख.	स्थल की सफाई की लागत के लिए	3.34 प्रतिशत
ग.	जल विद्युत उत्पादन केंद्र के मामले में जलाशय के लिए भूमि	3.34 प्रतिशत
ग.	**नई खरीदी गई परिसंपत्तियाँ**	
क.	**उत्पादन केंद्रों में संयंत्र और मशीनरी**	
(i)	जल विद्युत	4.22 प्रतिशत
(ii)	वाष्प विद्युत एनएचआरबी और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर	4.22 प्रतिशत
(iii)	डीजल विद्युत और गैस संयंत्र	4.22 प्रतिशत
ख.	**शीतलन टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ**	4.22 प्रतिशत
ग.	**जल विद्युत उत्पादन केंद्रों का हिस्सा बनने वाले हाइड्रोलिक कार्य**	
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, प्रबलित कंक्रीट फ्लूम और साइफन	4.22 प्रतिशत
(ii)	प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइनें और सर्ज टैंक, स्टील पाइपलाइनें, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज टैंक, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व और हाइड्रोलिक कार्य	4.22 प्रतिशत
घ.	**भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य**	
(i)	कार्यालय और शोरूम	3.34 प्रतिशत
(ii)	संयंत्र और उपकरण (थर्मल या हाइड्रो सहित)	3.34 प्रतिशत
(iii)	लकड़ी के ढाँचे जैसे अस्थायी निर्माण	100.00 प्रतिशत
(iv)	कच्ची सड़कें	100.00 प्रतिशत
(v)	कच्ची सड़क के अलावा अन्य सड़कें	3.34 प्रतिशत
(vi)	अन्य	3.34 प्रतिशत
ड.	**ट्रांसफार्मर, कियोस्क, सब–स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)**	

(i)	100 केव्हीए और उससे अधिक रेटिंग वाले फाउंडेशन सहित ट्रांसफार्मर	4.22 प्रतिशत
(ii)	अन्य	4.22 प्रतिशत
च.	**केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर**	4.22 प्रतिशत
छ.	**लाइटनिंग अरेस्टर**	
(i)	स्टेशन प्रकार	4.22 प्रतिशत
(ii)	पोल प्रकार	4.22 प्रतिशत
(iii)	सिंक्रोनस कंडेनसर	4.22 प्रतिशत
ज.	**बैटरियाँ**	18.00 प्रतिशत
(i)	भूमिगत केबल, जिसमें जॉइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स शामिल हैं,	4.22 प्रतिशत
(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	4.22 प्रतिशत
झ.	**केबल सपोर्ट सिस्टम सहित ओवरहेड लाइनें**	
(i)	66 केव्ही से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	4.22 प्रतिशत
(ii)	13.2 केव्ही से अधिक किन्तु 66 केव्ही से अधिक नहीं, टर्मिनल वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	4.22 प्रतिशत
(iii)	प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर स्टील पर लाइनें	4.22 प्रतिशत
(iv)	उपचारित लकड़ी के सपोर्ट पर लाइनें	4.22 प्रतिशत
ञ.	**मीटर**	4.22 प्रतिशत
ट.	**स्व–चालित वाहन**	**9.50 प्रतिशत**
ठ.	**एयर कंडीशनिंग प्लांट**	
(i)	स्टैटिक	4.22 प्रतिशत
(ii)	पोर्टेबल	9.50 प्रतिशत
ड.(i)	कार्यालय फर्नीचर और साज–सज्जा	6.33 प्रतिशत
(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33 प्रतिशत
(iii)	फिटिंग और उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग	6.33 प्रतिशत

(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	4.22 प्रतिशत
ढ.	**किराए पर दिए गए उपकरण**	
(i)	मोटरों के अलावा	9.50 प्रतिशत
(ii)	मोटरें	6.33 प्रतिशत
ण.	**संचार उपकरण**	
(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	15.00 प्रतिशत
(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	15.00 प्रतिशत
(iii)	फाइबर ऑप्टिक/ओपीजीडब्ल्यू	6.33 प्रतिशत
त.	**सॉफ्टवेयर, यूएनएमएस, यूआरटीडीएसएम, ईएमएस, साइबर सुरक्षा प्रणाली, आरईएमसी, डब्ल्यूएएमएस, एससीएडीए प्रणाली सहित आईटी उपकरण**	15.00 प्रतिशत
थ.	कोई अन्य संपत्ति, जो ऊपरोक्त में नहीं आते।	4.22 प्रतिशत

नोट: जहाँ किसी विशेष संपत्ति का जीवन, परियोजना के उपयोगी जीवन से कम है, ऐसी विशेष संपत्ति का उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट–III

एकीकृत खदान के लिए मूल्यह्रास सूची			
स.क्र.	संपत्ति विवरण	जीवन काल (वर्षों में)	मूल्यह्रास दर
1	भूमि फ्रीहोल्ड @	999	999
2	भूमि लीजहोल्ड	&&&	&&&
3	अस्थायी निर्माण	1	95 प्रतिशत
4	भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी (एचईएमएम)$	8	12 प्रतिशत
5	सड़कें, पुल, पुलिया, हेलीपैड	25	4 प्रतिशत
6	मुख्य संयंत्र भवन	30	3 प्रतिशत
7	एचईएमएमके अलावा अन्य मशीनरी	15	6 प्रतिशत
8	जल आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज	15	6 प्रतिशत
9	फर्नीचर और फिक्स्चर	15	6 प्रतिशत
10	कंप्यूटर के अलावा अन्य कार्यालय उपकरण	15	6 प्रतिशत
11	अस्पताल उपकरण	15	6 प्रतिशत
12	ईडीपी, डब्ल्यूपी मशीनें, सैटकॉम और संचार		6 प्रतिशत
13	उपकरण	15	6 प्रतिशत
14	विद्युत प्रतिष्ठान	15	6 प्रतिशत
15	स्व–चालित वाहन	10	10 प्रतिशत
16	कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर	3	32 प्रतिशत
17	प्रयोगशाला और कार्यशाला उपकरण	15	6 प्रतिशत
18	खदान विकास व्यय	20 या खदान की आयु, जो भी कम हो	5 प्रतिशत
19	मूल्यांकन और अन्वेषण#	20 या खदान की आयु, जो भी कम हो	5 प्रतिशत
20	अन्य जो ऊपरोक्त में नहीं है	15	6 प्रतिशत
*	* निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए बचाव मूल्य 5 प्रतिशत के अतिरिक्त होगा – क. आईटी उपकरण, सॉफ्टवेयर शून्य (0) ख. भूमि के मामले में शून्य या राज्य सरकार के साथ सहमति के अनुसार		*

	ग. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट विशेष खनन उपकरणों के लिए घ. खदान विकास व्यय, मूल्यांकन और अन्वेषण शून्य (0)	
@	याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि क्या फ्रीहोल्ड भूमि वापसी के लिए किसी शर्त के साथ जुड़ी हुई है। यदि हाँ, तो वे शर्तें और अवधि प्रस्तुत करें, जिसके बाद भूमि वापस की जानी है। ऐसे मामले में, भूमि ऐसे विवरणों के आधार पर मूल्यह्रास योग्य होगी।	
&&&	याचिकाकर्ता द्वारा भरा जाना है, पट्टा अनुबंध/खदान जीवन/उपयोग के अधिकार की अवधि का न्यूनतम मान	
$	प्रत्येक एचईएमएम की लागत सहित व्यक्तिगत एचईएमएम की सूची अलग से प्रदान की जाए।	
#	सामान्य अर्थ में खान विकास व्यय आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद खदान को प्रयोग करने योग्य स्थिति में लाने के लिए किया गया व्यय है और खदान स्वामी द्वारा खदान को विकसित करने का निर्णय लिया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत भरते समय, यथासंभव विवरण अलग से दिए जाने चाहिए। मूल्यांकन और अन्वेषण व्यय आम तौर पर स्थलाकृतिक, भूवैज्ञानिक, भू–रासायनिक और भू–भौतिकीय अध्ययन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग, नमूनाकरण, तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों के लिए व्यय, अन्वेषण के अधिकारों के अधिग्रहण आदि के माध्यम से खनिज खोजने से जुड़ा व्यय होता है। इस शीर्ष के अंतर्गत भरते समय, यथासंभव विवरण अलग से दिए जाने चाहिए।	

परिशिष्ट–IV

क्यू$_{पीपी}$ और क्यू$_{आरएस}$ (एमयू) की गणना			
स.क.	विवरण		
1	सीएसपीजीसीएल ताप विद्युत गृहों से क्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा	क्यू1	
2	सीएसपीजीसीएल जल विद्युत गृहों से क्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा	क्यू2	
3	सीएसपीजीसीएल नवीकरणीय विद्युत गृहों से क्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा	क्यू3	
4	सीजीएस से क्रय की गई अनुसूचित विद्युत की मात्रा	क्यू4	
5	द्विमासिक अवधि के लिए पीजीसीआईएल की वास्तविक औसत हानियाँ	एल1	
6	राज्य परिधि पर सीजीएस से क्रय की गई अनुसूचित विद्युत की मात्रा	क्यू5 = क्यू4 x (1– एल1)	
7	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आईपीपी और सीजीपी) से क्रय की गई वास्तविक विद्युत की मात्रा	क्यू6	
8	राज्य आईपीपी और सीजीपी से क्रय की गई वास्तविक अल्पकालिक विद्युत की मात्रा	क्यू7	
9	अंतर–राज्यीय मार्ग से क्रय की गई अनुसूचित अल्पकालिक विद्युत की मात्रा	क्यू8	
10	राज्य परिधि पर अंतर–राज्यीय मार्ग से क्रय की गई अनुसूचित अल्पकालिक विद्युत की मात्रा	क्यू9 = क्यू8 x (1– एल1)	
11	अन्य स्रोतों से खरीदी गई बिजली की मात्रा (यदि कोई हो)	क्यू10	
12	खरीदी गई बिजली की कुल मात्रा	क्यूपीपी = क्यू1 + क्यू2 + क्यू3 + क्यू5 + क्यू6 + क्यू7 + क्यू9 + क्यू10	

13	टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट मानक पारेषण और वितरण हानियाँ	एल	
13	अंतरराज्यीय बिक्री के लिए निर्धारित बिजली की मात्रा	क्यूपीटी	
14	राज्य के खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए खरीदी गई बिजली की मात्रा	क्यूआरएस = क्यूपीपी – क्यूपीटी	

परिशिष्ट–V

विद्युत क्रय लागत (सीएचपीपी) में परिवर्तन की गणना

पहली द्विमासिक अवधि										
	सीजीएस का नाम	पहला महीना								
		पीएएफ एम	एनएपी एएफ	एएफ सी	महीने में अनुसूचित ऊर्जा (एमयू) (एसईआई)	महीने में क्षमता शुल्क रु. ''ए1''	ऊर्जा शुल्क दर (रु/कि.वा.घ.)	ऊर्जा शुल्क रु. ''बी1'' कर	कर रू. ''सी 1''	कुल रू. एक्स1 = ए1 + बी1 + सी1
	एनटीपीसी कोरबा									
	एनटीपीसी सिपत									
	एनटीपीसी									
	कुल थर्मल									
	न्यूक्लियर									
	हेडल									
	सभी स्त्रोतो से योग									

विद्युत क्रय लागत (सीएचपीपी) में परिवर्तन की गणना

पहली द्विमासिक अवधि										
	सीजीएस का नाम	दूसरा महीना								
		पीएएफ एम	एनएपी एएफ	एएफ सी	महीने में अनुसूचित ऊर्जा (एमयू) (एसईआई)	महीने में क्षमता शुल्क रु. ''ए2''	ऊर्जा शुल्क दर (रु/ कि.वा. घ.)	ऊर्जा शुल्क रु. ''बी2'' कर	कर रू. ''सी 2''	कुल रू. एक्स1 = ए2 + बी2 + सी2
	एनटीपीसी कोरबा									
	एनटीपीसी सिपत									
	एनटीपीसी									
	कुल थर्मल									
	न्यूक्लियर									
	हेडल									
	सभी स्त्रोतो से योग									

सीएचपीपी की गणना

द्विमासिक अवधि (एसई1 + एसई2) के लिए अनुसूचित ऊर्जा	एमयू	क्युसीजीएस		
टैरिफ आदेश के अनुसार पीपी लागत की औसत दर	रु./ किलोवाट घंटा	आरपीपी1		
समायोजन अवधि के दौरान क्रय की गई पीपी लागत की वास्तविक औसत दर	रु./ किलोवाट घंटा	आरपीपी2= (एक्स1+ एक्स2) / क्युसीजीएस		
सीएचपीपी	रु.	सीएचपीपी = क्युसीजीएस x (आरपीपी2 – आरपीपी1)		

परिशिष्ट–VI

वीसीए प्रभार की गणना			
स.क्र.	विवरण		
1	ईंधन लागत में परिवर्तन (सीएचएफसी)	रु.	
2	सीएचपीपी	रु.	
3	सकल वीसीए (उप–योग रु. में)	रु.	
4	स्वीकार्य वीसीए (रु. में)	रु.	
5	स्वीकार्य वीसीए (रु./किलोवाट घंटा में) = (सीएचएफस + सीएचपीपी)/ क्यूपीपी x (1–लीटर)	रु./किलोवाट घंटा	

परिशिष्ट–VII

(विनियम 102.7 के अनुपालन में)

1.	संस्था का नाम :–	
2.	संस्था का प्रकारः– (ड्रॉअल /इंजेक्टिंग क्यूसीए)	
3.	फीडर और सब–स्टेशन का नाम, जिससे संस्था संबंद्ध है :–	
4.	ग्रिड कनेक्टिविटी वोल्टेज लेवल :–	
5.	क्या रिन्यूएबल /कन्वेंशनल है : (कृपया विषेष कैटेगरी का उल्लेख करे और केवल इंजेक्टिंग संस्था के मामले में उल्लेख करे जैसे कोल बेस्ड, सोलर विंड बायो–मास, हाइड्रो, डब्ल्यूएचआरबी आदि)	
6.	क्या को–लोकेटेड सीजीपी, डिस्टेंस–लोकेटेड सीजीपी या आईपीपी (केवल इंजेक्टिंग संस्था के लिए आवष्यक)	
7.	क्षमता (मेगावाट/किलोवाट (ड्रॉवी एंटिटी के लिए ओपन एक्सेस क्वांटम) (क) ऑक्जीलरी कंजम्पशन (% में) (ख) एक्स–बस कैपेसिटी (मेगावाट/किलोवाट) (ग) फ्यूल टाइप (घ) कमीशनिंग डेट (ड.) कमर्शियल ऑपरेशन डेट	
8.	क्या बल्क–कंज्यूमर / कैप्टिव यूजर या कोई अन्य प्रकार (केवल ड्रावी एंटीटी के लिए आवश्यक)	
9.	क्षमता (मेगावाट/किलोवाट) (ड्रावी एंटीटी के लिए ओपन एक्सेस क्वांटम)	
10.	उन सभी संस्थाओ (एंटीटी) के नाम, जिनसे आवेदन करने वाली संस्था जुड़ी हुई हैः– (यदि आवेदन करने वाली संस्था अंतःक्षेपण कर रही है तो उसकी सभी ड्रावी एंटीटी के नाम का उल्लेख करें यदि आवेदन करने वाली ड्रावी एंटीटी है तो उसकी सभी अंतःक्षेपण करने वाली संस्था के नाम का उल्लेख करें)	
11.	सीएसपीडीसीएल द्वारा जारी संस्था का बीपी/सेवा क्रमांक :–	

12.	संस्था (एंटिटी) संयंत्र का पता :–	
13.	संस्था (एंटिटी) का पंजीकृत कार्यालय का पता :–	
14.	एबीटी मीटर का मेक और सीनियल नंबर ग्रिड एस/एस इंड में एंटिटी इंड में।	
15.	टेलीमेट्री प्रणाली संस्थापन आरटीयू का मेक और सीनियल नंबर :–	
16.	पत्राचार के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण I. नाम : II. पदनाम : III. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर : VI. मोबाइल नंबर : V. ई–मेल पता : VI. डाक का पता : पत्राचार के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण I. नाम : II. पदनाम : III. लैंडलाइन टेलीफोन नंबर : VI. मोबाइल नंबर : V. ई–मेल पता : VI. डाक का पता :	

ऊपर दी गई जानकारी, मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

प्राधिकृत प्रतिनिधी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम :

दिनांक : पदनाम :

मोबाईल/ टेलीफोन नंबर :

*****